BED IV- PE 5

जेण्डर, विद्यालय तथा समाज

Gender, School and Society

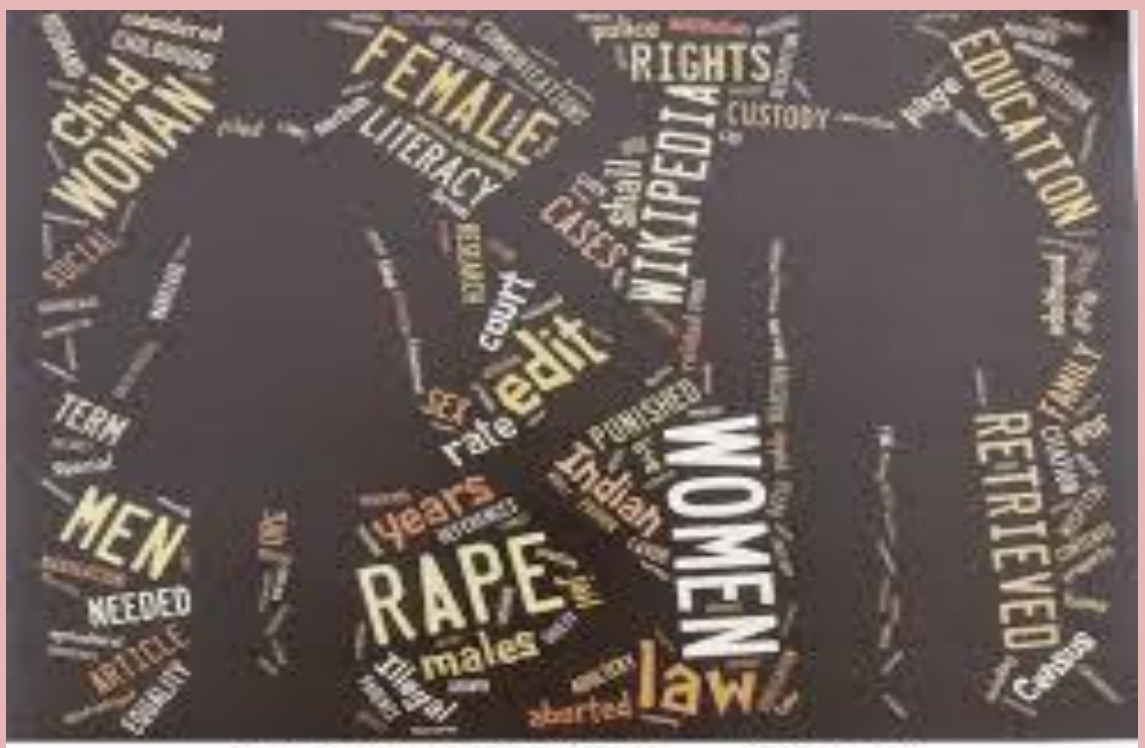

Bhavya Kain - XI B

शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

ISBN: 13-978-93-85740-88-6
BED IV- PE 5 (BAR CODE)

BED IV- PE 5

जेण्डर, विद्यालय तथा समाज

Gender, School and Society

शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

अध्ययन बोर्ड	विशेषज्ञ समिति
□**प्रोफेसर एच० पी० शुक्ल** (अध्यक्ष- पदेन), निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	□**प्रोफेसर एच० पी० शुक्ल** (अध्यक्ष- पदेन), निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
□**प्रोफेसर मुहम्मद मियाँ** (बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य), पूर्व अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया व पूर्व कुलपति, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	□**प्रोफेसर सी० बी० शर्मा** (बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य), अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा
□**प्रोफेसर एन० एन० पाण्डेय** (बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य), विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, एम० जे० पी० रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	□**प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा** (बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य), अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय व सामाजिक विज्ञान संकाय, अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल
□**प्रोफेसर के० बी० बुधोरी** (बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य), पूर्व अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय, एच० एन० बी० गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, उत्तराखण्ड	□**प्रोफेसर जे० के० जोशी** (विशेष आमंत्री- सदस्य), शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
□**प्रोफेसर जे० के० जोशी** (विशेष आमंत्री- सदस्य), शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	□**प्रोफेसर रम्भा जोशी** (विशेष आमंत्री- सदस्य), शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
□**प्रोफेसर रम्भा जोशी** (विशेष आमंत्री- सदस्य), शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	□**डॉ० दिनेश कुमार** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
□**डॉ० दिनेश कुमार** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	□**डॉ० भावना पलड़िया** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
□**डॉ० भावना पलड़िया** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	□**सुश्री ममता कुमारी** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा एवं सह-समन्वयक बी० एड० कार्यक्रम, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
□**सुश्री ममता कुमारी** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा एवं सह-समन्वयक बी० एड० कार्यक्रम, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	□**डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी** (सदस्य एवं संयोजक), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा एवं समन्वयक बी० एड० कार्यक्रम, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
□**डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी** (सदस्य एवं संयोजक), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा एवं समन्वयक बी० एड० कार्यक्रम, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	

दिशाबोध: प्रोफेसर जे० के० जोशी, पूर्व निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

कार्यक्रम समन्वयक:	कार्यक्रम सह-समन्वयक:	पाठ्यक्रम समन्वयक:	पाठ्यक्रम सह समन्वयक:
डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी समन्वयक, शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड	**सुश्री ममता कुमारी** सह-समन्वयक, शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड	**श्री बीरेन्द्र सिंह रावत** शिक्षा विभाग, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	**डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी** समन्वयक, शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड

प्रधान सम्पादक	उप सम्पादक
डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी समन्वयक, शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड	**सुश्री ममता कुमारी** सह-समन्वयक, शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड

विषयवस्तु सम्पादक	भाषा सम्पादक	प्रारूप सम्पादक	प्रूफ़ संशोधक
श्रीमती मनीषा पन्त अकादमिक परामर्शदाता, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	**श्रीमती मनीषा पन्त** अकादमिक परामर्शदाता, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	**श्रीमती मनीषा पन्त** अकादमिक परामर्शदाता, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	**श्रीमती मनीषा पन्त** अकादमिक परामर्शदाता, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड

सामग्री निर्माण

प्रोफेसर एच० पी० शुक्ल निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	**प्रोफेसर आर० सी० मिश्र** निदेशक, एम० पी० डी० डी०, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

© उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, 2017

ISBN-13-978-93-85740-88-6

प्रथम संस्करण: 2017 (पाठ्यक्रम का नाम: जेण्डर, विद्यालय तथा समाज, पाठ्यक्रम कोड- BED IV- PE 5)

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पुस्तक के किसी भी अंश को ज्ञान के किसी भी माध्यम में प्रयोग करने से पूर्व उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से लिखित अनुमति लेना आवश्यक है। इकाई लेखन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए पूर्णरूपेण लेखक जिम्मेदार होगा। किसी भी विवाद का निपटारा उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में होगा।

निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा निदेशक, एम० पी० डी० डी० के माध्यम से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के लिए मुद्रित व प्रकाशित।

प्रकाशक: उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय; **मुद्रक:** उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।

कार्यक्रम का नाम: बी० एड०, कार्यक्रम कोड: BED- 17 पाठ्यक्रम का नाम: जेण्डर, विद्यालय तथा समाज, पाठ्यक्रम कोड- BED IV- PE 5		
इकाई लेखक	**खण्ड संख्या**	**इकाई संख्या**
डॉ० राकेश सिंह डी-**6/7,** गेट संख्या **3** के समीप, दिलशाद कालोनी, नई दिल्ली	**1**	**4**
सुश्री संतोष यादव शिक्षा विभाग, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	**1**	**5**
सुश्री रजनी सिंह शिक्षा विभाग, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	**2**	**1 व 3**
श्री मनोज कुमार चाहिल शिक्षा विभाग, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	**2**	**2 व 5**

BED IV- PE 5
जेण्डर, विद्यालय तथा समाज
Gender, School and Society

खण्ड 1		
इकाई सं०	**इकाई का नाम**	**पृष्ठ सं०**
1	इकाई: एक	-
2	इकाई: दो	-
3	इकाई: तीन	-
4	स्वतन्त्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात भारतीय महिला आन्दोलन	2-18
5	समकालीन परिदृश्य: समाज में व्याप्त जेंडर आधारित भेदभाव का सामना; लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा और उनका सर्वांगीण विकास	19-38

खण्ड 2		
इकाई सं०	**इकाई का नाम**	**पृष्ठ सं०**
1	भारत में परिवार व्यवस्था के संदर्भ में जेंडर अस्मिता और समाजीकरण की रीतियाँ	40-51
2	शिक्षा में जेंडर सरोकार	52-62
3	पाठयक्रम में निहित जेंडर सम्बन्धी मुद्दे	63-72
4	इकाई: चार	-
5	यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु कानून एवं पहल	73-84

खण्ड 1

Block 1

इकाई 4- स्वतन्त्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात भारतीय महिला आन्दोलन

4.1 प्रस्तावना
4.2 उद्देश्य
4.3 स्वतन्त्रता पूर्व महिला आन्दोलन
4.3.1 पुरुषों द्वारा संचालित महिला अधिकारों वालें संगठन
4.3.2 महिलाओं द्वारा संचालित महिला आन्दोलन
4.4. स्वतंत्रता पूर्व महिला आन्दोलनों द्वारा उठाए गए विभिन्न विषय
4.4.1. शिक्षा में भागीदारी
4.4.2. राजनैतिक एवं सामाजिक अधिकार और हिस्सेदारी
4.4.3.निजी कानूनों में सुधार
4.5. राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाएं
4.6. श्रम आन्दोलन में महिलाएं
4.7 स्वतन्त्रता उपरान्त का महिला आन्दोलन
4.7.1 निर्णायक पदों / सत्ता पर निर्णायक भागीदारी
4.7.2 प्रत्येक सामाजिक,आर्थिक एवं राजनैतिक स्तर पर बराबरी तथा भागीदारी
4.7.3. आर्थिक शोषण के विरुद्ध आन्दोलन
4.7.4. उपभोक्ता के हित में आवाज
4.7.5 सामाजिक बुराइयों एवं शोषण के विरुद्ध एकजुटता
4.8 सारांश
4.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
4.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
4.11 निबंधात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

भारतीय महिला आन्दोलन प्रारम्भ से ही सामाजिक , सांस्कृतिक , धार्मिक प्रतिमानों एवं आदर्शों की जटिल बुनियादी संरचना रहा है . प्रत्येक पुरुष-सत्तात्मक समाजों में जिन जटिल परिस्थिति और दुराग्रहों का सामना महिला अधिकारवादियों को करना पड़ता है , वही सब यहाँ भी दिखाई देता है. सत्ता का अपना एक विशेष चरित्र होता है, जिसमें अपने अधिकार का सहजता से बंटवारे को लेकर नकारवादी दृष्टि रहती है. भारतीय लोकतंत्र में भी कमोवेश वही स्थितियां दिखाई देती है. तभी तो आधी आबादी 33 प्रतिशत की हिस्सेदारी तक भी नहीं पहुँच पाई. इतिहास देखें तो मूलतः 49 वीं शताब्दी में संगठित भारतीय महिला आन्दोलन की जड़ें पुरुष सुधारवादियों के कार्य में देखने को मिलती हैं . जिसके अंतर्गत पुरानी परम्पराएं , सती-प्रथा, बालविवाह , देवदासी-प्रथा आदि अंधविश्वास से मुक्ति आदि रहा. इसमें विभिन्न संगठन जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज,प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस भूमिका को आन्दोलनों , पत्र-पत्रिकाओं और सामाजिक चेतना की सहायता से निभाया गया. इसके साथ ही स्वतंत्र भारत में अलग तरह की समस्याएं महिला आन्दोलन को झेलनी पड़ी. विदेशी दुश्मन और शासन से लड़ना भावनात्मक दृष्टि से अधिक सरल था. अपनों से अपने अधिकार मांगना भीख मांगने वाली सी अनुभूति लेकर आया . जिसने महिलाओं को नैतिक रूप से सशक्त तो किया,किन्तु ये राह कतई आसान नहीं होने वाली थी. आजाद भारत ने बिना भेद के सभी को समान अधिकार दिए किन्तु हकीकत के स्तर में ये स्थिति उतनी समान नही रही. पुरुष सत्तात्मक समाज में अपनी समानता का उपभोग और उपयोग इतना सरल नही होता. गरीब तथा मजदूर महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नही दिखाई दिया. तेभागा आन्दोलन , तेलंगाना आन्दोलन (आंध्रप्रदेश) नक्सली आन्दोलन के शुरूआती दौर की जड में महिलाओं तथा गरीबों का यह क्षेत्रीय असंतोष ही था. जिसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी दिखाई दी.

4.2 उद्देश्य

1. भारतीय महिला आन्दोलन के इतिहास की समझ विकसित करना.
2. महिला आन्दोलन की सीमाओं में पुरुष सुधारवादियों द्वारा किये कार्य की आधारभूत संरचना समझना.
3. स्वत्रंत रूप से महिलाओं द्वारा किये जाने वाले कार्य और आंदोलनों का महिला अधिकारों की स्थिति पर प्रभाव जांचना.
4. लैंगिक समझ को क्रियात्मक रूप से समझना.
5. लैंगिक समानता के रास्ते में आने वाली बाधाओं और सीमाओं को जानना.
6. भारतीय समाज के परिपेक्ष्य में महिला आन्दोलन को लेकर एक दृष्टि बनाने में सहायता करना.
7. स्कूल स्तर पर या शिक्षा के परिपेक्ष्य में लैंगिक समानता की जड़ों को समाज की गतिविधियों में देखने की दृष्टि देना.

8. लैंगिक समझ को इतिहास के क्रम में व्यापक आधार प्रदान करना.

4.3 स्वतन्त्रता पूर्व महिला आन्दोलन

परम्पराओं और धर्म की गलत व्याख्या की आड़ में भारत के पुरुष-सत्तात्मक समाज में कई प्रकार की कुरीतियाँ में फैली हुए थीं जिसके आधार पर शोषण करने का अधिकार पाए समाज वाली स्थितियां भी भारतीय समाज की कई बार देखने को मिलती हैं. महिला होने का अर्थ ही दोयम दर्जे की जिंदगी जीना होता था. समान अधिकार तो छोडिये अपने ही जीवन के अधिकार की सोचना भी कुकृत्य समान था. ऐसे में राजा राम मोहन रॉय प्रमुख सुधारक बन कर उभरे , जिन्होंने इस स्थिति के विरुद्ध आवाज़ उठाई . रॉय ने स्त्री-विषयक या केन्द्रित सोच के विचार को पहली बार भारत जैसे परम्परा वादी तथा पुरुषवादी सोच वाले देश में आगे बढ़ाया. रॉय ने सती प्रथा तथा कुलीन वर्ग द्वारा बहुपत्नी प्रथा का विरोध करने के साथ महिलाओं के प्रोपर्टी अधिकार की बात कही. उन्हीं के प्रयासों से 4829 में सती-प्रथा को समाप्त करने के लिए सती-प्रथा निषेध अधिनियम बनाया गया.

इसी के समांतर ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अभियान चलाया . इन अभियानों का असर यह हुआ कि स्त्री भी सामाजिक-राजनैतिक चिन्तन के मध्य में आ गई. आज के हिसाब से यह बात चाहे कितनी कम मायने रखती हो , लेकिन इन बातों ने ही वह मंजिल तैयार करने में मदद की जिसके आधार पर 49 वीं शताब्दी खत्म होते-होते महिलाओं ने अपने संगठनों के निर्माण पर गौर करना शुरू कर दिया था. यह प्रारंभ में स्थानीय तथा फिर राष्ट्रीय स्वरूप में दिखाई दिया.

स्वतन्त्र पूर्व भारतीय महिला आन्दोलन की विशेषताओं को समझने के लिए उसके चरित्र को समझना होगा. जिससे उसका सही स्वरूप अपने सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में सामने आ सके. नही तो आज के सन्दर्भ में समझने और जानने का प्रयास उसके बुनियादी चरित्र तक पहुंचने से रोक सकता है. जिसे आगे समझने का प्रयास किया जाएगा.

4.3.1 पुरुषों द्वारा संचालित महिला अधिकारों वालें संगठन

सामाजिक-धार्मिक-सांस्कृतिक सुधारवादी आन्दोलन को नेतृत्व देने वाले सुधारकों ने स्वतन्त्रता पूर्व भारतीय महिलाओं के अधिकारों को लेकर बहस को धार दी. जिनमें ; ब्रह्म समाज के प्रमुख हस्ताक्षर केशब चन्द्र सेन(बंगाल)का नाम आता है. 4832 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई जिसने इस दिशा में मील के पत्थर का काम किया. ब्रह्म समाज ने निम्न बातों पर बल दिया ;

- महिला-पत्रिका का प्रकाशन
- महिला प्रार्थना सभा का गठन
- महिला-केन्द्रित शैक्षिक कार्यक्रम का विकास

- अंतर्जातीय विवाह का समर्थन

ब्रह्म समाज का कार्य उल्लेखनीय इस दृष्टि से था कि उसने अपने विचारों में ऐसे कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जिससे महिला वर्ग में अपने होने की चेतना अर्थात अस्तित्व को लेकर चेतना आ सके और विचार स्तर पर महिला अभिव्यक्ति फैलाव पा सके. जैसे महिला-पत्रिका के प्रकाशन से लेखन के रूप में एक सशक्त तथा जन माध्यम की स्वीकारोक्ति के साथ साथ समाज के एक वर्ग को अपनी अभिव्यक्ति के लिए रास्ता सुझाया. वहीं दूसरी तरफ अपने स्व में झाँकने तथा समाज के सम-समसामयिक मुद्दों से जोड़ने की पहल की.

समाज से जुड़ने के लिए प्रार्थना के माध्यम से एक वर्ग से जुड़ना भी इसका उद्देश्य था. इसी तरह महिला केन्द्रित कार्यक्रमों का भी व्यापक उद्देश्य अंततः शिक्षा की उपयोगिता का विस्तार ही था. मूलतः सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं को घर के अतिरिक्त अपने आप अस्तित्व के रूप में घर से बाहर एक बड़े समाज से जोड़ कर देखना भी रहा.

अंतर्जातीय विवाह का समर्थन इस रूप में अनोखा था कि इसने जाति तथा वर्गों में बंटे इस समाज को एक दूसरे से जुड़ने को प्रेरित किया. भेदों की दुनिया में एकाकार की भावना जो अंततः समानता की और जाती है, इसी से आगे जाकर लैंगिक समानता का रास्ता जुड़ता है.

इसी तरह प्रार्थना समाज जिसकी नींव 4867 में रखी गई थी ,ने महाराष्ट्र और गुजरात में ब्रह्म समाज की भांति लगभग समान तरीके और उद्देश्यों के लिए कार्य किया. माधव गोविन्द रानाडे,नारायण गणेश चंदावरकर और आर.जी. भंडारकर आदि प्रार्थना समाज के माध्यम से स्त्री स्वतंत्रता का समर्थन करते थे. इस समाज से जुड़े चिंतकों ने अन्य बातों के अलावा निम्न बातों पर भी बल दिया :

- बाल विवाह निषेध
- विधवा पुनर्विवाह
- महिला शिक्षा

बाल विवाह एक ऐसी कुरीति थी/है जिसके मूल में स्त्री शोषण के सारे बीज विद्यमान हैं. बाल-विवाह के कारण पढने-लिखने-खेलने की अबोध उम्र में विवाह कर उसे शारीरिक कष्ट से गुजरना पड़ता था. कम उम्र में बच्ची को गर्भ- धारण करने को बाध्य कर दिया जाता था.जिसके कारण उनमें से अधिकतर अपने प्रसव काल में ही इस लोक से विदा हो जाती थीं. अपने बारे में सोचना और आगे बढने का तो प्रश्न ही नहीं उठता. अब इस कुरीति में तो कमी आई है, किन्तु यदि हम उस समय की बात सोचे तो पता चलेगा कि किस तरह का विरोध समाज सेवकों को इस कुरीति के विरोध करने पर झेलना पड़ा. किन किन तर्कों से यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि स्त्री का कम उम्र में कन्या दान क्यों जरूरी है ? महिलाओं के जीने के अधिकार में बाल-विवाह निषेध ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

विधवा-विवाह का समर्थन समाज में विवाह और तथाकथित पवित्रता की सोच पर एक प्रहार था. पुरुष तो बहु-पत्नी रख सकता था, किन्तु स्त्री जन्म-जन्म के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति से बंध कर रहने के लिए

मजबूर थी. समाज में विधवाओं को बहुत हीनता से देखा जाता था. सती-प्रथा निषेध के साथ जरूरी था कि विधवा पुनर्विवाह की भी बात सोची जाए. ऐसे में विधवा पुनर्विवाह कई अर्थो में दूरगामी सिद्ध हुआ. जिसने समाज में स्त्री-पुरुष के रिश्ते पर पुनर्विचार करने की ओर कदम बढ़ाया.

यदि देखा जाये तो पुरुष सुधारवादी आन्दोलनकारियों ने महत्वपूर्ण काम किया. जिसकी बुनियाद पर आगे चलकर महिला आन्दोलन खड़ा हो सका. एक दुविधा भी पुरुष सुधारवादियों में दिखाई देती है , अधिकतर स्त्री की प्राथमिकता में घर को केंद्र में रख कर सोचते दिखाई देतें हैं.

4.3.2 महिलाओं द्वारा संचालित महिला आन्दोलन

49 वीं शताब्दी के अंत में कुछ उच्च तथा नामी (कुछ संभ्रांत शब्द का प्रयोग भी करते हैं) परिवार की महिलाओं द्वारा प्रारम्भ में महिला विषयक जागृति संगठन संचालित किए गए. इनमें से एक रविन्द्रनाथ टैगोर की बहन स्वर्नाकुमारी देवी द्वारा 4882 ई0 में स्त्री सोसाइटी का गठन उल्लेखनीय शुरुआत कही जा सकती है. जिसने कुछ महत्त्वपूर्ण स्त्रियों से सम्बन्धित विषयों को छुआ;जैसे

- विधवाओं तथा गरीब महिलाओं के आर्थिक स्वाबलंबन के लिए शिक्षा तथा कौशल का विकास
- महिला केन्द्रित पत्रिका 'भारती' का प्रकाशन

इसके कुछ समय बाद ही रमाबाई सरस्वती ने आर्य महिला समाज की पुणे में स्थापना की. भारत महिला परिषद का बनना भी एक अच्छा कदम सिद्ध हुआ. जिसके केंद्र में –

- बाल विवाह
- विधवाओं की स्थिति
- दहेज़ जैसी कुरीतियाँ, आदि थें.

4940 में सरला देवी चौधुरानी (ध्यातव्य रहे ये स्वर्नाकुमारी देवी की पुत्री थी) ने भारत स्त्री मंडल नाम से संगठन बनाया. इस संगठन ने सही माइने में सोच के व्यापक स्तर को बढ़ाया.इसने महिलाओं से जुड़े मुद्दों और महिलाओं की भागीदारी को सभी महिलाओं तक पहुँचाने का प्रयास किया. इस संगठन का उद्देश्य सभी महिलाओं को जाति,वर्ग,धर्म ,दल आदि के भेद बिना समान हितों के लिए संगठित एवं जागरूक करना था.(see; Bangal,J.C.,4964,"Sarala Devi Chaudhurani",Sahitya Sadhak Charitmala,no.99,Bangiya Sahityya Parishad, Calcutta.) संक्षिप्त समय के फैलाव तक सीमित रहने के बावजूद इस संगठन की नीतियों ने आगे अन्य महिला संगठनों के लिए सोचने के नीतिगत अवसर पैदा किए. इस संगठन को दो विशेषताओं के लिए याद किया जा सकता है :

- पहला,संगठन में सिर्फ महिलाओं को ही शामिल होने की अनुमति थी.

- दूसरा, संगठन पुरुष वर्चस्व से इतर महिलाओं को अपने मुद्दों के लिए स्वयं शिक्षित होने का पक्षधर था. इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर जरुरतमन्द महिलाओं के घर जाकर ही शिक्षित किया जाता था.

जिसका प्रभाव यह हुआ कि महिलाओं में अपने बलबूते अपने सगठन बनाने ,समाज को महिला नेतृत्व प्रदान करने तथा उसके लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार होने की भावना आई. जिसे बाद के आंदोलनों में देखा जा सकता है.

4.4 स्वतंत्रता पूर्व महिला आन्दोलनों द्वारा उठाए गए विभिन्न विषय

स्वतंत्रता पूर्व महिला आन्दोलनों द्वारा उठाए गए विभिन्न विषयों पर विचार एवं विस्तृत विश्लेषण करने पर कई तरह के मुद्दे भारतीय महिला आन्दोलन के बीच दिखाई देते हैं. बड़ी संख्या में राजनीतिक व सामाजिक भागीदारी के लिए छटपटाहट के अलावा वर्तमान शैक्षिक स्थिति के प्रति असंतोष तथा बराबरी के अधिकार को पाने की भावना उसके मूल में रही. महिलाओं की वास्तविक भागीदारी 4920 के बाद स्वतंत्रता आन्दोलन,ट्रेड यूनियन आन्दोलन , जाति विरोधी आन्दोलन, नारी-मुक्ति आन्दोलन के रूप में दिखाई देती है. जिसे विभिन्न आन्दोलनों और संगठनों के माध्यम से अभिव्यक्ति मिली. समग्र रूप से समझने के लिए हम स्वतंत्रता पूर्व के महिला आन्दोलन को अग्रलिखित शीर्षकों में सरलता से समझ सकते है.

- शिक्षा में भागीदारी
- राजनैतिक एवं सामाजिक अधिकार तथा हिस्सेदारी
- सामाजिक सुधार
- निजी कानूनों में सुधार; आदि

4.4.1. शिक्षा में भागीदारी

मूलतः स्वतंत्रता से पूर्व के महिला आन्दोलनों का ध्येय महिलाओं को शिक्षित करना था चाहे घर की चारदीवारी के अंदर हो या बाहर. चाहे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशब चन्द्र सेन माधव गोविन्द रानाडे,नारायण गणेश चंदावरकर और आर.जी.भंडारकर आदि पुरुष समाज सुधारक हो या स्वर्नाकुमारी देवी, सरला देवी चौधुरानी, रमाबाई सरस्वती आदि जैसे स्त्री समाज सुधारक हों. सभी ने बाकी मुद्दों के साथ और सबसे पहले स्त्री-शिक्षा पर अधिक बल दिया. महिलाओं के अधिकारों पर तमाम दुविधाओं के बावजूद अधिकतर स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे. शिक्षा में भागीदारी को पढने-लिखने की सीमाओं से आगे बढ़ कर पत्रिकाओं के माध्यम से अपने को अभिव्यक्त करने पर रहा.

4887 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके तीसरे राष्ट्रीय अधिवेशन में भी महिलाओं के शैक्षिक मुद्दों पर बात रखी गई. भारत महिला परिषद (4905) के गठन ने महिलाओं को संगठन बनाने और उसके प्रबंधन की व्यवाहारिक शिक्षा की दिशा में एक कदम बढ़ाया. इस तरह के अनुभव ने समाज की हर वर्ग की महिलाओं को संगठन निर्माण और उससे जुड़ने की शिक्षा दी. जिसने हिन्दू ,मुस्लिम, सिख ,पारसी आदि वर्गों की महिलाओं को समाज में अपनी स्थिति के बारे में आगे बढ़ कर अपने विचार व्यक्त करने का साहस भी दिया.

स्वतंत्रता पूर्व के महिला आन्दोलन में महिला शिक्षा के विकास में सावित्री बाई फुले का नाम अग्रणी रूप में याद किया जाता है. सावित्री बाई फुले देश की पहली महिला अध्यापिका व नारी मुक्ति आन्दोलन की पहली नेता थीं जिन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी में ब्राह्मणवाद को सीधी चुनौती देने का साहस किया. उनके पति महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले थे जिन्होंने सती-प्रथा, छुआ-छूत, बाल-विवाह आदि कुरीतियों का विरोध किया तथा महिला शिक्षा और विधवा-विवाह का समर्थन किया.

डॉ धोड़ो केशव कर्वे(महर्षि कर्वे) ने महिलाओं की शिक्षा और कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया. 4896 में एक 'हिन्दू विधवा होम एसोसिएशन' की स्थापना के साथ 4907 में महिला विद्यालय की शुरुआत भी की. 4946 में पुणे में महिलाओं का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया. 4947-48 के दौरान प्राथमिक स्कूल शिक्षक और लडकियों के लिए ट्रेनिंग कॉलेज की शरुआत की. महात्मा फुले की तरह कर्वे जी का योगदान महिला आन्दोलन में महिलाओं की शैक्षिक भागीदारी की इच्छा और सपने को बल और पंख दोनों देता है.

महिला आन्दोलन के शुरुआती चरण में अन्य पुरुष सुधारवादियों ने महिला शिक्षा के महत्व को समझा जिनमें स्वामी विवेकानन्द जी रामकृष्ण मिशन ने भारत में शिक्षा की योजना में महिलाओं की भागीदारी की वकालत की. इसी तरह बदरूद्दीन तैयबजी , सैयद इमाम जिन्होंने जनाना मदरसे की स्थापना पर जोर दिया तथा जनाब हैदरी साहब का नाम उल्लेखनीय है. गांधी जी का नाम महिला शिक्षा के सन्दर्भ में लेना मात्र औपचारिकता होगा. गांधीजी स्त्री-शिक्षा के पक्के समर्थक थे. जिसका परिणाम यह रहा कि 'ऑल इण्डिया वीमेन कांफ्रेंस' से बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ीं.

शैक्षिक- भागीदारी का परिणाम यह निकला कि आगे के महिला आन्दोलन में शैक्षिक गम्भीरता भी व्यापक स्तर पर झलकी. जिसकी देन के रूप में समाज को महान विभूतियाँ मिली जैसे- सवित्री बाई फुले,सरला देवी चौधरानी, ताराबाई शिंदे,पंडिता रमाबाई,राजकुमारी अमृत कौर,सुचेता कृपलानी, सिस्टर निवेदिता ,मुथुलक्ष्मी रेड्डी, सुशीला नायर, अरुणा आसफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, स्वर्ण कुमारी घोषाल,कमला नेहरु, रोकैया सखावत हुसैन,दीदी सुब्बुलक्ष्मी ,कमला देवी,आदि.

4.4.2. राजनैतिक एवं सामाजिक अधिकार और हिस्सेदारी

जब लार्ड एडविन मोंटागुए,सचिव, स्टेट ऑफ़ इंडिया भारत आए और संवैधानिक सुधारों के लिए लार्ड चेल्म्सफोर्ड ने राजनैतिक सर्वे किया. उस समय भारतीय महिलाओं के लिए अपने राजनैतिक अधिकार पाने का अच्छा अवसर था. 4947 में 'वीमेन इंडियन एसोसिएशन' की नींव रखी गई . इस तरह

महिलाओं का नेतृत्व अपनी राजनैतिक आजादी के लिए खड़ा हुआ. इसका नेतृत्व किया तीन आयरिस महिलाओं ने- एनी बेसेंट, मार्गरेट कोउसिंस और डोरोथी जिनाराजदासा. उनके साथ मालती पटवर्धन,अम्मू स्वामीनाथन,श्रीमती ददाभोय और श्रीमती अम्बुजम्मल आदि भारतीय महिलाएं भी थीं.

राजनैतिक बराबरी की दिशा में वोट का अधिकार एक बड़ा कदम माना जा सकता है,किन्तु यह भी बिना संघर्ष के नही मिला पुरे देश से २३ महिलाओं ने इसके लिए ज्ञापन मोंतागुए और चेल्म्स्फोर्ड को दिया . जिसमे उन्होंने महिलाओं की भागीदारी के बिना कार्यपालिका को अधुरा बताया. महिलाओं के प्रतिनिधिमंडल ने सरोजनी नायडू के नेतृत्व में जोरदार तरीके से अपनी बात रखी. इसके लिए पुरे देश में महिला संगठनों ने समर्थन दिखाने के लिए प्रमुखता से जोरदार सभाएं रखी . यद्यपि साउथबोरोघ कमेटी (4948) ने कहा था कि अभी भारतीय महिलाएं इसके लिए तैयार नहीं हैं. सरोजनी नायडू और एनी बेसंट दोनों ने महिलाओं का पक्ष सयुंक्त संसदीय समिति के समक्ष रखने के लिए इंग्लेंड गईं. अंततः 'सयुंक्त संसदीय समिति' लेंगिक भेद को मिटाने के लिए तैयार हो गई , किन्तु उन्होंने इसे लागू करने का निर्णय प्रांतीय विधानसभाओं पर छोड़ दिया. इस दिशा में ट्रावन्कोर-कोचीन प्रांतीय राज्य ने पहल कर सबसे पहले 4920 में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया. यद्यपि इस अधिकार को सीमाओं के साथ विभिन्न राज्यों ने देना शुरू किया.

4928 में 'साइमन कमीशन' के समक्ष दिए अपने साक्ष्य में डॉ. अम्बेडकर ने बिना भेद-भाव के व्यस्क मताधिकार को जोरदार तरीके से रखा. इसी क्रम में 4942 में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में श्रम सदस्य नियुक्त होने पर पहली बार महिलाओं के प्रसूति अवकाश की व्यवस्था की गई.

राजनैतिक अधिकार को उपयोग करने की दिशा में मद्रास विधानसभा कौंसिल के चुनाव को माना जा सकता है , जिसमें मंगलोर से कमलादेवी चट्टोपाध्याय खड़ी हुईं और बहुत कम अंतराल से वह पराजित हुईं. इसने एक नई राजनैतिक ऊर्जा का संचार राजनैतिक बराबरी के लिए किया. मद्रास सरकार ने डॉ मुथुलक्ष्मी रेड्डी को विधान सभा कौंसिल में महिलाओं के पक्ष के लिए नामांकित किया. महिलाओं को राजनैतिक बराबरी के अधिकार के लिए लम्बा इंतज़ार करना पड़ा, जिसकी परिणिति आज़ाद हिन्दुस्तान में सभी को समान राजनैतिक मताधिकार के रूप में हो पाई.

4.4.3 निजी कानूनों में सुधार

4927 में 'अखिल भारतीय महिला सम्मेलन' पुणे में हुआ जिसमें बालिकाओं की शिक्षा पर भी चर्चा हुई. इस चर्चा से यह तथ्य निकल कर सामने आया कि लडकियाँ बहुत से कारणों से विद्यालय नही जा पातीं. जिसमें बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सामजिक प्रथाएं मूल रूप से शामिल हैं. अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में निजी कानूनों में बदलाव की बात उठी यद्यपि वहाँ भी समान नागरिक कानून को लेकर कुछ विरोध स्थिति रही. लगातार महिलाओं के दवाब के कारण अंततः 4950 में 'हिन्दू कोड बिल' आजादी के बाद पास हुआ. निजी कानूनों के कारण भी महिलाओं की स्थिति प्रभावित होती है, जिसे समझ

महिला संगठनों ने कई बार आन्दोलन किये किन्तु सफलता अभी भी पूरी तरह नही मिली इसलिए इस दिशा में संघर्ष भी जारी है.

4.5. राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाएं

बंगाल में 4905-44 तक 'स्वदेशी आन्दोलन' और 'होम रुल आन्दोलन' में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी दिखाई. गाँधी जी के राजनैतिक परिदृश्य में आते ही महिलाओं की भागीदारी स्पष्ट बढती दिखाई देती है . भारतीय कांग्रेस के 4930 के कराची अधिवेशन में पारित विधेयक पास हुआ जिसने महिलाओं के समान अवसर की दिशा में एक कदम और बढ़ाया. मार्च 4930 में 240 मील की डांडी यात्रा में महिलाओं की भागीदारी ने देश में महिलाओं को अच्छी राजनैतिक पहचान दिलवाने में मदद की. यह पहचान 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' के दुसरे चरण में और अधिक सम्बल हुई.जब अंग्रेज सरकार द्वारा की गई सामानों की नीलामी का महिलाओं ने बहिष्कार दिया.4930 के बाद का समय महिलाओं राजनैतिक पहचान की दिशा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ. 4930 महिलाओं ने पुलिसिया दमन सहे, जिसमें 4930 में मुंबई में चुनाव-केंद्र पर चुनाव के विरुद्ध धरने में बैठी 400 महिलाओं की एक साथ गिरफ्तारी प्रमुख है. राजनैतिक शिक्षा और नेतृत्व को आगे बढाने की दृष्टि से इसमें विचारपरक संगठनों का निर्माण भी शामिल है.

महिलाओं ने अनेक संगठनों का निर्माण किया जैसे नारी सत्याग्रह समिति,महिला राष्ट्रीय संघ, देश सेविका संघ,स्त्री स्वराज संघ, स्वयं सेविका आदि. इन संगठनों के निर्माण ने महिलाओं में राजनैतिक इच्छा-शक्ति तथा अपनी मांगों को मनमाने की रणनीति के निर्माण को प्रोत्साहित किया. जिसने महिलाओं को संगठन निर्माण के साथ जुलूस, धरने, प्रदर्शन और समय आने पर गिरफ्तारी के लिए भी तैयार रहने की इच्छा शक्ति प्रदान की. 4939 में राजनैतिक कैदियों की रिहाई के लिए आन्दोलन में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई. जिसमें भूमिगत वामपंथी दल की महिला सदस्य सक्रिय रहीं. इसी क्रम में 4942 के ऐतिहासिक भारत छोड़ो आन्दोलन में हजारों महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभा के राजनैतिक उपस्थिति भी दर्ज़ करवाई.

4.6.श्रम आन्दोलन में महिलाएं

4947 में अनसूया साराभाई ने अहमदाबाद टेक्सटाइल कर्मचारियों की हडताल का नेतृत्व किया .4920 में मजूर महाजन नामक यूनियन का गठन किया. आज़ादी से पूर्व कई मजदूर यूनियनों में महिलाओं की अग्रणी भागीदारी ध्यान योग्य है. कई महिला मजदूर नेता इस बीच उभरी जिसमें मणिबेन,उषाबाई दंगे, पारवती भोरे जैसे नाम प्रमुख हैं. इन सब महिलाओं ने महिला नेतृत्व को एक कुशल आयाम दिया. जिसने साहस , आगे बढ़ कर निर्णय लेना, मुकाबला करना , रणनीति बनाना तथा आर्थिक चिन्तन की शुन्यता को खत्म करने का काम किया .

स्वतंत्रता से पूर्व का महिला आन्दोलन भारतीय नारीवादी आन्दोलन का प्रथम सोपान माना जा सकता है. जिसने परम्परागत भारतीय महिला की छवि से बाहर आने का प्रयास किया .पहली बार भारतीय चेतना में महिलाओं के अधिकार तथा बराबरी जैसे प्रश्न आए. सदियों से चली आई प्रथाएं भी तर्क और बराबरी की मांग करने लगी. सबसे अच्छी बात ये हुई की इस प्रथम लहर का आधार बनाने में पुरुष समाज सुधारक भी पीछे नही थे. किन्तु असली बात महिलाओं द्वारा इस आन्दोलन को गति देने से आई .

4.7.स्वतन्त्रता उपरान्त का महिला आन्दोलन

स्वतंत्र भारत में अलग तरह की समस्याएं महिला आन्दोलन को झेलनी पड़ी. विदेशी दुश्मन और शासन से लड़ना भावनात्मक दृष्टि से अधिक सहज था. अपनों से अपने अधिकार मांगना भीख मांगने वाली सी अनुभूति लेकर आया. जिसने महिलाओं को नैतिक रूप से सशक्त तो किया . किन्तु ये राह कतई आसान नहीं होने वाली थी. आजाद भारत ने बिना भेद के सभी को समान अधिकार दिए. किन्तु हकीकत के स्तर में ये स्थिति उतनी समान नही रही. पुरुष सत्तात्मक समाज में अपनी समानता का उपभोग और उपयोग इतना सरल नही था. गरीब तथा मजदूर महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नही दिखाई दिया. तेभागा आन्दोलन , तेलंगाना आन्दोलन (आंध्रप्रदेश) नक्सली आन्दोलन के शुरूआती दौर की जड में महिलाओं तथा गरीबों का यह क्षेत्रीय असंतोष ही था. जिसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी दिखाई देती है.

स्वतंत्रता के पश्चात के महिला आन्दोलन को आगे विभिन्न शीर्षकों में समझने का प्रयास किया जाएगा.

4.7.1 निर्णायक पदों / सत्ता पर निर्णायक भागीदारी

भारत में राजनैतिक महिला नेतृत्व उत्साहवर्धक नही कहा जा सकता. अरुणा आसफ अली का दिल्ली में 4958 में प्रथम महापौर चुना जाना भी उल्लेखनीय राजनैतिक घटनाक्रम है, जो स्वतंत्र रूप से राजनैतिक निर्णय लेने की और बढ़ता कदम माना जाना चाहिए.इंदिरा गाँधी के प्रधानमन्त्री बनने के बाद भी राजनीति में महिलाओं के लिए संघर्ष अभी कम नही हुआ है. इसका प्रमुख कारण पितृसत्तात्मक समाज का होना है. 4946 में भारत की सविंधान सभा के निर्माण के समय 44 महिलाओं को सदस्य रूप में शामिल किया गया था. जिसमें अम्मू स्वामीनाथन, दक्ष्यानी वेलायुद्धं,दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, मालती चौधरी,हंसा मेहता,पूर्णिमा बनर्जी,कमला चौधरी, बेगम अज़ीज रसूल,सरोजनी नायडू, बेगम जहाँ नारा शाह नवाज़, बेगम इकरमुल्लाह और लीला राय जी थीं.

4975 में भारत में महिलाओं की स्थिति समिति रिपोर्ट(CSWI) के प्रकाशन के साथ ही पंचायती निकायों में महिलायों के आरक्षण की मांग उठने लगी. परिणाम स्वरूप संसद ने 4992 में जाकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायत निकायों में महिलाओं को 4/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया. 4992 का ही 74 वां सविंधान संशोधन अधिनियम नगरपालिका क्षेत्र में वहाँ की कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करता है. यह कुल सीटों में से 4/3 स्थान महिलाओं ,जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या सम्मिलित है-के लिए आरक्षित करता है. राजनैतिक दृष्टि से महिलाओं की स्वतन्त्रता पूर्ण उड़ान और उनके बराबरी के आन्दोलन के लिए ये दोनों सविंधान संशोधन बहुत माइने रखते हैं.

अंतर संसदीय यूनियन की रिपोर्ट 2043 के अनुसार, 488 देशों में से भारत का 408 वां स्थान है. इतने संघर्ष के बावजूद पार्टियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाने के कारण 2044 में जाकर रिकॉर्ड 64महिला सांसद चुनी गई . ये कुल का मात्र 44.23 प्रतिशत ही रहा. महिलाओं की राजनैतिक राह को सही दिशा देने के अभी 9 मार्च 2040 को राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिलनी जरूरी है. जिसके बाद भारत में लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना अनिवार्य हो जायेगा. देश की आधी आबादी के 33 प्रतिशत नाकाफी है, फिर भी यह वर्तमान दयनीय स्थिति को सकारात्मक बनाने के लिए उपयोगी होगा.इस दिशा में महिलाओं को अभी संघर्ष करना जरूरी है.

4.7.2 प्रत्येक सामाजिक,आर्थिक एवं राजनैतिक स्तर पर बराबरी तथा भागीदारी

आजादी के पूर्व कई समाजिक,आर्थिक एवं राजनैतिक आंदोलनों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही. इस भागीदारी को उत्कर्ष आजादी के बाद बाद मिला. देश आजादी के कुछ समय बाद ही भूदान आन्दोलन अपना व्यापक प्रभाव दिखाता है. 4950 में शुरू हुए भूदान आन्दोलन में महिलाओं की सक्रिय प्रशंसनीय रही.जिसने समाजिक रूप से अपने को सक्रिय करने की प्रेरणा एवं ताकत दी.

विभिन्न आन्दोलन में सक्रियता एवं नेतृत्व महिलाओं की सामाजिक चेतना का प्रतीक के रूप में चिपको आन्दोलन मील का पत्थर साबित हुआ. इस आन्दोलन ने पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई. चमोली जिले के गोपेश्वर कस्बे से शुरू इस आन्दोलन में गांव की महिलायें पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक गईं. इस तरह महिलाओं ने पर्यावरण को लेकर वैश्विक जागरूकता पैदा की. इस आन्दोलन से महिला सशक्तिकरण को नई ताक़त और ऊँचाई मिली.4972-4973 में अपने स्वरूप में आए इस आन्दोलन में गौरा देवी को प्रमुख पहचान मिली. जिसने महिला नेतृत्व को बहुत बल दिया.

इला भट्ट 4972 में 'सेवा' संगठन की संस्थापक हैं. महिलाओं के पूर्ण रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों के प्रति समर्पित सुश्री भट्ट को कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया गया. इला भट्ट ने सहकारिता श्रम और महिलाओं के वित्तीय आन्दोलन को प्रोत्साहन किया है.

इसी तरह भारतीय लोकतान्त्रिक महिला संगठन (एडवा) महिला विषयक मुद्दों के प्रति समर्पित संगठन है. यह संगठन महिलाओं की समानता,लोकतंत्र में उचित स्थान तथा हर स्तर पर होने वाले शोषण के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करता है. 4984 में राष्ट्रीय स्वरूप लिए यह संगठन लगभग सभी राज्यों में महिलाओं के मुद्दों पर सक्रिय है.

सामजिक पहचान के रूप में नर्मदा आन्दोलन ने मेधा पाटेकर को नई पहचान दी. 4985 में शुरू महिलाओं द्वारा चलाये इस आन्दोलन ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि किस तरह से एक गंभीर सामाजिक, पर्यावरण और विस्थापन से जुड़े गम्भीर मुद्दे को आवाज़ दी. तथा पूरी दुनिया का ध्यान

विकास की वैकल्पिक अवधारणा की और खींचा. मेधा पाटेकर के कुशल नेतृत्व में नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर के विरुद्ध आदिवासी-जनजातीय लोग,किसान, सामजिक संरक्षणवादी, मानव अधिकार के प्रति समर्पित कार्यकर्ता सक्रिय हुए. महिला नेतृत्व की भावना के विकास की दृष्टि से यह एक सफल आन्दोलन रहा. जिसने अन्य महिलाओं को नेतृत्व की नई राह दिखाई.

महिला नेतृत्व की दृष्टि से एक अन्य गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित नाम निर्मला देश पांडे का है. उन्होंने अखिल भारत रचनात्मक समाज, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, आदि संगठनों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया. निर्मला देशपांडे जी का जीवन वंचितों,आदिवासियों और महिलाओं के विकास के लिए समर्पित रहा. 4980 के दशक के आसपास आंतक से ग्रस्त पंजाब और जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने में लडकियों और महिलाओं को शान्ति स्थापना के लिए प्रेरित किया. 2006 में निर्मला देश पांडे जी के इन्हीं प्रयासों के कारण भारत सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

महिला नेतृत्व की दृष्टि से सम्पत पाल के गुलाबी गैंग का नाम भी लिया जा सकता है. 4980 में सम्पत पाल तथा उनकी अन्य सहयोगिनी महिलाओं ने महिलाओं के प्रति उनके पतियों द्वारा किये जा रहे शोषण और दुर्व्यवहार के विरुद्ध एक संगठित प्रयास प्रारम्भ किया. अपनी अलग पहचान के लिए इस संगठन से जुडी महिलाएं गुलाबी रंग की साड़ी पहनती हैं. महिलाओं में आत्मबल बढ़ाने के लिए इस समूह से जुडी महिलाओं ने लाठी चलाने का प्रशिक्षण लिया और अन्य महिलाओं को भी उसके लिए तैयार किया. इस संगठन का प्रभाव विशेष रूप से बुदेलखंड के क्षेत्रों में फैला हुआ है.

4.7.3. आर्थिक शोषण के विरुद्ध आन्दोलन

आजादी के पूर्व ही आर्थिक शोषण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की नींव पड़ चुकी थी, जो आजादी के बाद भी लगातार जारी दिखाई देती है. आजादी के तुरंत बाद 4948 में स्वराज्यम,अखला कमला देवी, प्रमिला इलामा आदि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने तेलंगाना में महिलाओं ने जमींदारी,महाजनों और मार-पीट के शोषण का विरोध किया. इस आन्दोलन के परिणाम-स्वरूप आंध्र युवती मंडल, आंध्र महिला सभा ,महिला संघम जैसे महिलावादी संगठन सामने आए.

अहमदाबाद में महिला कामगार यूनियन (SEWA)का गठन इला भट्ट जीके द्वारा 4972 हुआ. यह संगठन असंगठित क्षेत्र में गरीब महिला कामगारों की बेहतरी के लिए काम करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. सेवा महिलाओं को प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता प्रदान करती है . इस संगठन का आधार गांधीवादी है.

4.7.4. उपभोक्ता के हित में आवाज

महिला नेतृत्व के सन्दर्भ में ही 4973 में मुंबई में मृणाल गोर और अहल्या रंगनेकर द्वारा कीमत बढ़ाने को लेकर संघर्ष किया . जिसमें महिलाओं की बढती महगाई के मुद्दे पर जागरूक किया गया. इस आन्दोलन ने उपभोक्ता अधिकारों को लेकर जन आन्दोलन का रूप धारण किया. इस आन्दोलन ने संघर्ष के तरीके

को नया रूप दिया हजारों महिलाएं हाथ से थाली पीटती हुई बढ़ती महंगाई और कीमतों के खिलाफ खड़ी हुई. इसने महिलाओं में अपने अधिकारों के संघर्ष को लेकर अतिरिक्त सजगता भरी. इसी तरह गुजरात में नव निर्माण आन्दोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ती राजनैतिक कुशलता का सूचक है.

4970 में महिलाओं ने महाराष्ट्र में मूल्यवृधि के विरुद्ध 'यूनाइटेड विमेंस एंटी प्राइस राइज फ्रंट' की स्थापना की. 4973 में मुंबई में मृणाल गौरे,समाजवादी पार्टी और अहिल्या रंगनेकर,सी.पी.आई.(एम.) ने महिला उपभोक्ताओं के लिए जन शिक्ष्ण आन्दोलन के द्वारा किया.

4.7.5 सामाजिक बुराइयों एवं शोषण के विरुद्ध एकजुटता

शराबबंदी के विरुद्ध 4972-73 का महिला आन्दोलन उल्लेखनीय हैं,जिसमें उन्होंने इससे घरेलू हिंसा को जोड़ा. शराब माफिया के विरुद्ध उत्तराखंड, बिहार और गुजरात में महिलाओं के एकजुटता ने अपना असर दिखाया. बिहार में शराबबंदी के पक्ष में एकजुटता के कारण 2046 में पूर्ण शराब बंदी लगु हुई. गुजरात में तो यह पहले से ही लागू है. इसी तरह इस समय उत्तर-प्रदेश और छत्तीसगढ़ में महिलाएं शराबबंदी को लेकर आन्दोलनरत हैं.

4996 में 'द लायर्स कलेक्टिव, विमेंस राईट इनिशिएटिव' ने घरेलू हिंसा के विरुद्ध मुहीम चलाई .भारत में बहुत जोरदार मांग के बाद 'घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005' में पास हुआ. जिसने महिलाओं को अपने घर में कानूनी सुरक्षा का भरोसा दिलाया. 4997 में उच्चतम न्यायालय ने कार्य-क्षेत्र पर होने वाले शोषण पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. जिसे विशाखा जजमेंट के नाम से जाना जाता है. इसने महिला अधिकारों और महिला आंदोलनों को काफी मजबूती दी .इन सबके बावजूद अभी लड़ाई काफी बाकी है. 46 दिसम्बर 2042 को हुए सामूहिक बलात्कार काण्ड ने हिला कर रख दिया. निर्भया की मौत के बाद न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया एक महीने के भीतर इस समिति ने अपनी 600 पृष्ठों की रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण और दूरगामी सिफारिशे की. इन सिफारिशों में महिलाओं के विरुद्ध होने वाली यौन हिंसा, बाल यौन उत्पीडन, हिंसा के बाद होने वाली चिकित्सा जांच, पुलिस जांच आदि में सुधारों की सिफारिश शामिल हैं. इस समिति ने अपनी दृष्टि को व्यापक बनाते हुए शैक्षिक सुधारों और बलात्कार से सम्बन्धित कानूनों में सुधारों की भी वकालत की.

4.8 सारांश

भारतीय महिला आन्दोलन प्रारम्भ से ही सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रतिमानों एवं आदर्शों की जटिल बुनियादी संरचना रहा है.प्रत्येक पुरुष-सत्तात्मक समाजों में जिन जटिल परिस्थिति और दुराग्रहों का सामना महिला अधिकारवादियों को करना पड़ता है. स्वतन्त्रता पूर्व महिला आन्दोलन में सामाजिक-धार्मिक-सांस्कृतिक सुधारवादी आन्दोलन को नेतृत्व देने वाले सुधारकों ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर बहस को धार दी.इस बहस को ताकत देने के लिए महिला-पत्रिका का प्रकाशन ,महिला प्रार्थना सभा का गठन,महिला-केन्द्रित शैक्षिक कार्यक्रम का विकास,अंतर्जातीय विवाह का समर्थन,बाल विवाह निषेध,विधवा पुनर्विवाह,महिला शिक्षा आदि पर जोर दिया.49 वीं शताब्दी के अंत आते-आते

महिलाओं के अधिकार की बात उच्च वर्ग से आम वर्ग के बीच आने लगी. जिससे शिक्षा में भागीदारी की बात 4887 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे राष्ट्रीय अधिवेशन में भी बात रखी गई. राजनैतिक एवं सामाजिक अधिकार और हिस्सेदारी की दिशा में वोट का अधिकार एक बड़ा कदम माना जा सकता है,किन्तु यह भी बिना संघर्ष के नही मिला. हर धर्म के मानने वालों में निजी कानूनों में सुधार की मांग के सन्दर्भ में समान नागरिक कानून को लेकर कुछ विरोध की स्थिति भी रही. लगातार महिलाओं के दवाब के कारण अंततः 4950 में 'हिन्दू कोड बिल' आजादी के बाद पास हुआ.

इसी क्रम में 4942 के ऐतिहासिक भारत छोड़ो आन्दोलन में हजारों महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभा के राजनैतिक उपस्थिति भी दर्ज़ करवाई. स्वतंत्रता पूर्व का महिला आन्दोलन भारतीय नारीवादी आन्दोलन का प्रथम सोपान माना जा सकता है. जिसने परम्परागत भारतीय महिला की छवि से बाहर आने का प्रयास किया. स्वतन्त्रता उपरान्त के महिला आन्दोलन को में कुछ मुद्दे तो पूर्व के ही रहे साथ में श्रम आन्दोलन ने महिला नेतृत्व को एक कुशल आयाम दिया. जिसने साहस, आगे बढ़ कर निर्णय लेना, मुकाबला करना, रणनीति बनाना तथा आर्थिक चिन्तन की शुन्यता को खत्म करने का काम किया.इसके साथ ही निर्णायक पदों / सत्ता पर निर्णायक भागीदारी,प्रत्येक सामाजिक,आर्थिक एवं राजनैतिक स्तर पर बराबरी तथा भागीदारी की मांग उठने लगी. इस भागीदारी को उत्कर्ष आजादी के बाद बाद मिला.आर्थिक शोषण के विरुद्ध आन्दोलन में भी महिलावादी सोच रखने वाले संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. सामाजिक बुराइयों एवं शोषण के विरुद्ध एकजुटता,शराब माफिया के विरुद्ध आवाज़ भी महिला आन्दोलन को एक व्यापक स्वीकारोक्ति देती है. कुल मिला कर भारतीय महिला आन्दोलन अपने स्वरूप का लगातार विस्तार कर रहा है.

4.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न 1. भारतीय महिला आन्दोलन की शुरुआत किस रूप में देखने को मिलती है.

उत्तर पुरुष सुधारवादियों के कार्य में भारतीय महिला आन्दोलन की शुरुआत देखने को मिलती है . जिसके अंतर्गत पुरानी परम्पराएं , सती-प्रथा, बालविवाह , देवदासी-प्रथा आदि अंधविश्वास से मुक्ति आदि रहा. इसमें विभिन्न संगठन जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज,प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

प्रश्न 2. राजा राममोहन रॉय के योगदान को संक्षिप्त रूप से कैसे समझा जा सकता है.

उत्तर राजा राममोहन रॉय ने स्त्री-विषयक या केन्द्रित सोच के विचार को पहली बार भारत जैसे परम्परा वादी तथा पुरुषवादी सोच वाले देश में आगे बढ़ाया. रॉय ने सती प्रथा तथा कुलीन वर्ग द्वारा बहुपत्नी प्रथा का विरोध करने के साथ महिलाओं के प्रोपर्टी अधिकार की बात कही. उन्हीं के प्रयासों से 4829 में सती-प्रथा को समाप्त करने के लिए सती-प्रथा निषेध अधिनियम बनाया गया.

प्रश्न 3. स्वतन्त्रता पूर्व भारतीय महिलाओं के अधिकारों को लेकर बहस को धार किसने दी.

उत्तर सामाजिक-धार्मिक-सांस्कृतिक सुधारवादी आन्दोलन को नेतृत्व देने वाले सुधारकों ने स्वतन्त्रता पूर्व भारतीय महिलाओं के अधिकारों को लेकर बहस को धार दी.

प्रश्न 4. सरला देवी चौधुरानी ने भारत स्त्री मंडल नाम से जो संगठन बनाया था उस संगठन ने कैसे महिला सोच के व्यापक स्तर को बढ़ाया ?

उत्तर 4940 में सरला देवी चौधुरानी ने भारत स्त्री मंडल नाम से संगठन बनाया. इस संगठन ने सही माइने में सोच के व्यापक स्तर को बढ़ाया.इसने महिलाओं से जुड़े मुद्दों और महिलाओं की भागीदारी को सभी महिलाओं तक पहुँचाने का प्रयास किया. इस संगठन का उद्देश्य सभी महिलाओं को जाति,वर्ग,धर्म ,दल आदि के भेद बिना समान हितों के लिए संगठित एवं जागरूक करना था. संक्षिप्त समय के फैलाव तक सीमित रहने के बावजूद इस संगठन की नीतियों ने आगे अन्य महिला संगठनों के लिए सोचने के नीतिगत अवसर पैदा किए. इस संगठन को दो विशेषताओं के लिए याद किया जा सकता है

पहला,संगठन में सिर्फ महिलाओं को ही शामिल होने की अनुमति थी.

दूसरा, संगठन पुरुष वर्चस्व से इतर महिलाओं को अपने मुद्दों के लिए स्वयं शिक्षित होने के पक्षधर था. इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर जरुरतमन्द महिलाओं के घर जाकर ही शिक्षित किया जाता था. जिसका प्रभाव यह हुआ कि महिलाओं में अपने बलबूते अपने सगठन बनाने ,समाज को महिला नेतृत्व प्रदान करने तथा उसके लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार होने की भावना आई. जिसे बाद के आंदोलनों में देखा जा सकता है.

प्रश्न 5. स्वतन्त्रता पूर्व महिला आन्दोलनों के मूल में क्या विषय थे?

उतर स्वतन्त्रता पूर्व महिला आन्दोलनों के मूल में अग्रलिखित विषय रहे-

शिक्षा में भागीदारी

राजनैतिक अधिकार तथा हिस्सेदारी

सामाजिक सुधार

निजी कानूनों में सुधार; आदि

प्रश्न 6. स्वतंत्रता पूर्व के महिला आन्दोलन में सावित्री बाई फुले और ज्योति बा फुले को किस रूप में याद किया जाता है?

उत्तर स्वतंत्रता पूर्व के महिला आन्दोलन में महिला शिक्षा के विकास में सावित्री बाई फुले का नाम अग्रणी रूप में याद किया जाता है. सावित्री बाई फुले देश की पहली महिला अध्यापिका व नारी मुक्ति आन्दोलन की पहली नेता थीं जिन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी में ब्राह्मणवाद को सीधी चुनौती देने का साहस किया. उनके पति महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले थे जिन्होंने सती-प्रथा, छुआ-छूत, बाल-विवाह आदि कुरीतियों का विरोध किया तथा महिला शिक्षा और विधवा-विवाह का समर्थन किया.

प्रश्न 7 दिल्ली की प्रथम महिला महापौर कौन चुनी गई?

उत्तर अरुणा आसफ अली का दिल्ली में 4958 में प्रथम महापौर चुना गया.

प्रश्न 8 भारत की प्रथम महिला प्रधानमन्त्री कौन थी?

उत्तर स्व.इंदिरा गाँधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमन्त्री थीं.

प्रश्न 9.भारतीय सविंधान सभा के निर्माण में कितनी और कौन महिलायें चुनी गई?

उत्तर 4946 में भारत की सविंधान सभा के निर्माण के समय 44 महिलाओं को सदस्य रूप में शामिल किया गया था. जिसमें अम्मू स्वामीनाथन, दृक्ष्यानी वेलायुद्धं,दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, मालती चौधरी,हंसा मेहता,पूर्णिमा बनर्जी,कमला चौधरी, बेगम अज़ीज रसूल,सरोजनी नायडू, बेगम जहाँ नारा शाह नवाज़, बेगम इकरमुल्लाह और लीला राय जी थीं.

4.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. गोपा जोशी,भारत में स्त्री असमानता, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय,दिल्ली.
2. उत्पल कुमार, सेक्स और सोशल जस्टिस,शब्द संधान, नई दिल्ली.
3. मधु राठौर, पंचायती राज और महिला विकास,पॉइंटर पब्लिकेशन,जयपुर, राजस्थान,.
4. स्टेटिस्टिक्स ओं वीमेन इन इंडिया 2040, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, न्यू दिल्ली.
5. राम आहूजा, सामाजिक समस्याएं, रावत पुब्लिकातियो,जयपुर,
6. शुभ्रा परमार,नारीवादी सिद्धांत और व्यवहार,ओरियंट ब्लैक्स्वान प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.
7. सत्या एम् राय(सम्पादक),भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद , हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय,दिल्ली.
8. अपर्णा बासु, मृदुला साराभाई:रेबेल विथ अ कॉज,ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली.
9. मनमोहन कौर, रोले ऑफ़ वीमेन इन द फ्रीडम मूवमेंट, 4857-4947, स्टर्लिंग, नई दिल्ली.

4.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. आप स्वतंत्रता पूर्व के पुरुष सुधारवादियों के योगदान को भारतीय महिला आन्दोलन में किस रूप में रखते हो?
2. स्वतंत्रता पूर्व के महिला आन्दोलन पर समग्र रूप से अपने विचार व्यक्त कीजिए.
3. राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में महिलाओं की उपस्थिति पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए
4. स्वतंत्रता उपरान्त महिलाओं की समानता के संघर्ष को आप किस रूप में देखते हो? विस्तार से विचार व्यक्त कीजिए.
5. आज़ादी के बाद के महिला आन्दोलन की बदली प्राथमिकता की समीक्षा कीजिए.
6. भारतीय महिला आन्दोलन की समग्र स्थिति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।
7. स्वतंत्रता पूर्व और उपरान्त के महिला आन्दोलन की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए।

इकाई 5 - समकालीन परिदृश्य : समाज में व्याप्त जेंडर आधारित भेदभाव का सामना; लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा और उनका सर्वांगीण विकास

5.1 प्रस्तावना
5.2 उद्देश्य
5.3 संवैधानिक प्रावधान
5.4 लड़कियों की शिक्षा, जेंडर आधारित भेदभाव का सामना और महिलाओं का सर्वांगीण विकास: नीतियाँ, आयोग एवं समितियां
5.4.1 नीतिगत प्रावधान एवं सुझाव
5.4.2 आयोग और उनके सुझाव
5.4.3 समितियाँ और उनके सुझाव
5.4.4 राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति (1928)
5.5 लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा : योजनाएं एवं कार्यक्रम
5.6 सारांश
5.7 शब्दावली
5.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
5.9 निबंधात्मक प्रश्न

5.1 प्रस्तावना

इस इकाई के तहत समाज में व्याप्त जेंडर आधारित भेदभावों और लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा तथा उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में किए गए संवैधानिक प्रावधानों, विभिन्न नीतियों, आयोगों और समितियों द्वारा पहचाने गए मुद्दों व सुझाए गए उपायों की चर्चा की जा रही है।

भारतीय समाज में लम्बे समय से जेंडर आधारित भेदभाव रहे हैं और इस कारण लड़कियों की स्थिति निम्न दर्जे की रही है। इसका परिणाम है कि भारतीय संविधान में समानता के सिद्धांत को शामिल किया गया और राज्य व केंद्र सरकारों द्वारा जेंडर विभेदीकरण का सामना करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम व योजनाएं चलाई जा रही हैं। समय-समय पर बनी समितियों व आयोगों ने भी विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे जेंडर विभेदीकरण की ओर ध्यान दिलाया व उसके उन्मूलन के लिए सुझाव रखे। इस बात की महत्ता को

स्वीकारा जा रहा है कि यदि महिलाओं व लड़कियों की शिक्षा को सही दिशा नहीं मिलेगी और समाज में व्याप्त जेंडर विभेदीकरण का सामना नहीं किया जाएगा तब तक उनका सर्वांगीण विकास नहीं होगा।

यह ध्यान रखना होगा कि जेंडर विभेदीकरण का मुद्दा केवल लड़कियों व महिलाओं से ही सम्बंधित नहीं है। इसमें स्त्री, पुरुष के अलावा अन्य जेंडर भी शामिल हैं। 'जेंडर' लोगों से सम्बंधित मुद्दा है। इस इकाई में अध्ययन का विषय समाज में व्याप्त जेंडर आधारित भेदभावों को लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा के सन्दर्भ में देखना है।

5.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप -

1. लड़कियों महिलाओं की शिक्षा एवं जेंडर आधारित भेदभाव के समकालीन परिदृश्य से परिचित हो सकेंगे।
2. लड़कियों की शिक्षा एवं महिलाओं के प्रति भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से अवगत हो सकेंगे।
3. विभिन्न नीतियों, आयोगों एवं समितियों ने जेंडर आधारित भेदभावों का सामना करने एवं लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा हेतु जिन महत्वपूर्ण मुद्दों को पहचाना और सुझाव दिए उन्हें जान सकेंगे।
4. विभिन्न स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा एवं महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों व योजनाओं से परिचित हो सकेंगे।
5. जेंडर आधारित भेदभावों को पहचान पाएंगे और महिलाओं के सर्वांगींण विकास की आवश्यकता के प्रति सजग एवं संवेदनशील हो सकेंगे।

5.3 संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान समानता के सिद्धांत (संविधान की प्रस्तावना और भाग- III में समानता का सिद्धांत) की बात करता है जिसके आधार पर महिलाओं को लिंग (सेक्स) के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा हासिल है। इस प्रकार संविधान में वर्णित सभी अधिकार और स्वतंत्रताएं जितनी पुरुषों पर लागू होती हैं महिलाओं पर भी होती हैं।

सर्वप्रथम भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि महिला एवं पुरुष दोनों के साथ समान बर्ताव किया जाए। अनुच्छेद 14 – राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता व कानून के तहत समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता, अनुच्छेद 15 (1) कहता है कि राज्य को किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 16 (1) एवं (2) - सामान्य तौर पर भेदभाव को रोकता है और व्यवसाय में तथा राज्य के अधीन काम करने वाले लोगों के बीच लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकता है।

दूसरा, संविधान मानता है कि कुछ मामलों में महिलाओं के साथ सही बर्ताव नहीं हुआ है ,उन्हें समान दर्जा नहीं मिला है और उन्हें निम्न दर्जे पर रखा गया । इस अन्याय को समाप्त करने और समानता को सुरक्षित करने के लिए संविधान राज्य को महिलाओं के पक्ष में कुछ विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है जैसा कि अनुच्छेद 15 (3) कहता है कि "राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।"

इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने को वैध माना है . इसी तरह , महिला कॉलेजों में कुछ पदों पर महिलाओं के लिए प्राथमिकता रखना अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं माना जायेगा .

इसी प्रावधान के मद्देनजर अनुच्छेद 243 D और 243 T पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 33 % सीटों को आरक्षित करने की बात करता है।

तीसरा , संविधान राज्य को यह दायित्व देता है कि वह समाज के कमजोर तबके की स्तिथि में सुधार लाने हेतु विशेष प्रयास करे जिसमें महिलाएं भी शामिल होंगी . चौथा, संविधान राज्य को यह भी अनुमति देता है कि वह महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए कदम उठा सके .

पहली दो बातें मूलभूत अधिकारों के तहत कही गयी हैं और तीसरी व चौथी बात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कही गयी हैं जिन्हें देखने का दायित्व राज्य का है .

अनुच्छेद 21(A)- संविधान के 86 वें संशोधन एक्ट, 2002 के तहत एवं अनुच्छेद 21(A) के अनुसार 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने मूलभूत अधिकार है.

इस प्रकार शिक्षा न केवल किसी एक का प्राधिकार है न ही किसी के द्वारा की जा रही कृपा बल्कि यह एक मूलभूत अधिकार है और प्रत्येक लड़की व महिला भी इसकी हकदार.

मूलभूत अधिकारों के अलावा राज्य के निति निर्देशक सिद्धांतों में भी महिलाओं के लिए कुछ प्रासंगिक प्रावधान किए गए हैं जैसे कि:

अनुच्छेद 39 (डी) - पुरुष और महिला दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन

अनुच्छेद 51 A (e) – देश के नागरिकों का कर्त्तव्य है कि वे किसी भी ऐसे प्रचलित व्यवहार को जो महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक हो उसे हतोत्साहित करे, उसकी निंदा करे .

5.4. लड़कियों की शिक्षा, जेंडर आधारित भेदभाव का सामना और महिलाओं का सर्वांगीण विकास: नीतियाँ, आयोग एवं समितियां

समाज में व्याप्त जेंडर आधारित भेदभाव को देखते हुए लड़कियों व महिलाओं के सर्वांगीण विकास में बाधा उत्पन्न न हो और उन्हें भी सामान अवसर मिलें इसके लिए कई नीतियाँ बनाई जाती रही हैं। विभिन्न आयोगों ने अपने प्रतिवेदनों और रिपोर्ट्स में लड़कियों की शिक्षा की बात करते समय जेंडर आधारित भेदभाव को संबोधित किया गया है। इसके साथ ही कई समितियों को भी इन मुद्दों पर कार्य करने के लिए विशेष रूप से गठित किया जाता रहा है जिन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा और उनके साथ होने वाले भेदभाव को ध्यान में रखते हुए कई सुझाव रखे हैं। यहाँ इन्हीं नीतियों, आयोगों और समितियों की चर्चा की जा रही है:

5.4.1. नीतिगत प्रावधान एवं सुझाव:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन (1992) और राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति (2001), लड़कियों की शिक्षा और जेंडर आधारित भेदभावों की बात करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ कहे जा सकते हैं .

1. **महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा :1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति**

   राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) का कहना था कि "लड़कियों की शिक्षा पर बल केवल सामाजिक न्याय के कारण नहीं बल्कि इसलिए देना होगा क्योंकि यह सामाजिक रूपांतरण को गति प्रदान करता है।"

   इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बिंदु 4.2 महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा की बात करते हुए कहता है कि शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जायेगा. अतीत से चली आ रही विकृतियों और विषमताओं को ख़त्म करने के लिए शिक्षा-व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में होगा. राष्ट्रीय शिक्षा-व्यवस्था ऐसे प्रभावी दखल करेगी जिनसे महिलाएं, जो अब तक अबला समझी जाती रहीं हैं, समर्थ और सशक्त हों. नए मूल्यों की स्थापना के लिए शिक्षण संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से पाठ्यक्रमों तथा पठन-पाठन सामग्री की पुनर्रचना की जायेगी तथा अध्यापकों व प्रशाश्कों का पुनःप्रशिक्षण किया जाएगा. इस काम को सामाजिक पुनर्रचना का अभिन्न अंग मानते हेइसे पूर्ण कृतसंकल्प होकर किया जाएगा. महिलाओं से सम्बंधित अध्ययन को विभिन्न पाठ्यचर्याओं के भाग के रूप में प्रोत्साहन दिया जायेगा और शिक्षा संस्थाओं को महिला विकास के सक्रिय कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया जायेगा.

   इसी नीति का बिंदु 4.3. महिलाओं में साक्षरता प्रसार को तथा उन रुकावटों को दूर करने को जिनके कारण लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाएगी.

इस काम के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी, समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए जायेंगे और उनके क्रियान्वयन पर कड़ी निगाह रखी जाएगी. विभ्भिन्न स्तरों पर तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर ख़ास ज़ोर दिया जाएगा. लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार का भेदभाव न बरतने की निति पर पूरा ज़ोर देकर अमल किया जाएगा ताकि तकनिकी तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में पारंपरिक रवैयों के कारण चले आ रहे लिंगमूलक विभाजन (सेक्स स्टीरियोटाइपिंग) को खत्म किया जा सके तथा गैर-परम्परागत आधुनिक काम-धंधों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ सके. इसी प्रकार मौजूदा और नई प्रोद्योगिकी में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जायेगी.

(स्रोत : राष्ट्रीय शिक्षा नीति ,1986, पृष्ठ सं. – 4,5)

2. प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन (1992)

प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन (1992) ने महिला सशक्तिकरण के लिए जिन प्रयासों की बात की उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :-

- महिलाओं का आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास बढ़ाना.
- राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं के योगदानों को पहचान कर उनकी सकारात्मक छवि बनाना.
- आलोचनात्मक नज़रिए का विकास करना.
- निर्णय लेने की क्षमता और एक साथ आकर कार्य करने को बढ़ावा देना.
- शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य विशेषकर प्रजनन सम्बन्धी स्वास्थ्य के क्षेत्र में सचेत होकर विकल्पों को चुनने की क्षमता का विकास.
- विकासात्मक प्रक्रियाओं में महिलाओं की समान भागीदारी को सुनिश्चित करना.
- आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए सूचना, ज्ञान और कौशल प्रदान करना.
- यह ध्यान में रखते हुए कि लड़कियों व महिलाओं की सभी क्षेत्रों में बराबर भागीदारी हो कानूनी साक्षरता तक उनकी पहुँच बनाना, उनके अधिकारों से सम्बंधित सूचना प्राप्त करना तथा समाज में जिन अधिकारों की वे हकदार हैं उन्हें दिलाना.

(स्रोत: प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन(1992) पृष्ठ सं.-2)

3. **राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति (2001):** लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति (2001) ने भी उठाई. इस नीति का कहना है कि-

    - एक ओर संविधान, विधानों, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और सम्बन्ध तंत्रों में प्रतिपादित लक्ष्यों तथा दूसरी ओर भारत में महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में परिस्थितिजन्य

वास्तविकता के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट "समानता की ओर", 1974 में इसका विस्तृत रूप विश्लेषण किया गया है । (बिंदु 1.7)

- जेंडर सम्बन्धी असमानता कई रूपों में उभरकर सामने आती है, जिसमे से सबसे प्रमुख विगत कुछ दशकों में जनसंख्या में महिलाओं के अनुपात में गिरावट की रुझान है। सामाजिक रुढ़िवादी सोच और घरेलु तथा समाज के स्तर पर हिंसा इसके कुछ अन्य रूप हैं। बालिकाओं, किशोरियों तथा महिलाओं के प्रति भेदभाव भारत के अनेक भागों में जारी है। (बिंदु 1.8)
- महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा तक सामान पहुँच को सुनिश्चित किया जाएगा। भेदभाव मिटाने, शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाने, निरक्षरता को दूर करने, लिंग संवेदी शिक्षा पद्धति बनाने, लड़कियों के नामांकन और अवधारण की दरों में वृद्धि करने तथा महिलाओं द्वारा रोजगार/व्यवसायिक/ तकनिकी कौशलों के साथ-साथ जीवन पर्यंत शिक्षण को सुलभ बनाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में लिंग भेद को कम करने की ओर ध्यानाकर्षित किया जाएगा। लड़कियों और महिलाओं, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/ अल्पसंख्यकों समेत कमजोर वर्गों की लड़कियों और महिलाओं पर विशेष ध्यानाकर्षित करते हुए मौजूदा नीतियों में समय सम्बन्धी सेक्टोरल लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा । लिंग भेद के मुख्य कारणों में से एक के रूप में लैंगिक रूढ़िबद्धता का समाधान करने के लिए शिक्षा पद्धति के सभी स्तरों पर लिंग संवेदी कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे । (महिलाओं का सामाजिक सशक्तीकरण, बिंदु: शिक्षा 6.1)

5.4.2 आयोग और उनके सुझाव

स्वतंत्रता के बाद लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए कई आयोगों और समितियों ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया । लड़कियों की शिक्षा के रास्ते में बाधक कारकों को पहचान कर इनके निवारण के लिए कई सुझाव भी दिए। विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग (1948-49), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53), श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख कमेटी(1958-59), श्रीमती हंसा मेहता कमेटी (1962), भक्तवत्सलम कमेटी (1963), कोठारी कमीशन/ शिक्षा आयोग (1964-66) तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), आदि ने अपनी संस्तुतियां दीं। यहाँ पहले विभिन्न आयोगों के प्रतिवेदनों व रिपोर्ट्स की चर्चा की जा रही है। इसके बाद कमेटियों की रिपोर्ट्स की चर्चा की जाएगी।

1. **विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49):** डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा के महत्व पर जोर दिया । इस आयोग का विचार था कि लोगों की राय ऐसी मालूम होती है कि 13 या 14 वर्ष की आयु से लगभग 18 वर्ष की

आयु तक लड़के- लड़कियों के विद्यालय अलग-अलग हों। आयोग ने अनुभव किया कि यह स्पष्ट नहीं होता कि इस विचारधारा का आधार रीति –रिवाज़ हैं या अनुभव। आयोग की सिफारिशों के अनुसार-

- कॉलेज में प्रवेश की आयु लगभग 18 वर्ष हो। अतः कॉलेज में सहशिक्षा हो सकती है जैसा कि आज तक मेडिकल कॉलेज में है। इस स्तर पर अलग कॉलेजों के बनाने में अनावश्यक रूप में व्यय की वृद्धि होगी। ..... लड़कियों के अलग कॉलेजों में साधारणतया हीन उपकरण, अपेक्षाकृत कम योग्यता वाले अध्यापक और
  अनुपयुक्त विद्यालय भवन होते हैं। यथासंभव कॉलेज स्तर पर सहशिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए।
- महिलाओं को पुरुषों के सामान शैक्षिक अवसर प्राप्त होने चाहिए।
- ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि महिलाओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्राप्त हो ताकि वे अच्छी माता और अच्छी गृहणी बन सकें।
- स्त्रियों की शिक्षा में गृह- अर्थशास्त्र और गृह- प्रबंध का समुचित शिक्षा व्यवस्था में प्रावधान अवश्य हो, उन्हें इन विषयों के लिए अधिक प्रेरित किया जाए।

2. **माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) :** डॉ ए. लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में बने इस कमीशन को मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में महिलाओं की शिक्षा की बात करते हुए संविधान के अनुच्छेद 16(a) का हवाला दिया और कहा कि- शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में 'सेक्स' के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता इसलिए शिक्षा के सभी क्षेत्रों में लड़कियों की भागीदारी होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक समाज में लड़के और लड़कियों दोनों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
3. **कोठारी कमीशन/ शिक्षा आयोग (1964-66) :** भारत सरकार द्वारा 14 जुलाई, 1964 को पारित प्रस्ताव के अनुसार एक कमीशन नियुक्त करने की घोषणा की गई और इसलिए शिक्षा आयोग का गठन सभी स्तरों पर तथा सभी पहलुओं पर शिक्षा के विकास के लिए एवं शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति एवं सामान्य सिद्धांतों और नीतियों के निर्धारण से सम्बंधित प्रश्नों पर सरकार को परामर्श देने के लिए किया गया। इसे कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके अध्यक्ष प्रो. दौलतसिंह कोठारी थे। इस आयोग ने लड़कियों व स्त्रियों की शिक्षा के लिए जो सिफारिशें कीं वो इस प्रकार हैं:
   आयोग ने इससे पहले की विभिन्न समितियों की सिफारिशों का अनुमोदन इन शब्दों में किया -

स्त्रियों की शिक्षा की समस्या पर हाल के वर्षों में अनेक समितियों ने विचार किया है : श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति ; श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में लड़कों और लड़कियों की पाठ्यचर्याओं के विभेदीकरण के लिए नियुक्त समिति और श्री एम. भक्तवत्सलम की

अध्यक्षता में नियुक्त समिति, जिसने कम विकसित लडकियों की शिक्षा वाले छ: राज्यों में समस्या का अध्ययन किया। हम इन समितियों की सिफारिशों का पूर्ण अनुमोदन करते हैं। (बिंदु 6.55.)

इसके बाद आयोग अपने प्रतिवेदन के (बिंदु 6.56.) में कहता है कि- हमारी सम्मति में लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा के विकास के लिए दो प्रकार की नीति अपनानी पड़ेगी। पहली यह कि, राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति द्वारा सिफारिश किए गए 'विशेष' कार्यक्रमों पर बल दिया जाए; और दूसरी यह कि सभी स्तरों पर और सभी क्षेत्रों में शिक्षा के सुधार और विस्तार के सामान्य कार्यक्रमों के अभिन्न अंग के रूप में लड़कियों की शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाए। पहली नीति के बारे में हमारी सिफारिश है कि, जैसा कि राष्ट्रीय समिति ने कहा है, निम्न ढंग से कार्यवाही की जाए:

i. अगले कुछ वर्षों तक स्त्रियों की शिक्षाक को शिक्षा का एक मुख्य कार्यक्रम मन जाए और उसमे आने वाली कठिनाईयों का सामना करने और पुरुषों और स्त्रियों की शिक्षा के बीच के अंतर को यथसंभव कम से ऍम समय में दूर करने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ प्रयत्न किया जाए।
ii. इस प्रयोजन के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएं और उनके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जाए। और
iii. केंद्र और राज्यों, दोनों में, लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की देखभाल के लिए एक विशेष संगठन स्थापित किया जाए। यह संगठन सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों को स्त्रियों की शिक्षा के कार्यक्रमों के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए एक जगह लाए।

(बिंदु 6.57.) घर की चहारदीवारी के बाहर स्त्रियों का कार्य आज देश के सामाजिक और आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है और आगामी वर्षों में वह और बड़ा आकार धारण कर लेगा जिसका प्रभाव अधिकतर स्त्रियों पर पड़ने लगेगा। इसलिए यह आवश्यक होगा कि स्त्रियों को प्रशिक्षण और रोजगार देने की समस्याओं की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाए।

i. अंशकालिक रोजगार के अवसर जिनसे स्त्रियाँ अपने घरों की देखभाल भी कर सकें और बाहर जीवन के लिए कोई पेशा भी अपना सकें, बड़े पैमाने पर बढाने होंगें।
ii. साथ ही पूर्णकालिक रोजगार के अवसर भी बढ़ाने पड़ेंगे।

अब उन समितियों की रिपोर्ट्स और संस्तुतियों को देखते हैं जिन्हें लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तीकरण के लिए सुझाव देने के लिए गठित किया गया था।

5.4.3 समितियाँ और उनके सुझाव

1. **राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति (1958) :** भारत सरकार द्वारा स्त्री-शिक्षा पर विचार करने के लिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का कार्य स्त्री-शिक्षा के प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों में सुझाव देना था। प्राथमिक विद्यालयों में

अध्यापिकाओं का काफी अभाव था। सन् 1959 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते वक़्त इस समिति ने निम्नलिखित सुझावों को रखा-

- कुछ समय के लिए लड़कियों की शिक्षा को विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार किया जाए, आने वाले वर्षों में उचित धन की व्यवस्था की जाए ताकि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए अधिक शिक्षा सुविधाएं प्रदान की जा सकें।
- केन्द्रीय स्तर पर "राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद्" की स्थापना की जाए और सम्बंधित कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट इकाईयां बनायीं जाएं।
- प्रत्येक राज्य में " राज्य महिला शिक्षा परिषद् हो" और लड़कियों की शिक्षा के लिए पृथक निदेशालय हो।

इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 1959 में राष्ट्रीय महिला परिषद् की स्थापना की गई और शिक्षा मंत्रालय में स्त्री शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए पृथक इकाई भी नियुक्त की गई थी।

2. **हंसा मेहता समिति(1962) :** लड़के-लड़कियों के पृथक पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं संभावना पर विचार करने के लिए श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने काफी विचार-विमर्श के पश्चात यह तय किया कि- हम जिस गणतांत्रिक और समाजवादी ढंग के समाज की कल्पना करते हैं उसमे शिक्षा का रूप वैयक्तिक योग्यता, भाव और अभिरूचियों पर निर्भर होगा, जिनका लिंग से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए ऐसे समाज में शिक्षा पाठ्यक्रम में लिंग के आधार पर भेदभाव करना आवश्यक नहीं है। पर इसके साथ ही समिति ने यह भी स्वीकार किया कि इस प्रकार के समाज के निर्माण में अभी काफी देर लगेगी इस संक्रांति-काल में हमें लड़के-लड़कियों के बीच मनोवैज्ञानिक भिन्नताएं और समाज की व्यवहारिक भिन्नता को मानना होगा और इसे ही लड़के-लड़कियों के लिए पाठ्यक्रम बनाने के लिए व्यवहारिक आधार मानना होगा। ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए की वे मान्यताएं और भावनाएं उत्पन्न हों, जो आगे आवश्यक हैं और ऐसा कोई भी कार्य न किया जाए जिससे वर्तमान समय के जेंडर भेदभावों में वृद्धि हो। इस समिति का कहना था कि- यदि नए आधार के समाज का निर्माण करना है तो स्त्रियों को वास्तविक और प्रभावपूर्ण ढंग से पुरुषों के सामान अवसर देने होंगें।
3. **भक्तवत्सलम समिति (1963):** राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा परिषद् ने मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री श्री भक्तवत्सलम की अध्यक्षता में 1963 में समिति को नियुक्त किया जिसने लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के सहयोग के अभाव के कारणों की जांच की तथा निम्नलिखित सिफारिशें की:

- विवाहित स्त्रियों को कम से कम पार्ट-टाइम अध्यापिकाओं और स्कूल मदर्स के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए तथा लड़कियों की शिक्षा के प्रति विरोध भावना को समाप्त करने के लिए पर्याप्त प्रचार करने में जनता के सहयोग की मांग की।
- प्रचार कार्यक्रमों जैसे कि रेडियो द्वारा वार्तालाप, श्रव्य- दृश्य साधनों और पात्र-पत्रिकाओं के प्रोयग द्वारा राज्य सरकारें स्त्री- शिक्षा के प्रति जनमत बनाएं।
- राज्य सरकारों का यह लक्ष्य होना चाहिए कि सभी प्राथमिक स्कूलों में अध्यापिकाएं नियुक्त की जाएँ और सह-शिक्षा वाले स्कूलों में भी अधिक से अधिक अध्यापिकाएं नियुक्त की जाएं। अधिक अध्यिपकाओं की नियुक्ति से सह-शिक्षा वाले स्क्कूलों में बच्चों को भेजने के लिए अभिभावकों को प्रोत्साहन मिलेगा।

4. **"समानता की ओर" : महिलाओं की स्थिति पर गठित समिति (1971-74) की रिपोर्ट :** इस समिति का कहना है कि देश में होते आर्थिक और सामाजिक बदलावों ने महिला सुधार से जुड़ी नई चुनौतियों/ समस्याओं को पेश किया। भारतीय सरकार को इस कारण महिलाओं के अधिकार एवं हैसियत से जुड़े प्रश्नों की विस्तृत पड़ताल की आवश्यकता हुई जो सामाजिक नीतियां विशेषकर शिक्षा नीतियों में सहायक दिशा- निर्देश दें सकें। इस उद्देश्य के साथ शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय, भारतीय सरकार ने सितम्बर 22,1971 को इस समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट "समानता की ओर" (Towards Equality) शीर्षक से दिसम्बर 1974 में पेश की। समिति के मोटे तौर पर निम्नलिखित तीन आयाम और उद्देश्य इस प्रकार थे:

- महिलाओं की सामाजिक स्थिति, उनकी शिक्षा और रोजगार पर संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों के असर की जांच-पड़ताल करना। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले दो दशकों में महिलाओं की स्थिति के सन्दर्भ में इन प्रावधानों की प्रभाविकता को आँकना जिससे कि और अधिक प्रभावी कार्यक्रम सुझाए जा सकें।
- महिलाओं की स्थिति को बदलते हुए सामाजिक प्रतिरूपों के संदर्भ में देखना।
- क़ानून, शिक्षा, रोजगार, जनसंख्या, नीतियों आदि के क्षेत्र में उन कारकों को निर्धारित करना जो इन क्षेत्रों में महिलाओं की धीमी प्रगति के लिए उत्तरदायी हैं और इन कारकों के निवारण हेतु उपाय सुझाना जिससे कि महिलाएं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अपनी उपुक्त और पूरी भूमिका निभा सकें। (बिंदु : 1.01: पृष्ठ सं.- 1)

  समिति ने महिलाओं की शिक्षा व समाज में व्याप्त जेंडर आधारित भेदभावों पर विस्तार से चर्चा की है और उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कई सिफारिशें भी कीं जैसे कि समिति की रिपोर्ट का अध्याय VI शिक्षा पर चर्चा करते हुए शैक्षिक विकास सम्बन्धी सिफारिशों की बात करता है। इन सिफारिशों को मोटे तौर पर इन दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है: 1) औपचारिक व्यवस्था सम्बन्धी सिफारिशें ; 2) अनौपचारिक व्यवस्था सम्बन्धी सिफारिशें।

औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के तहत जिन मुद्दों पर सिफारिशें की गईं उनमे प्रमुख थे: सह-शिक्षा का विकास, लड़के तथा लड़कियों दोनों के लिए सामान पाठ्यचर्या का सुझाव, विद्यालय पूर्व शिक्षा की बात , 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण और मिडिल स्कूल से सेक्स एजुकेशन देने की बात आदि।

अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं की सामाजिक प्रभाविकता को बढ़ाने की बात की है जो कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी। इसके तहत उन महिलाओं की शिक्षा को महत्त्व देने की बात की गई है जो अपनी उम्र, सामाजिक जिम्मेदारियों और साक्षरता की कमी के कारण औपचारिक व्यवस्था तक नहीं पहुँच पाई हैं।

कामकाजी महिलाओं की समस्याओं जिसमे रोजगार और पारिश्रमिक दिए जाने के तहत होने वाला भेदभाव भी शामिल है, जैसे मुद्दों पर भी इस रिपोर्ट में चर्चा की गई।

5. **लड़कियों की शिक्षा, समान स्कूल व्यवस्था और विशेष बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा (2005) -** 8 दिसम्बर, 2004 को असम के मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। एन. सी. ई. आर. टी. के निदेशक प्रो. कृष्ण कुमार समिति के सचिव-सदस्य थे। कुल 15 सदस्यों की इस समिति ने जिन मुद्दों पर काम किया उनमें से एक मुद्दा लड़कियों की शिक्षा भी रही। इस समिति का एक उद्देश्य, लिंग आधारित भेदभाव को कम करने वाली विशेष नीतियों और तात्कालिक प्रावधानों का परीक्षण करना एवं शिक्षा के सभी क्षेत्रों में लड़कियों व महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना था। लड़कियों की शिक्षा के सन्दर्भ में समिति की कुछ महत्वपूर्ण बाते इस प्रकार हैं:

   महिलाओं को दी जाने वाली शिक्षा के प्रति अपनाए जाने वाले यांत्रिक दृष्टिकोण का जोरदार तरीके से विरोध करने की जरुरत है जिसके तहत यह समझा जाता है कि जन्मदर को नियंत्रित करने, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, सेवाओं में होने वाले कम खर्चे तथा गिरती हुई शिशु मृत्युदर आदि के लिए ही महिलाओं को शिक्षित करने की जरुरत है। इस तरह के दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से लड़कियों को दी जाने वाली शिक्षा के स्तर और उसके प्रकार पर असर पड़ रहा है और आज भी लड़कियों की शिक्षा जेंडर आधारित रूढ़िवादिता (gender-stereotyped) से ग्रसित है। अभी भी लड़कियों की शिक्षा के सन्दर्भ में उनके प्रदर्शन और शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी अर्थवान भागीदारी से ज्यादा जोर उनकी साक्षरता और अनौपचारिक-शिक्षा (जो कि प्रायः औसत दर्जे की ही होती है); तथा स्कूलों में उनके नामांकन तक ही सिमित है। यह जरुरी है कि लड़कियों की शिक्षा के सन्दर्भ में लक्ष्य की प्राप्ति को केवल उनके नामांकन व उनके स्कूलों में रुक पाने (retention) तक ही सिमित करके न देखा जाए बल्कि सभी विषयों और सभी स्तरों पर भी उनकी उपलब्धि एवं प्रदर्शन को देखा जाए। साथ ही इस बात को समझने की सख्त जरुरत है कि लड़कियों के लिए शिक्षा को प्रारंभिक स्तर से ऊपर भी सुनिश्चित किया जाए, इसे समर्थन दिया जाए।

समिति ने महसूस किया कि सभी को एक हद तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की संवैधानिक प्रतिबद्धता पर जोर दिए जाने की जरुरत है । इस तरह लड़कियों की शिक्षा के लिए अच्छी गुणवत्तापूर्ण नियमित स्कूलिंग (रेगुलर स्कूलिंग) के स्थान पर वैकल्पिक स्कूलिंग के किसी भी तरह के विकल्प को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

केंद्र व राज्य सरकारें भी समय-समय पर कई योजनाएं व कार्यक्रम लेकर आती हैं जिनके माध्यम से वे लड़कियों व महिलाओं के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करने का प्रयास करती हैं, यहाँ उनमे से कुछ योजनाओं व कार्यक्रमों का उल्लेख किया जा रहा है

5.5 लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा : योजनाएं एवं कार्यक्रम

i. **महिला समाख्या -** महिला समाख्या योजना ग्रामीण क्षेत्रों खासकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं की शिक्षा तथा उनके सशक्तिकरण के लिए 1989 में शुरू की गई। राष्ट्रिय शिक्षा नीति, 1986 के उद्देश्यों के अनुरूप लक्ष्य हासिल करने के लिए एक ठोस कार्यक्रम के रूप में इसकी शुरूआत हुई। समानता हासिल करने व महिलाओं को शिक्षित बनाने में इस योजना को महत्वपूर्ण मन जा सकता है । महिला संघ, गांव स्तर पर महिलाओं के मिलने, सवाल करने और अपने विचार रखने तथा अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने के अलावा अपनी इच्छाओं को जाहिर करने का स्थान मुहैया कराते हैं। महिला संघों ने ग्रामीण महिलाओं के दृष्टिकोण में विभिन्न कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से बदलाव किया है जिसका प्रभाव अब घर, परिवार में, सामुदायिक तथा ब्लॉक और पंचायत स्तर पर देखा जा सकता है। कार्यक्रम में बच्चों खासकर लड़कियों की शिक्षा की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करने पर भी ध्यान केंद्रित हुआ है जिससे कि लड़कियों को भी बराबर का दर्जा और अवसर मिल सके। इसके परिणाम स्कूलों में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि और स्कूल न छोड़ने के रूप में सामने आए हैं। महिला समाख्या योजना आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि कई राज्यों में चल रही है।

   उत्तराखंड में महिला समाख्या कार्यक्रम ने अपने परियोजना क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से महिलाओं को जुटाया है। महिला संघ यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं कि लड़कियों को उनकी पात्रता मिले और शिक्षा में सामान रूप से उनकी भागीदारी हो।

ii. **कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना:** भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया

गया था। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत प्रथम दो वर्ष तक एक अलग योजना के रूप में सर्व शिक्षा अभियान, बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम व महिला समाख्या योजना के साथ सामंजस्य बैठाते हुए शुरू की गई थी, लेकिन 1 अप्रैल, 2007 से इसे सर्व शिक्षा अभियान में एक अलग घटक के रूप में विलय कर दिया दिया।

यह योजना वर्ष 2004 से उन सभी पिछड़े क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता का दर राष्ट्रीय स्तर (46.13 प्रतिशत) से कम हों और 2001 की जनगणना के अनुसार लिंग भेद राष्ट्रीय औसत- 21.59 से अधिक हों।

भारत सरकार ने देश के दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति /जनजाति / पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय के बालिकाओं के लिए प्रारंभिक स्तर पर 750 आवासीय विद्यालय (ठहरने की सुविधा सहित) खोलने के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत की है। यह नई योजना, प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत चल रही योजनाएँ जैसे: सर्व शिक्षा अभियान, प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा महिला समाख्या के साथ मिलकर कार्य करेंगी।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- विषम परिस्थितियों में जीवन-यापन करने वाली अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना ।
- माता-पिता/ अभिभावकों को उत्प्रेरित करना जिससे बालिकाओं को कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय में भेजा जा सके ।
- मुख्य रूप से ऐसी बालिकाओं पर ध्यान देना जो विद्यालय से बाहर(आनामंकित) हैं तथा जिनकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है ।
- विशेषकर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने वाली जाती या समुदाय की बालिकाओं पर्विशेष ध्यान केन्द्रित करना।
- 75 % अनुसूचित जाति/ जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं तथा 25% गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार की बच्चियों को कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर नामांकन कराना ।

iii. **गौरा देवी कन्याधन योजना :** गौरा देवी कन्याधन अनुदान योजना के अंतर्गत, उत्तराखंड राज्य में निवास कर रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंव गरीबी रेखा से नीचे रह रहे समस्त परिवारों की ऐसी बालिकाओं को जिन्होंने राज्य में स्थित केंद्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड के अधीन किसी विद्यालय से इंटरमीडिएट कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को रखा गया है। यह योजना इन लड़कियों को शिक्षित किए जाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए

चलाई जा रही है। इस योजना का संचालन वर्ष 2006-07 से किया गया है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय रू.15976/- तथा शहरी क्षेत्रों में रू .21206/- वार्षिक आय वाले परिवारों की बालिकाओं को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर यह लाभ दिया जाएगा। (यदि बी०पी०एल० श्रेणी के हों तो आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नही होगी।)

iv. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना:** यह योजना 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल के रूप में समन्वित और अभिसरित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण देने और उन्हें सशक्त करने के लिए शुरू की गई। निम्न लिंग अनुपात वाले 100 जिलों में प्रारंभ किया गया। जिसे बढ़ाकर बाद में 161 जिले कर दिए गए हैं। योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन
- बालिकाओं का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना
- बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना

इसके दोहरे लक्ष्य में न केवल लिंग असमानता की दर में संतुलन लाना है बल्कि कन्याओं को शिक्षा दिलाना भी है। 100 करोड़ रूपए की शुसुआती राशि के साथ, इस योजना के जरिये महिलाओं के लिए कल्याणकारी सेवाओं के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा। सरकार द्वारा लिंग समानता के कार्य को मुख्यधारा से जोड़ने के अतिरिक्त, स्कूली पाठ्यक्रमों में भी लिंग समानता से जुड़ा एक अध्याय रखा जाएगा। इसके आधार पर विद्यार्थियों, अध्यापकों और समुदाय कन्या शिशु और महिलाओं की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील बनेंगे और समाज का सौहार्दपूर्ण विकास होगा। (भारत,2016: 831-32)

योजना की रणनीतियों में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक आन्दोलन और समान मूल्य को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान का कार्यान्वय करना, इस मुद्दे को सार्वजनिक विमर्श का मुद्दा बनाना, निम्न लिंग अनुपात वाले जिलों की पहचान कर गहन और एकीकृत कार्यवाही करना आदि शामिल है।

v. **राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन:** विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की स्कीमों/कार्यक्रमों के सम्मिलन द्वारा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से 8 मार्च, 2010 को यह नया कार्यक्रम शुरू किया गया। शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण नीतिगत दिशा-निर्देश करेगा, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और 13 मंत्री इसके सदस्य होंगे। इनकी सहायता के लिए केंद्रीय समिति और अंतर मंत्रालयी समन्वय समिति होंगी।

केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला संसाधन केंद्र मिशन निदेशालय को तकनीकी सहायता देगा। यह केंद्र सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और स्कीमों के संबंध में अनुसंधान और प्रभाव मूल्यांकन

अध्ययन आयोजित करेगा, और विद्यमान संस्थाओं/संस्थानों के सम्पर्क में रहेगा। सरकारी स्कीमों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डालने के लिए यह मीडिया रणनीतियां तैयार करने के साथ-साथ समाज में अभिशप्त सामाजिक कुरीतियों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम भी तैयार करेगा। इसी तर्ज पर राज्य स्तर पर राज्य मिशन अधिकरण और राज्य महिला संसाधन केंद्र होंगे।

आन्ध्र प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब राज्य और संघ प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन ने राज्य मिशन अधिकरण की स्थापना की सूचना दी है। गुजरात और जम्मू-कश्मीर ने राज्य महिला केंद्र भी गठित किया है। राष्ट्रीय मिशन के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं-

- महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण
- महिलाओं के प्रति हिंसा को समाप्त करना
- स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर
- प्रतिभागी मंत्रालयों,संस्थानों और संगठनों के कार्यक्रमों, नीतियों, संस्थानिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं के जेन्डर मेनस्ट्रीमिंग कार्य की निगरानी।

vi. **सर्व शिक्षा अभियान :** सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन वर्ष 2000-2001 से किया जा रहा है जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण, प्रारंभिक शिक्षा में बालक-बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अंतरों को दूर करने तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार हेतु विविध अंत:क्षेपों में अन्य बातों के साथ-साथ नए स्कूल खोला जाना तथा वैकल्पिक स्कूली सुविधाएं प्रदान करना, स्कूलों एवं अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण किया जाना, प्रसाधन-कक्ष एवं पेयजल सुविधा प्रदान करना, अध्यापकों का प्रावधान करना, नियमित अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा अकादमिक संसाधन सहायता, नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकें एवं वर्दियां तथा अधिगम स्तरों/परिणामों में सुधार हेतु सहायता प्रदान करना शामिल है। सर्व शिक्षा अभियान जिला आधारित एक विशिष्ट विकेन्द्रित योजना है। इसके माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करने की योजना है। इसके लिए स्कूल प्रणाली को सामुदायिक स्वामित्व में विकसित करने रणनीति अपनाकर कार्य किया जा रहा है। यह योजना पूरे देश में लागू की गई है और इसमें सभी प्रमुख सरकारी शैक्षिक पहल को शामिल किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी से 6-14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था।

लड़कियों विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रमुख लक्ष्य होगा।

vii. **जेंडर बजटिंग पहल :** जेंडर बजटिंग महिलाओं को मुख्यधारा में लाने का लक्ष्य हासिल करने का सशक्त माध्यम है, ताकि विकास के लाभ पुरुषों के सामान ही महिलाओं तक भी पहुंचना सुनिश्चित हो सके। जेंडर बजटिंग लेखांकन का कार्य नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है, ताकि

नीति/ कार्यक्रम निर्धारण, उसके कार्यन्वय और समीक्षा में महिलाओं सम्बन्धी परिपेक्ष्य निरंतर बना रह सके।

भारत में जेंडर बजटिंग को संस्थागत रूप देने के लिए वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2005 में सभी मंत्रालयों/ विभागों में जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ का अनिवार्य रूप से गठन किये जाने आदेश दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जेंडर बजटिंग के लिए नोडल एजेंसी के रूप में इसे राष्ट्रीय और राज्य स्तरों तक ले जाने लिए कई उपाय किए हैं। मंत्रालय ने जिन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से बल दिया है, उनमे सभी मंत्रालयों/ विभागों में जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ (जीबीसी) का गठन, आंतरिक एवं बाहरी क्षमताओं को सशक्त बनाना और जीबीसी में विशेषज्ञता स्थापित करना ताकि वे नीतियों/योजनाओं /कार्यक्रमों में महिलाओं को मुख्यधारा में लाने का दायित्व निभा सकें। (भारत 2016 :829-830).

viii. **उड़ान :** तकनीकी शिक्षा में छात्रों की कुल भर्ती की तुलना में लड़कियों के आइआइटी में शामिल होने की संख्या काफी कम है। इन प्रमुख तकनीकी शिक्षण संस्थानों की प्रवेश परीक्षा मात्र 10-12% लडकियां ही उत्तीर्ण कर पाने में सफल होती हैं। इसके सबसे बड़े कारणों में से एक है कि लड़कियों के माता-पिता उन्हें प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के लिए दूरस्थ स्थानों पर भेजना नहीं चाहते और साथ ही नजदीकी इलाको में गुणवत्तापूर्ण अध्ययन के अवसरों की कमी है। छात्राओं के लिए शैक्षणिक अवसरों को प्रोत्साहित करने के मकसद से सीबीएसई ने उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है। इसे उन योग्य छात्राओं के लिए एक बड़ा मंच मुहैया कराने के लिए तैयार किया गया है जो इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा पाना चाहती हैं और इसका मकसद कक्षा 11 और 12 के दौरान छात्राओं को आइआइटी/ जीईई की तैयारी में मदद करना है। इस परियोजना का लक्ष्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के कम दाखिले की समस्या से निपटना है। (भारत 2016: 281)

5.8 सारांश

अभी तक हमें लगभग प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्र में जेंडर आधारित भेदभाव दिख ही रहा है इसलिए अभी भी संविधान द्वारा तय किया गया 'समानता का लक्ष्य' कहाँ तक साध्य हो पाया है, यह अध्ययन व विश्लेषण का विषय है। इस बात पर जोर है कि समाज इन भेदभावों के प्रति संवेदनशील व चिंतनशील हो सके। लड़कियाँ व महिलाएँ भी स्वयं अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम हो सकें और यह तभी संभव होगा जब उनकी पहुँच शिक्षा तक होगी और वे अपने खुद के अधिकारों के बारे में सजग होंगी। लड़कियों को शिक्षित करने की उपयोगिता को रूढ़ीबद्ध दायरों में ही रखकर देखते रहने के स्थान पर उनकी शिक्षा को असल में उनके बौद्धिक तौर पर स्वतंत्र होने से जोड़कर देखना होगा तभी असल मायनों में शिक्षा का लक्ष्य संवैधानिक लक्ष्यों से मिल पाएगा।

5.7. शब्दावली

1. **सेक्स और जेंडर :** 'सेक्स' एक शारीरिक विशेषता है जैसे कि लिंग के आधार पर किसी को पुरुष कहा जा रहा है और योनि के आधार पर स्त्री लेकिन 'जेंडर' एक सामाजिक संरचना है। 'सेक्स' के आधार पर किसी के साथ कोई ख़ास सामाजिक स्थिति जोड़ देना 'जेंडर' है जैसे कि स्त्री या पुरुष मात्र होने के नाते समाज में एक स्थिति होना।
2. **जेंडर आधारित भेदभाव/ जेंडर विभेदीकरण** : किसी व्यक्ति विशेष के साथ उसके 'सेक्स'के आधार पर होने वाला भेदभाव/ ऐसी स्थिति जहाँ किसी को उसके 'सेक्स' के आधार पर दोयम दर्जे का माना जाए।
3. **सेक्स स्टीरियोटाइपिंग:** किसी के सेक्स के आधार पर उस पूरे समूह के बारे में कुछ विशेषताओं/ भूमिकाओं को उस समूह पर सामान्यीकृत कर देना, भले ही वे उस समूह के सभी लोगों पर लागू न होती हों।
4. **महिला सशक्तिकरण:** महिलाओं को निर्णय लेने की आज़ादी। महिलाएं जो करना चाहती हैं और जो वो खुद के साथ नहीं चाहती हैं, इसे नियंत्रित करने की स्वतंत्रता और शक्ति हासिल करने की प्रक्रिया। सभी स्तरों पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाए की प्रक्रिया।

5.8. अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न- संविधान महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता कैसे सुनिश्चित करता है ?

उत्तर- भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि महिला एवं पुरुष दोनों के साथ समान बर्ताव किया जाए। अनुच्छेद 14 – राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता व कानून के तहत समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता।

प्रश्न- संविधान महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को कैसे रोकता है ?

उत्तर- अनुच्छेद 15 (1) कहता है कि राज्य को किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 16 (1) एवं (2) - सामान्य तौर पर भेदभाव को रोकता है और व्यवसाय में तथा राज्य के अधीन काम करने वाले लोगों के बीच लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकता है। दूसरा, समानता को सुरक्षित करने के लिए संविधान राज्य को महिलाओं के पक्ष में कुछ विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है जैसा कि अनुच्छेद 15 (3) कहता है कि "राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।"

प्रश्न - "शिक्षा न केवल किसी एक का प्राधिकार है, न ही किसी के द्वारा की जा रही कृपा।" यह बात अनुच्छेद 21(A) कैसे सुनिश्चित करता है?

उत्तर - अनुच्छेद 21(A)- संविधान के 86 वें संशोधन एक्ट, 2002 के तहत एवं अनुच्छेद 21(A) के अनुसार 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने मूलभूत अधिकार है.

प्रश्न- 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा की भूमिका को कैसे देखा है?

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बिंदु 4.2 महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा की बात करते हुए कहता है कि शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जायेगा. अतीत से चली आ रही विकृतियों और विषमताओं को ख़त्म करने के लिए शिक्षा-व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में होगा. राष्ट्रीय शिक्षा-व्यवस्था ऐसे प्रभावी दखल करेगी जिनसे महिलाएं, जो अब तक अबला समझी जाती रहीं हैं, समर्थ और सशक्त हों.

प्रश्न- लड़कियों की शिक्षा के सन्दर्भ में (2005) में श्री तरुण गोगई की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने लड़कियों की शिक्षा से जुड़ी किन जेंडर रूढ़ियों की ओर ध्यान दिलाया और इसके स्थान पर उनकी शिक्षा के प्रति कैसा दृष्टिकोण विकसित करने की सिफारिश की ?

उत्तर- महिलाओं को दी जाने वाली शिक्षा के प्रति अपनाए जाने वाले यांत्रिक दृष्टिकोण का जोरदार तरीके से विरोध करने की जरुरत है जिसके तहत यह समझा जाता है कि जन्मदर को नियंत्रित करने, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, सेवाओं में होने वाले कम खर्चे तथा गिरती हुई शिशु मृत्युदर आदि के लिए ही महिलाओं को शिक्षित करने की जरुरत है। इस तरह के दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से लड़कियों को दी जाने वाली शिक्षा के स्तर और उसके प्रकार पर असर पड़ रहा है और आज भी लड़कियों की शिक्षा जेंडर आधारित रूढ़िवादिता (gender-stereotyped) से ग्रसित है। यह जरुरी है कि लड़कियों की शिक्षा के सन्दर्भ में लक्ष्य की प्राप्ति को केवल उनके नामांकन व उनके स्कूलों में रुक पाने (retention) तक ही सिमित करके न देखा जाए बल्कि सभी विषयों और सभी स्तरों पर भी उनकी उपलब्धि एवं प्रदर्शन को देखा जाए। साथ ही इस बात को समझने की सख्त जरुरत है कि लड़कियों के लिए शिक्षा को प्रारंभिक स्तर से ऊपर भी सुनिश्चित किया जाए, इसे समर्थन दिया जाए।

समिति ने महसूस किया कि सभी को एक हद तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की संवैधानिक प्रतिबद्धता पर जोर दिए जाने की जरुरत है। इस तरह लड़कियों की शिक्षा के लिए अच्छी गुणवत्तापूर्ण नियमित स्कूलिंग (रेगुलर स्कूलिंग) के स्थान पर वैकल्पिक स्कूलिंग के किसी भी तरह के विकल्प को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

5.9. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल; जे. सी. (1991). भारतीय शिक्षा पद्धति : संरचना और समस्याएँ, नई दिल्ली: आर्य बुक डिपो.
2. अग्निहोत्री; रवीन्द्र (1994). आधुनिक भारतीय शिक्षा : समस्याएँ और समाधान, जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी.

3. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना के लिए- http://hi.vikaspedia.in/education/policies-and-schemes/92c93e93293f91593e-93693f91594d93793e , Retrieved on 2nd Feb. 2017
4. गौरा देवी कन्याधन योजना के लिए - http://escholarship.uk.gov.in/frmGauradeviDefault.aspx, Retrieved on 2nd Feb. 2017, at 3:48pm.
5. निरंतर (2010). कोठारी आयोग रिपोर्ट: भारत सरकार का दस्तावेज़, जेंडर और शिक्षा रीडर भाग-1. नई दिल्ली : निरंतर, पृष्ठ सं.- 100-112.
6. भारत सरकार (1968). राष्ट्रीय शिक्षा नीति. नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय.
7. भारत सरकार (1986). राष्ट्रीय शिक्षा नीति. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली: शिक्षा विभाग.
8. भारत सरकार (2016). भारत 2016. प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली : सूचना और प्रसारण मंत्रालय.
9. महिला समाख्या के लिए- https://hi.wikibooks.org/wiki
10. राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति (2001). http://icds-wcd.nic.in/h_empwomen.htm , Retrieved on 10th Feb. 2017.
11. सर्व शिक्षा अभियान के लिए- http://hi.vikaspedia.in/education/policies-and-schemes
12. Aggarwal; J.C. (2010). Landmarks in the History of Modern Indian Education, New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd.
13. GoI (1952-53). Mudaliar Commission Report: Report of the Secondary Education Commission, Ministry of Education.
14. GoI (1964-66). Education and National Development: Report of the Education Commission, Ministry of Education.
15. GoI (1975). Towards Equality: Report of the Committee on the Status of Women in India, Delhi: Department of Social Welfare, Government of India.

16. Digital Gender Atlas for Advancing Girl's Education: http://103.7.128.243/atlas/state_profile.html, Retrieved on 11th Feb. 2017, at 12:08pm.
17. Mathew; P.D., P.M. Bakshi (2009). Women and the Constitution, Legal Educational Series No.-17, Revised by Vasundhara, New Delhi: Indian Social Institue.
18. N.C.E.R.T. (2013). Training Material For Teachers Educators On Gender Equality And Empowerment. Volume I: Perspectives on Gender and Society, p.no.-13, 14.
19. National Policy on Education (1986). Programme of Action (1992). New Delhi: MHRD.

5.10. निबंधात्मक प्रश्न

1. लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा के सन्दर्भ में विभिन्न नीतियों, आयोगों और समितियों ने जिन मुद्दों की पहचान की और अपने सुझाव रखे, उनमे से आज के सन्दर्भ में प्रासंगिक कुछ मुद्दों को चुनकर उन पर चर्चा करें और अपने सुझाव दें।
2. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा एवं उनके सशक्तिकरण के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं व कार्यक्रमों का विश्लेषण कीजिए।

खण्ड 2

Block 2

इकाई 1- भारत में परिवार व्यवस्था के संदर्भ में जेंडर अस्मिता और समाजीकरण की रीतियाँ

1.1 प्रस्तावना
1.2 उदेश्य
1.3 परिवार की अवधारणा और प्रकार
  1.3.1 परिवार का अर्थ
  1.3.2 संगठनों के आधार पर परिवार
  1.3.3 सत्ता के आधार पर परिवार- सत्ता के आधार पर भी परिवारों को दो भागों में बांटा जा सकता है
1.4 समाजीकरण की अवधारणा
  1.4.1 प्राथमिक समाजीकरण
  1.4.2 द्वितीयक समाजीकरण
  1.4.3 समाजीकरण की विभिन्न एजेंसियां
1.5 जेन्डर की अवधारणा
  1.5.1 जेंडर अस्मिता का निर्माण
1.6 शिक्षा, समाजीकरण और जेंडर अस्मिता
1.7 सारांश
1.8 शब्दावली
1.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची
1.10 निबंधात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना

भारतीय समाज भिन्नताओं और विविधताओं को समाहित किये हुए एक बहुत ही विशाल समाज हैं. भारतीय समाज में कई स्तरों जैसे – रहन-सहन,भाषा,रीती-रिवाज,भेष-भूषा,खाना-पान, क्षेत्र, व जीवन शैलियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के आधार पर विविधता समाहित है. भारतीय समाज अत्यधिक पुराना और जटिल है. प्रचलित अनुमान के अनुसार पांच हज़ार वर्ष पूर्व की पहली ज्ञात सभ्यता के समय से आज तक लगभग पांच हज़ार वर्षों की अवधि समाहित है . इस लम्बी अवधि में विभिन्न प्रजातीय

लक्षणों वाले और विविध भाषा-परिवारों के प्रवासियों की लहरें यहाँ आकर इसकी आबादी में घुल मिल गई और इस समाज की विविधता ,समृदधि और जीवन्तता में अपना-अपना योगदान दिया (दुबे,1985:1) इस अत्यधिक जटिल और विशालता के उपरांत भी भारतीय समाज में बहुत सी ऐसी बातें हैं , जो भारत के प्रत्येक हिस्से के समाजों की संरचना में व्याप्त सामान्य विशेषताओं के रूप में उभर कर सामने आती हैं. इन्ही विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता है 'परिवार'. भारत की अधिकांश आबादी किसी-न-किसी रूप में 'परिवार' के रूप में ही संगठित होकर जीवन यापन करती है. परिवार किसी व्यक्ति को उसकी अस्मिता(पहचान) निर्मित करने व समाजीकरण के द्वारा एक सामाजिक प्राणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. एक व्यक्ति के रूप में समाज में उसके कार्य,आचार-विचार, व्यवहार,शिक्षा व भूमिकाओं का निर्वहन परिवार में ही तय किया जाता है. इस तरह सामाजिक संरचना के रूप में 'परिवार' समाज की महत्वपूर्ण इकाई बन जाता है. परिवार में जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया के तहत व्यक्ति की पहचान (लिंग,जाति,धर्म,नस्ल) निर्मित होती है. इसलिये समाज की संरचनात्मक इकाई के रूप में परिवार और उसके भीतर चलने वाली प्रक्रियाओं को शैक्षिक रूप से समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है. चूँकि आज हम ऐसे समाज में हैं जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव आ चुके हैं और निरंतर आ रहें हैं और सिखने-सिखाने की विविध उपागमों को सराहा जा रहा है. यह उपागम एक ओर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों के मनोविज्ञान को महत्व देते हैं तो दूसरी ओर बच्चे व उसके मनोविज्ञान को सामाजिक संदर्भों में जानने व विवेचित करने पर भी बल देते हैं. बच्चे/ बच्चियां अपने संज्ञान व व्यवहारों में कई तरह की 'सामाजिक-सांस्कृतिक' निर्मितियों को लेकर विद्यालय आते हैं. ऐसे में विद्यालय वह स्थान बन जाता है जहाँ ये बच्चे/ बच्चियां अपने 'सामाजिक रूप' से निर्मित 'व्यक्तिगत' अनुभवों को दुनिया को समझने व ज्ञान की रचना करने में प्रयोग करते हैं. विद्यालय द्वारा बच्चों की इन पूर्व निर्मित अवधारणाओं व समझ का प्रयोग कैसे किया जाये कि वे जीवन को मुक्त, तार्किक और आलोचनात्मक संदर्भों में जान पाए.तभी शिक्षा के सामजिक सरोकारों को जगह मिल पायेगी. प्रस्तुत इकाई में समाज की संरचना के आधार के रूप में भारत में पारिवारिक व्यवस्था के भीतर चलने वाली समाजीकरण की प्रक्रिया व अस्मिता निर्माण के जेंडर आधरित स्वरूपों को समझाने का प्रयास किया गया है. स्कूलों द्वरा बच्चों की पूर्व निर्मित अवधारणाओं का पोषण कई तरह की रुढीवादी मान्यताओं का पोषण करना होगा. जोकि शिक्षा के वृहतर शैक्षिक लक्ष्यों को सिमित कर देना होगा है. इसलिए शैक्षिक रूप से यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि बच्चे के सामाजिक संदर्भों (जैसे पारिवारिक संरचना ,समाजीकरण व जेंडर–भेद की निर्मितियों) को गहराई से समझा जाए. तभी शिक्षा के सामाजिक सरोकारों को शिक्षा में जगह मिल सकती है.

प्रस्तुत इकाई में समाज की संरचना के आधार रूप में भारत में परिवार व्यवस्था व उसके विभिन्न प्रकारों को समझाने तथा इन व्यवस्थाओं के भीतर चलने वाली समाजीकरण की प्रक्रिया व जेंडर आधारित व्यवहारिक सांचों को समझाने का प्रयास किया गया है.

1.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :-

1. भारत में विभिन्न पारिवारिक ढांचों को जान पाएंगे .
2. समाजीकरण की प्रक्रिया को जान पाएंगे.
3. जेंडर व जेंडर अस्मिता की अवधारणा को समझ सकेंगे.
4. भिन्न –भिन्न पारिवारिक संरचनाओं के भीतर जेंडर आधारित व्यवहारों की पहचान कर सकेंगे.

1.3 परिवार की अवधारणा और प्रकार

परिवार सामान्य रूप से प्रचलित शब्द है तथा अपने साधारण अर्थों में इसे अच्छी तरह समझा भी जाता है.यह द्योतक है एक सार्वभौमिक , स्थायी तथ व्यापक संस्था का जिसकी विशेषता है सामाजिक दृष्टि से अनुमत यौन सम्बन्ध तथा प्रजनन , समान घर , आवास और घरेलू सेवाएं तथा आर्थिक सहयोग आदि . भारतीय समाज में परिवार के रूपों में बहुत विविधिता है. इन रूपों को भिन्न-भिन्न आधारों जैसे वंश नाम, आवास, सदस्यता तथा यौन साथियों की संख्या के आधार पर अलग किया जा सकता है. भारत के अधिकतर समुदायों में वंश नाम पिता की परम्परा में तलाशा जाता है. इसे पितृवंशी वंश नाम कहा जाता है. मातृ समाजों- उतर पूर्व में गारो,खासी और प्नार तथा दक्षिण भारत के नायर,माप्पिल, लक्षद्वीप वासी और अनेक आदिवासी तथा गैर-आदिवासी समुह आदि प्रमुख है. (दुबे,1985; 59) आइये परिवारों की इन संरचनाओं को जानने से पूर्व परिवार के अर्थ पर एक दृष्टि डालें.

1.3.1 परिवार का अर्थ

अलग – अलग विचारकों ने परिवार के अर्थ निम्न तरह से स्पष्ट किये हैं.

- मैक और यंग के अनुसार – परिवार मौलिक रूप से एक प्राथमिक समूह है जो व्यक्तित्व के लिए प्राकृतिक परिवेश उपलब्ध करता है.
- इलीअट और मेरिल के अनुसार – परिवार एक जैविक और सामाजिक इकाई है जिसमें पति,पत्नी और बच्चे होते हैं.
- बर्जेस एंड लॉक के अनुसार – परिवार व्यक्तियों का समूह है जिसमें व्यक्ति विवाह , रक्त और अनुकूलन से बंधे होते हैं.

भारत में समाजिक –सांस्कृतिक विविधता के आधार पर पारिवारिक संरचनाओं को संगठनों व सत्ता के आधार पर विभाजित किया जा सकता है .

1.3.2 संगठनों के आधार पर परिवार

संगठनों के आधार पर परिवार को दो भागों में बांटा जा सकता है –

एकल और संयुक्त परिवार - एकल और संयुक्त परिवारों को प्राय परिवार के सदस्य संख्याओं के आधार पर विभाजित किया जाता है. एकल परिवार में प्राय: पति,पत्नी और उनके बच्चे होते हैं यह परिवार छोटे होते हैं और आधुनिक समाज की एक विशेषता के रूप में देखें जाते हैं . जबकि संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है. इस तरह के परिवार में पति , पत्नी व बच्चों के साथ- साथ ताऊ-ताई , चाचा-चाची, बुआ , नाना- नानी , मामा-मामी , उनके बच्चे व दादा- दादी आदि एक साथ इक्कठे रहते हैं. भारत को प्राय: 'संयुक्त परिवारों' का देश कहा जाता है.(वही: 60)

1.3.3 सत्ता के आधार पर परिवार

सत्ता के आधार पर भी परिवारों को दो भागों में बांटा जा सकता है-

पितृसत्तामक परिवार – पितृसत्तामक परिवार वह परिवार होते हैं जहाँ पिता की प्रधानता होती है और वंश नाम को पिता की परम्परा में तलाशा जाता है. ऐसे परिवारों में सभी तरह के मुख्य निर्णय पिता (पुरुष) के द्वरा लिए जाते हैं. इस तरह की पारिवारिक व्यवस्था को पुरुष प्रधान व्यवस्था भी कहा जाता है. भारत के अधिकांश परिवारों में समुदायों में वंश नाम पिता की पम्परा में ही तलाशा जाता है.(वही; 59) कुछ अपवादों को छोड़ कर भारततीय सामाजिक व्यवस्था की विशेषता है पितृसत्ता ही है . पितृ सत्ता पुरुष के प्रभुत्व और स्त्री की अधीनता को मान्यता देती है. विवाह के अवसर पर वधू का अपने पैतृक घर से नाता टूट जाता है तथा वह उस परिवार की सदस्य हो जाती है जिसमें उसका विवाह होता है. उसकी संताने उसकी पति की परम्परा में होती हैं. परिवार के भीतर अधिकार पुरुष का होता हैं . परिपक्व स्त्रियाँ अपनी बात जोर देकर कहती हैं परन्तु प्राय: पृष्ठभूमि में ही होती हैं. (वही: 99)

मातृसत्तात्मक परिवार - मातृसत्तात्मक परिवारों में प्राय समुदायों के वंश नाम माता की परम्परा में तलाशे जाते हैं. इन परिवारों में माता के प्रधान होने का बोध होता है. परन्तु इस व्यवस्था में भी निर्णयों और कार्यों के आधार पर सत्ताएं बटी होती हैं. - मातृसत्तात्मक शब्द का प्रयोग बहुत ही हलके-फुल्के ढंग से किया जाता है और यह भ्रम उत्पन्न करता है. पितृसत्तामक शब्द का प्रयोग पुरुष प्रधान संरचनाओं के लिए होता है और वस्तुतः यह भारतीय समाज के बड़े हिस्से का प्रतिमान (नॉर्म) है किन्तु मातृसत्तात्मक (स्त्री प्रधान) का अस्तित्व नहीं है. भारत में मातृवंशी समाज के छोटे सिमित केंद्र हैं जैसे-एंग्लो इन्डियन और जनजाति समूह (खासी) लेकिन सत्ता का कोई साक्ष्य मिलता नही है. म मातृसत्तात्मक परिवारों में समुदायों में वंश का मूल स्त्री के माध्यम से खोजा जाता है . लेकिन राजनैतिक सत्ता सामान्यत : पुरुषों में ही निहित होती है. इन व्यवस्थाओं में स्त्री और पुरुष के कार्य क्षेत्र अलग- अलग होते हैं. एक खासी कहावत है – 'युद्ध और राजनीति पुरुषों के लिए है जबकि सम्पति और बच्चे स्त्रियों के लिए' उनमें मुखिया तथा शक्ति का इस्तेमाल करने वाले सभी पुरुष हैं किन्तु स्त्रियों की महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिकाएं हैं.(वही; 100)

भारतीय पारिवारिक संरचना में मुख्यतः उपरोक्त व्यवस्थायें पाई जाती हैं . इसके अतिरिक्त कई अन्य तरह के विभाजन भी मिलते है परन्तु वह मूलतः इन्ही व्यवस्थाओं का हिस्सा होते हैं.

1.4 समाजीकरण की अवधारणा

समाजीकरण की अवधारणा से अभिप्राय उन अभ्यासों से जिनके द्वरा किसी जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाया जाता है. समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वरा मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीती-रिवाज व गतिविधियाँ आदि सीखता है. जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण समाजीकरण के माध्यम से होता है . समाजीकरण के माध्यम से ही वह संस्कृति को आत्मसात करता/करती है. सीखने की यह प्रक्रिया समाज के नियमों के अधीन चलती है. समाजशास्त्र की भाषा में कहें तो समाज में अपनी परिस्थति या दावे के दर्जे का बोध और उसके अनुरूप भूमिका निभाने की विधि को हम समाजीकरण कहते हैं.(कुमार दुबे,1995) समाजीकरण की प्रक्रिया को दो प्रकार से समझा जाता है. प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण.

1.4.1 प्राथमिक समाजीकरण

प्राथमिक समाजीकरण एक बच्चें का पहला समाजीकरण है. यह शिशु के जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है. संक्षिप्त रूप से यह संज्ञानात्मक अधिगम है जिसमें सामाजिक रूप से संगठित परिवार व्यवस्थाओं के व्यवहारिक स्थितियों सांचे स्कीमा (ज्ञान के संगठन) की तरह बनते हैं.(लक्मन और बर्जेर, 1962) इस प्रक्रिया में शिशु पारिवारिक व्यवस्थाओं में व्याप्त नियमों और व्यवहारों के अंतर्बोध के साथ बड़ा होता/होती है. प्राथमिक समाजीकरण में बच्चें के लिए उसके महत्वपूर्ण अन्य(significant others) जैसे – परिवार के सदस्य आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं . अपने 'महत्वपूर्ण अन्यों' की भांति बनना शिशु के अधिगम का हिस्सा होता है. परिवार से बच्चा भाषा, प्रतिक चिन्ह व व्यवहार की भौतिक और अभौतिक संस्कृति को आत्म सात करता है /करती है.

उदाहरणत: एक नव जन्मी/जन्मा शिशु जन्म के बाद शुरूआती कुछ वर्षों में ही समाजीकरण के माध्यम से लैंगिक रूप में अपनी इस पहचान को बना पाने में सक्षम हो जाता/जाती है कि वह 'लड़का है' या 'लड़की'. लैंगिक रूप में अपनी पहचान का यह बोध प्राथमिक समाजीकरण के द्वरा ही होता है.

1.4.2 द्वितीयक समाजीकरण

द्वितीय समाजीकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो प्राथमिक समाजीकरण के उपरांत होती हैं. सीखने की इस प्रक्रिया में पहले से समाजीकृत व्यक्ति समाज की वस्तुनिष्ठ वास्तविकताओं से परिचित होता/होती है. बच्चे के द्वितीयक समाजीकरण में स्कूल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

उदहारणत: प्राथमिक रूप से समाजीकृत 'लड़की' या 'लड़का' समाज में किस तरह अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करे और एक राज्य व्यवस्था का जिम्मेदार नागरिक कैसे बने! जैसे व्यवहारिक सांचों को जानने और सीखना द्वितीयक समाजीकरण कहलाता है स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

1.4.3 समाजीकरण की विभिन्न एजेंसियां

समाजीकरण की एजेंसियों से अभिप्राय उन संस्थानिक संगठनो से है व्यक्ति के समाजीकरण में अपना योगदान देती है. इन एजेंसियों में प्रमुख है परिवार,पड़ोस,समकक्ष समूह , मिडिया, स्कूल और राज्य की वैचारिकी . यह सभी संगठन व्यक्ति के जन्म के उपरांत उसे सामाजिक रूप में विकसित मनुष्य बनाने में अपना योगदान देते हैं.

1.5 जेन्डर की अवधारणा

जेंडर की अवधारणा को समझने से पहले आवश्यक है कि 'जेंडर' शब्द को समझा जाये. जेंडर शब्द प्राय: समाज में जैविक रूप से भिन्न स्त्री , पुरुष, उभयलिंगी और अन्य लिंगों का सामाजिक संबोधन है. जैविक रूप से स्त्री , पुरुष, उभयलिंगी व अन्यों के व्यवहारों के विभाजित सांचों (patterns) को श्रेणी बध्द करने के लिए इस शब्द का प्रयोग समाज में किया जाता है. जेंडर से सम्बंधित अवधारणा से तात्पर्य एक व्यक्ति के जैविक लिंग (स्त्री –पुरुष) और समाज में उसकी लैंगिक अस्मिता (gender identity) के बोधन के बीच के जटिल संबंधों से है. एक व्यक्ति के व्यवहारों का प्रस्तुति करण(gender expression) उसके द्वरा निभाई जाने वाली लैंगिग भूमिकाओं (gender roles) से जुडा होती है.(बर्क, 2006; 521)

1.5.1 जेंडर अस्मिता का निर्माण

जेंडर रूप में अस्मिता का निर्माण अपने आप में एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रिया है. जेंडर अस्मिता के निर्माण को लेकर जेंडर स्कीमा सिद्धांत का मानना है कि एक व्यक्ति का समाजिक रूप से स्त्री,पुरुष, उभयलिंगी और अन्य होने की अस्मिता उसके समाजिक अधिगम और संज्ञानात्मक विकास की सम्बद्ता का परिणाम है. जिसके अंतर्गत समाज में जेंडर रूप से प्रचलित मान्यताएं, पूर्वाग्रह व भूमिकाएं आदि शामिल होती हैं. (वही:523)

जेंडर अस्मिता के निर्माण की प्रक्रिया को संयोजित और व्यापक रूप में समझने के लिए आवश्यक है कि पारिवारिक संरचनाओं के भीतर समाजीकरण की प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाये. भारत विशेष के संदर्भ में यदि जेंडर आधरित रूप से निर्मित पहचान (अस्मिता) की प्रक्रिया को समझे तो पाएंगे कि भारतीय परिवारों में 'स्त्री-पुरुष' के रूप में बड़े होने के अनुभव अधिकांशत: भिन्न होते हैं. प्राय: परिवारों में व्यवहार, भूमिकाओं व कार्यों को लेकर के लड़का (पुरुष) और एक लड़की (स्त्री) होने का एहसास और अनुभव दोनों भिन्न होते हैं. परिवारों से मिली लिंग चेतना भेदात्मक तत्वों को समाजीकरण की अन्य एजेंसियां भी प्रखर रूप में पोषित करती हैं.

जेंडर आधरित अस्मिता का निर्माण प्राय: परिवारों में जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है. इस शुरुआत में एक नव जन्मा/जन्मी शिशु को सर्वप्रथम यह बोध कराया जाता है कि वह 'लड़की है','लड़का है' या 'अन्य'. 'लड़के','लड़की' व 'अन्य' होने का यह बोध परिवार की दैनिक क्रियाओं में कई स्तरों पर शामिल होता है. जैसे- घर में किये जाने वाले कार्यों का विभाजन,जिम्मेदारियां व शिक्षा आदि. जन्म के

उपरांत एक बच्चा किसी- न-किसी रूप में परिवार को प्राप्त करता/ करती है. भारतीय संदर्भों में परिवार की अवधारणा में एक प्रकार का व्यवस्थागत वर्चस्व कायम रहता है वह है – पितृसत्ता. कुछ अपवादों को छोड़कर भारतीय समाज की विशेषता है पितृसत्ता .(दुबे, 1985;99) इस विद्धमान पितृसत्ता में 'लड़के' व 'लड़की' का बचपन समान नहीं होता.(कुमार कृष्ण 2016,14) असमानता की यह प्रक्रिया भाषागत संबोधनों से लेकर उठने-बैठने,आचार-विचार ,व्यवहार, पहनावा , कामकाज और कार्य क्षेत्र तक फैली होती है. भारतीय समाज में भूमिका निर्धारण के संदर्भ में 'पुरुष के कार्य' और 'स्त्रियों के कार्य' में भेद किया गया है. गृहस्थी के प्रबंधन का काम निरपवाद रूप से स्त्री के क्षेत्र में आता है. यदि वे घरेलू कामकाज में हाथ बटाने के लिए कोई सेवक रख नहीं पाती हैं तो उन्हें ही घर के सारे कामकाज खुद ही करने पड़ते हैं जैसे पानी भरना, खाना पकाना, घर की सफाई, अपने और घर के पुरुषों और बच्चों के कपडे धोना तथा बच्चों की देखभाल. पुरुष यदि इनमें से कोई काम करते हैं तो उनका उपहास किया जाता है. पुरुष यदि ये काम तभी कर सकते हैं यदि पत्नी घर पर न हो, या अस्वस्थ हो तथा उसका काम सँभालने वाली कोई अन्य स्त्री घर में न हो. यह धारणा इतने गहरे जमीं हुई है की व्यवसायों में कार्यरत तथा पूर्णकालिक सेवारत स्त्रियों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे इसके अतिरक्त गृहस्थी के काम-काज भी देखती रहें. (दुबे;101) स्त्री-पुरुष की भूमिकाएं संबंधों के सम्मुचय के भीतर कल्पित व अभिनीत होती हैं और सीखी जाती हैं . इस प्रक्रिया को समझने के लिए परिवार की संरचना जिसमें परिवार सन्निहित रहता है , को समझना जरुरी है.परिवार की संरचना तथा नातेदारी के संरूप जाति संस्था से बंधे है. जाति व्यवस्था में अलग- अलग समूहों की सदस्यता जन्म से परिभाषित रहती है.इसी कारण विवाह तथा यौन संबंधो पर नियंत्रण व सीमाएं बनाये रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है.यद्धपि अधिकांश हिन्दू भारत में व्यक्ति की सदस्यता का निर्धारण पितृवंशीय परम्परा के नियमों के द्वरा संचालित होता है. (दुबे ,199.;92-93).

इस तरह जेंडर अस्मिता के निर्माण की प्रक्रिया बच्चें के जन्म से ही उसके सामाजिक –सांस्कृतिक व परिवेश में शुरू हो जाती है जहाँ कुछ तय मानक व पैटर्न होते हैं जिनके अनुसार एक बच्चे का लालन-पालन होता है.

यदि इन तय मानकों व पैटर्न के भीतर किये जाने वाले विशेष व्यवहारों की सूची बनाई जो संभवतः नीचे दिए गए उद्धरणों की एक सूची बन सकती है. यह कुछ ऐसे उदहारण हैं जिन्हें आप सभी ने अपने आस-पास के परिवेश में प्रयोग होते हुए सुना होगा –

लड़कों से सम्बंधित प्रचलित संबोधन व पूर्वाग्रह	**लड़कियों से सम्बंधित प्रचलित संबोधन व व्यवहार**
1. लड़के बलवान होते हैं .	1. लड़कियां कोमल व मृदु होती हैं.
2. लड़के रोते नहीं है.	2. लड़कियां रो सकती हैं .
3. भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं .	3. लड़कियां भावुक होती हैं.
4. लड़कों के बाल छोटे होने चाहिए.	4. लड़कियों के बाल लम्बे होने चाहिए.

5. लडके जोर से हंस सकते है. 6. लड़के समूह में खड़े होकर किसी भी सड़क और चौराहे पर खड़े होकर बात कर सकते हैं . 7. लड़के घर के काम काज नहीं करते. 8. लड़के गाणित- विज्ञान व वाणिज्य की पढाई करते हैं. 9. लड़के खेल- कूद कर सकते हैं व उसमे बेहतर कर सकते हैं. 10. लड़के गुलाबी रंग के कपड़े नहीं पहन सकते हैं , उन्हें खिलौने में बन्दुक , साइकिल आदि पसंद होती है. 11. लड़के बुढ़ापे का सहारा होते हैं.	5. लड़कियां जोर से नहीं हंस सकती उन्हें मुस्कुराना चाहिए. 6. घर के कामकाज लड़कियां करती हैं. 7. लड़कियों के लिए सड़क का मतलब स्कूल से घर और घर से स्कूल जाने के लिए होता है वह सड़क पर समूह में खड़े होकर बातें नहीं कर सकती. 8. कला व गृह विज्ञान की पढाई लड़कियां करेंगी 9. लडकियां साफ़- सफाई , सिलाई- कढाई, बुनाई का काम करती हैं. 10. लड़कियां गुडिया जैसे खिलौनों को पसंद करती हैं. 11. लडकियां पराया धन होती हैं.

आप में से संभवतः अधिकांश व्यक्तियों ने इस तरह की मान्यताओं या व्यवहारों को अपने आस-पास व परिवारों में सुना या महसूस किया होगा. शब्दिक और व्यावहारिक रूप से प्रयोग किये जाने ये वाले प्रतिमान बच्चे अपने परिवार में प्राथमिक समाजीकरण द्वरा जानते है और सीखते हैं . यही प्रतिमान उनकी जेंडर संबधी पहचान और भूमिकाओं को निर्धारित करते हैं. प्राय: घरों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, समारोह, रीति-रिवाजों व वैवाहिक कर्मकांडों के गीतों के प्रतीक माध्यम से स्त्री-पुरुष की असमान छवि गढ़ी जाती है जो जेंडर आधरित अस्मिता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. आइये लीला दुबे के अध्ययन से हिन्दू परिवारों में होने वाले कर्मकांडों और रीती-रिवाजों में प्रचलित कहावतों व गीतों के कुछ उदहारण देखें जो हिन्दू समाज में लैंगिक रूप से भेदभाव और लालन- पालन को चित्रित करती हैं-

'बेटी को पलना-पोसना तो दुसरे के आँगन में लगे पौधे को पानी देने जैसा ही है,(दुबे. एस.सी. 1955:148)

बुजुर्ग लोग लड़कियों और स्त्रियों को पुत्रवती होने का आशीर्वाद देते हैं दूधों नहाओं-पूतों फलो(बस एक पुत्री हो) (वही;94) एक उड़िया मुहावरे में पुत्री को घी के समान बताया गया है: दोनों मुल्यवान हैं लेकिन समय रहते उन्हें ठिकाने ने लगाने पर दोनों बदबू देने लगते हैं. यह एक तेलुगु अभिव्यक्ति है जिसका स्त्रियों व लड़की का विवाह समय पर कर देने की चिंता के संदर्भ में काफी इस्तेमाल करती हैं – वय: संधि(लड़कियां जो मासिक धर्म को प्राप्त कर लेती हैं) प्राप्त पुत्री को छाती का फोड़ा कहा गया है.(वही:94)

वैवाहिक कर्मकांडों में प्रयोग होने वाले गीत -

झूलों बच्ची, झूलों तुम्हारे प्यारे बालों में कंघी

दूल्हा जल्दी ही आकर तुम्हें ले जायेगा (वही:98)
मत रो मेरे सुन्दर बच्चे, मैं तुम्हारे लिए दुल्हनियां लाऊंगी
मेरा बेटा पेट भर कर खायेगा
उसकी पत्नी उसकी खाली थाली चाटेगी.(वही:99)

इन उदाहरणों से आपको भारतीय पारिवारिक व्यवस्था में स्वयं के स्त्री या पुरुष होने से सम्बन्धी पहचान की निर्मिती में व्याप्त तत्वों और तरीकों को पहचानने में संभवतः कुछ मदद मिली होगी. आइये अब परिवार , समाजीकरण और जेंडर अस्मिता की अवधारणाओं के शैक्षिक निहितार्थ को समझें.

1.6 शिक्षा, समाजीकरण और जेंडर अस्मिता

उपरोक्त इकाइयों में आपने पारिवारिक संरचनाओं के भीतर समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जेंडर अस्मिता को जाना. अब प्रश्न यह है कि समाजीकरण और अस्मिता निर्माण की इस प्रक्रिया में शिक्षा का क्या योगदान है? राष्ट्रीय पाठ्य चर्या 2005 में शिक्षा के लक्ष्यों पर कहा गया है कि लोकतंत्र , समानता ,न्याय , स्वतंत्रता, परोपकार, धर्म निरपेक्षता , मानवीय गरिमा व अधिकार तथा दुसरे के प्रति आदर जैसे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए . शिक्षा का उद्देश्य कारण और समझ पर आधारित इन्ही मूल्यों के प्रतिबद्धता का निर्माण करना होना चाहिए. इसलिए पाठयचर्या में स्कूलों के लिए वह गुंजाइश जरुर होनी चाहिये ताकि संवाद एवं विमर्श के लिए जगह पैदा करते हुए बच्चों में इस तरह की प्रतिबद्धता का निर्माण किया जा सके. इन उद्देश्यों में विचार तथा क्रिया की आजादी , स्वतन्त्रता तथा सामूहिक रूप से सावधानीपूर्वक विचार किये गए मूल्य-निर्धारित निर्णय लेने की क्षमता की तरफ इशारा करते हैं. ज्ञान और दुनिया की समझ के साथ दुसरे लोगों की भावनाओं व कल्याण के प्रति संवेदनशीलता को मूल्यों के प्रति तार्किक पर्तिबद्धता का आधार होना चाहिए. (पेज 13). शिक्षा के इन व्यापक लक्ष्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब नीति से लेकर कक्षागत शिक्षण तक इस बात की गंभीरता को समझा जाये कि भारत जैसे विशाल और विविध देश में बच्चें किस तरह की सामाजिक-सांस्कृतिक समझ लेकर आ रहें हैं. यह समझ किन संदर्भों में कैसे निर्मित हो रहीं है और कौन से माध्यम से यह बच्चों में विकसित की गई है. उनकी पूर्वनिर्मित समझ को कितना पोषित करना है और कहाँ आलोचनात्मक रूप से इस समझ पर संवाद और विमर्श के दायरें में लाने की आवश्यकता है. दूसरा महत्वपूर्ण पहलु यह है कि स्कूल और शिक्षा भी बच्चे के समाजीकरण में निर्णायक भूमिका निभाती है. स्कूल का परिसर, पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकें और शिक्षण की पद्धतियाँ व व्यवहार स्कूल में उन मान्यताओं को ही पोषित करते हैं जो बच्चे प्राथमिक रूप में अपने परिवार से प्राथमिक समाजीकरण के माध्यम से सीख चुकें हैं. प्राय: हमारी शिक्षा का स्वरूप भी जेंडर भेद को नेपथ्य में रखकर चलता है. स्कूल में आने के बाद भी 'लड़कियों' की शिक्षा सांस्कृतिक- ऐतिहासिक दायरों में ही आकर लेती है.राज्य की नीतियाँ उन सांस्कृतिक बिन्दुओं को समाहित करने में नाकाम रही हैं जो 'लड़की' को आकार देती हैं (कुमार कृष्ण,2010:75) स्कूल में आने वाले बच्चें गहराइयों से जेंडर भेदों में गढ़ी अस्मिताओं को लेकर आते हैं और एक समानता आधरित शिक्षा व्यवस्था को इन निर्मितियों के प्रति वैचारिक और व्यावहारिक रूप से संवेदनशील व सचेत होने

की आवश्यकता है. स्कूल व शैक्षिक गतिविधियाँ किस तरह से रूढ़िवादी मान्यताओं का संचालन करती हैं इस विषय पर अगली इकाई के प्रछन्न पाठ्यक्रम के बिदु के अंतर्गत और विस्तार से चर्चा की जाएगी.

1.7 सारांश

इस प्रस्तुत इकाई में हमने भारत जैसे विशाल विविध देश में पारिवारिक संरचना को जाना जिसंने ढांचे और सत्ता के रूप में परिवार के रूप जैसे- एकल परिवार , संयुक्त परिवार. पितृसत्तामक और मातृसत्तामक परिवारों के संदर्भ में जैविक व प्राकृतिक व्यक्ति को सामाजिक व्यक्ति बनाने की प्रक्रिया के रूप में समाजीकरण की प्रक्रिया को समझना बहुत आवश्यक है. समाजीकरण के माध्यम से ही परिवार में जेंडर आधारित भूमिकाओं का निर्धारण किया जाता है. समाज में संपन्न होने वाली इन प्रक्रियाओं के शैक्षिक निहितार्थों को समझना भी बहुत आवश्यक है संभवत तभी शिक्षा के व्यापक लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है और एक समता मूलक समाज की ओर बढ़ा जा सकता है.

1.8 शब्दावली

1. परिवार – समाज की सबसे मौलिक इकाई जो किसी भी व्यक्ति के जीवन और लालन- पालन के लिए बहुत आवश्यक है.
2. समाजीकरण – समाज में समाज के सदस्यों द्वरा किसी व्यक्ति को समाज के व्यवहारों , रीती-रिवाजो और, भाषा , मान्यताओं व संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया.
3. जेंडर अस्मिता – लिंग आधारित अस्मिता से अभिप्राय है व्यक्ति की सामाजिक संदर्भों में निर्मित अस्मिता से है जिसमें समाजीकरण के द्वरा स्त्री-पुरुष की भूमिकाओं में बद्ध अस्मिता को व्यक्तिगत अस्मिता के रूप में निर्मित किया जाता है.
4. पितृसत्ता – समाज की वह व्यवस्था जिसमें पुरुषों की प्रधान होती है और पुरुष निर्णायक और मुख्य भूमिका में होता है
5. मातृसत्ता - परिवार की वह व्यवस्थाएं जिसमें समुदायों का नाम माता के वंश में तलाशा जाता है

1.9 अभ्यास प्रश्न/ उत्तर

1. परिवार क्या है ? पितृवंशीय और मात्र वंशीय समाज में क्या अंतर?
   उत्तर – परिवार समाज की महत्वपूर्ण इकाई है जो एक व्यक्ति के लालन- पलानोर समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. पितृ सत्तामक परिवार – पितृ सत्तामक परिवार वह परिवार होते हैं जहाँ पिता की प्रधानता होती है और वंश नाम को पिता की परम्परा में तलाशा जाता है. ऐसे

परिवारों में सभी तरह के मुख्य निर्णय पिता (पुरुष) के द्वरा लिए जाते हैं. इस तरह की पारिवारिक व्यवस्था को पुरुष प्रधान व्यवस्था भी कहा जाता है.भारत के अधिकांश परिवारों में समुदायों में वंश नाम पिता की पम्परा में ही तलाशा जाता है मातृ सत्तात्मक परिवारों में प्राय समुदायों के वंश नाम माता की परम्परा में तलाशे जाते है. इन परिवारों में माता के प्रधान होने का बोध होता है. परन्तु इस व्यवस्था में भी निर्णयों और कार्यों के आधार पर सत्ताएं बटी होती हैं.

2. समाजीकरण की प्रकिया को बताते हुए प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण को समझाइए?

उत्तर -समाजीकरण की अवधारणा से अभिप्राय उन अभ्यासों से जिनके द्वरा किसी जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाया जाता है. समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वरा मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीती-रिवाज व गतिविधियाँ आदि सीखता है. जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी समाजीकरण के माध्यम से होता है . समाजीकरण के माध्यम से ही वह संस्कृति को आत्मसात करता/करती है. सिखाने की यह प्रक्रिया समाज के नियमों के अधीन चलती है.) समाजीकरण की प्रक्रिया को दो प्रकार से समझा जाता है. प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण.

प्राथमिक समाजीकरण – प्राथमिक समाजीकरण एक बच्चें का पहला समाजीकरण है. यह शिशु के जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है. संक्षिप्त रूप से यह संज्ञानात्मक अधिगम जिसमें जिसमें सामाजिक रूप से संगठित परिवार व्यवस्थों के व्यवहारिक सांचे स्कीमा (ज्ञान के संगठन) की तरह बनते हैं. इस प्रक्रिया में शिशु पारिवारिक व्यवस्थों में व्याप्त नियमों और व्यवहारों के अंतर्बोध के साथ बड़ा होता/ होती है. प्राथमिक समाजीकरण में बच्चें के लिए उसके महत्वपूर्ण अन्य(significant others) जैसे – परिवार के सदस्य आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं . अपने 'महत्वपूर्ण अन्यों' की भांति बनना शिशु के अधिगम का हिस्सा होता है.परिवार से बच्चा भाषा, प्रतिक चिन्ह व व्यवहार की भौतिक और अभौतिक संस्कृति को आत्म सात करता है /करती है.

द्वितीयक समाजीकरण – द्वितीय समाजीकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो प्राथमिक समाजीकरण के उपरांत होती हैं. सिखाने की इस प्रक्रिया में पहले से समाजीकृत व्यक्ति समाज की वस्तुनिष्ठ वास्तविकताओं से परिचित होता/ होती है. बच्चे के द्वितीयक समाजीकरण में स्कूल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

3. समाजीकरण की विभिन्न एजेंसियों कौन- कौन सी हैं?

उत्तर - समाजीकरण की एजेंसियों से अभिप्राय उन संस्थानिक संगठनो से है व्यक्ति के समाजीकरण में अपना योगदान देती है. इन एजेंसियों में प्रमुख है परिवार,पड़ोस,समकक्ष समूह , मिडिया, स्कूल और राज्य की वैचारिकी . यह सभी संगठन व्यक्ति के जन्म के उपरांत उसे सामाजिक रूप में विकसित मनुष्य बनने में अपना योगदान देते हैं.

4. जेंडर आधारित अस्मिता से आप क्या समझते हैं?

उत्तर - जेंडर की अवधारणा को समझाने से पहले आवश्यक है कि 'जेंडर' शब्द को समझा जाये. जेंडर शब्द प्राय: समाज में जैविक रूप से भिन्न स्त्री , पुरुष, व मनोवैज्ञानिक रूप से उभयलिंगी और अन्य लिंगों का सामाजिक संबोधन है. जैविक रूप से स्त्री , पुरुष, व उभयलिंगी व अन्यों के व्यवहारों के विभाजित सांचों (patterns) को श्रेणी बध्द करने के लिए इस शब्द का प्रयोग समाज में किया जाता है और जेंडर से सम्बंधित अवधारणा से तात्पर्य एक व्यक्ति के जैविक लिंग (स्त्री –पुरुष) और समाज में उसकी जेंडर अस्मिता (gender identity) के बोधन के बीच के जटिल संबंधों से है. एक व्यक्ति के व्यवहारों का प्रस्तुतिकरण(gender expression) उसके द्वरा निभाई जाने वाली जेंडर भूमिकाओं (gender roles) से जुडी होती हैं

1.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कुमार कृष्ण (2010), कल्चर, स्टेट एंड गल्स: एन एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, इकोनोमिक पोलिटिकल वीकली वोलुम 17,
2. कुमार कृष्ण (2016), स्टडिंग चाइल्ड हुड इन इंडिया , इकोनोमिक पोलिटिकल वीकली , वोलुम 23
3. कुमार कृष्ण (2014), चूड़ी बाज़ार में लड़की , राजकमल प्रकशन, दिल्ली .
4. दुबे एस.सी. (1985), भारतीय समाज , नेशनल बुक ट्रस्ट , नई दिल्ली
5. दुबे लीला(1988), ओन द कंस्ट्रक्शन ऑफ़ जेंडर: हिन्दू गर्ल्स इन पेट्रीलिनेअल इंडिया, , इकोनोमिक पोलिटिकल वीकली वोलुम 23, संख्या 18.
6. बर्क लौरा (2006), चाइल्ड डेव्लोपमेंट, पिअरसन एजुकेशन, साऊथ एशिया.
7. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या (2005), एन.सी.इ.आर.टी. नई दिल्ली.
8. Peter L.Berger; ThomusLuckman(1966),The Social Construction Of Reality,US.
9. एन.सी.इ.आर.टी.(200), आधार पत्र 3.2: जेंडर इस्सूस इन एजुकेशन, एन.सी.इ.आर.टी, दिल्ली.

1.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण व जेंडर अस्मिता के शैक्षिक निहितार्थों को समझाए.

इकाई 2- शिक्षा में जेंडर सरोकार

2.1 प्रस्तावना
2.2 उद्देश्य
2.3 नामांकन एवं पहुँच का सवाल-
2.4 अवरोधन
2.5 उपलब्धि
2.6 सारांश
2.7 शब्दावली
2.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची
2.9 निबंधात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना

आधुनिक भारत में महिला शिक्षा का क्रांतिकारी बीज बोने का कार्य 9वीं शताब्दी के मध्य में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने किया। 848 में इनके प्रयासों से बालिकाओं के लिए पहली पाठशाला पुणे में खोली गई। इसी काम को आगे बढ़ाते हुये उन्होने और भी कई स्कूल खोले जिस प्रक्रिया मे उन्हे समाज के प्रभावशाली वर्गों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। महिला शिक्षा के पक्ष मे उनका यह सामाजिक हस्तक्षेप कोई एकाकी प्रयास नहीं था वरन जातिप्रथा व विधवा पुनर्विवाह जैसी अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ़ भी उन्होने मोर्चा खोला। इसी क्रम मे 858 मे जन्मी पंडिता रमाबाई के उन परिवर्तनकामी प्रयासों को भी देखा जा सकता है जिनमें उन्होने बाल विवाह तथा बाल वैधव्य से पीड़ित लड़कियों के लिए आश्रम खोले और तथा मेडिकल कॉलेज तथा शिक्षण में महिलाओं की भागीदारी को स्थापित करने का ऐतिहासिक कार्य किया। उपरोक्त उदाहरणों से यह साफ होता है कि महिलाओं के हक़ मे संघर्ष करने वाले सामाजिककर्मियों का अनुभव था कि भारत के संदर्भ में जाति, वर्ग, धर्म-संस्कृति पर सवाल खड़े किए बगैर महिलाओं के हकों की लड़ाई को बहुत दूर तक नहीं ले जाया जा सकता है।

इन्हीं ऐतिहासिक हस्तक्षेपों के प्रभाव के फलस्वरूप भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और नीति निदेशक तत्वों में महिला मुद्दों की बात की गई है। संविधान का अनुच्छेद 4 जहां लिंग के आधार पर भेदभाव न किए जाने और सबको समान रूप से देखने की वकालत करता है वहीं अनुच्छेद 5(3) महिलाओं और बच्चों के संबंध मे विशेष प्रावधानों की वकालत करता है। संविधान के अतिरिक्त समय-समय पर आए विभिन्न नीतिगत दस्तावेजों ने भी महिला शिक्षा पर ज़ोर दिया है। इस कड़ी मे

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 986 को देखना उल्लेखनीय होगा जिसने पहली बार समानता के लिए शिक्षा नामक खंड मे एक पूरा भाग महिला शिक्षा को समर्पित किया। महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा के खंड 4.2 मे महिला शिक्षा पर ज़ोर देते हुये नीति कहती है कि-

"शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जायेगा। अतीत से चली आ रही विकृतियों और विषमताओं को खत्म करने के लिए शिक्षा-व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में होगा। राष्ट्रीय शिक्षा-व्यवस्था ऐसे प्रभावी दखल करेगी जिनसे महिलाएं, जो अब तक अबला समझी जाती रही हैं, समर्थ और सशक्त हों। नए मूल्यों की स्थापना के लिए शिक्षण संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से पाठ्यक्रमों तथा पठन-पाठन सामग्री की पुनर्रचना की जायेगी तथा अध्यापकों व प्रशासकों का पुनःप्रशिक्षण किया जायेगा। महिलाओं से संबंधित अध्ययन को विभिन्न पाठ्यचर्याओं के भाग के रूप में प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस काम को सामाजिक पुनर्रचना का अभिन्न अंग मानते हुए इसे पूर्णकृत संकल्प होकर किया जायेगा और शिक्षा संस्थाओं को महिला विकास के सक्रिय कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया जायेगा।"

विभिन्न समय पर आई पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं ने भी महिला शिक्षा की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की प्रक्रिया मे राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद ने तो महिला मुद्दों पर अलग से एक position paper गठित किया। इस समूह की प्रमुख अनुशंसाओं में से दो शिक्षा में लड़कियों की पहुँच और अवरोधन से संबन्धित थीं।

i. सभी लड़कियों के लिए शिक्षा तक पहुँच: सरकार को चाहिए कि वह शिक्षा पर ज्यादा खर्च करें। मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने तथ देश के सभी इलाकों में लड़कियों के लिए स्कूलों की पहुँच हो इसके लिए प्रावधान किए जाए जिससे लड़कियों द्वारा समान रूप से शिक्षा की प्राप्ति को सुनिश्चित किया जा सके।
ii. लड़कियों की शिक्षा की गुणवत्ता तथा उन्हें विदयालय में बनाए रखना: सार्वजनिक विद्यालय खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा के केंद्र बनते जा रहे हैं जहां समाज के वंचित तबकों के बच्चे, विशेषतः लड़कियां आती हैं और जो बड़ी संख्या में लड़कियों के स्कूल छोडने (ड्रॉपआउट) से भी जुड़े हैं। इसलिए सार्वजनिक स्कूलों में ढांचागत सुविधाओं को दुरुस्त किए जाने तथा शिक्षण की गुणवत्ता को सुधारने की आवश्यकता है। (स्व-अनुदित, अधिकृत हिन्दी अनुवाद अनुपलब्ध)

जाहिर है इन दस्तावेजों में महिला शिक्षा एवं लैंगिक समानता के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राज्य की सक्रिय भूमिका की संकल्पना व प्रस्तावना की गई है। भारतीय समाज के संदर्भ में राज्य की भूमिका इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारतीय समाज मे पारंपरिक रूप से स्त्री विरोधी संस्कृति का दबदबा रहा है। एक आधुनिक और लोकतान्त्रिक राज्य से अपेक्षा रहती है कि वह अपने नागरिकों विशेषतः

कमजोर तबकों के लिए विशेष उपबंध कर उन्हें जीवन का सार्थक अधिकार व मूलभूत समानता के अवसर उपलब्ध कराए।

2.2 उद्देश्य

इस पाठ को पढने के पश्चात आप-

1. महिला शिक्षा से जुड़े सरोकारों पर अपनी समझ बना सकेंगे.
2. महिला शिक्षा में आने वाली चुनौतियों को समझ पाएंगे.
3. महिला शिक्षा में पहुँच, नामांकन, अवरोधन और कुल उपलब्धि पर जेंडर सरोकारों पर अपनी समझ बना सकेंगे.

2.3 नामांकन एवं पहुँच का सवाल

महिला शिक्षा की बात करते हुये सबसे पहला ध्यान हमारा नामांकन और पहुँच के सवाल पर जाता है। शिक्षा की बात तो तब की जा सकेगी जब लड़कियां विद्यालय तक पहुँच पाएगी और उनका नामांकन होगा। अभी भी बहुत सारी लड़कियां की पहुँच से स्कूल बाहर है। इस कड़ी में हमें स्कूलों में लड़कियों के न पहुँच पाने के कारणों की पड़ताल करनी होगी।

पहुँच के सवाल में घर से विद्यालय की भौतिक दूरी काफी मायने रखती है। भारत जैसे पितृसत्तात्मक समाज मे जहां लड़कियों को घर से बाहर अकेले भेजना सही नहीं समझा जाता है घर से विद्यालय की भौतिक दूरी लड़कियों की पहुँच को कम करती है। बहुत सारी लड़कियां सिर्फ इसलिए स्कूल बीच मे ही छोड़ देती है क्योंकि उनके घर और विद्यालय के बीच दूरी है और इतनी दूरी तय करना उन्हें व उनके परिजनों को सुरक्षित नहीं लगता। लैंगिक सुरक्षा के सवाल के अतिरिक्त आज भी भारत के एक बड़े वर्ग के लिए भौतिक दूरी अतिरिक्त संसाधनों की मांग करती है जिसके संदर्भ में अधिकतर परिवार अपने न्यून संसाधनो में से खर्च करने में अपने को सांस्कृतिक/मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार नहीं पाते हैं। इन्हीं परिस्थितियों के कारण विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई उन नीतियों का महत्व और बढ़ जाता है जिनमें इस भौतिक दूरी को पाटने के उद्देश्य को ध्यान में रखा गया है। उदाहरण के तौर पर कुछ राज्य में स्कूली छात्राओं के लिए स्कूल आने जाने के लिए साइकल उपलब्ध कारवाई गई हैं। इसी तरह कुछ राज्यों में लड़कियों के स्कूल/कॉलेज आने जाने की यात्रा को सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त रखा गया है।

लिंग भेद वर्गीय जातीय और धार्मिक असमानता से गूँथा हुआ है। महिलाओं पर इस तरह उत्पीड़न कई प्रकार से बढ़ जाता है। सबसे कमजोर कड़ी लड़कियों को ही देखा जाता है। हिसा कि स्थिति मे भी सबसे पहले मार इन्हे ही झेलनी होती है। जहां जहां सामुदायिक हिंसा के प्रकरण हुये हैं वहाँ का अनुभव यह बताता है कि हिंसा की मार झेल रहे समुदायों का डर सबसे पहले और सबसे ज्यादा लड़कियों/महिलाओं

के जीवन को ही प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर उनको स्कूल से निकलवा लेना, घर से बाहर न निकलने देना आदि।

स्कूलों मे सांस्कृतिक स्तर पर रूढ़िबद्ध व्यवहार कि शिकार महिलाएं होती है। समाजीकरण का स्कूली संस्कृति पर असर। इसमें दोनों तरह के प्रभाव काम करते हैं – वो जो इस अवधारणा पर आधारित होते हैं और इसे बल देते हैं कि दोनों लिंग जन्मजात रूप से अलग हैं तथा इन्हें अलग-अलग भूमिकायें ही निभानी चाहिएँ; और वो जो इसे एक कदम और आगे लेजाकर यह कहते हैं कि पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ हैं। उदाहरण के तौर पर एक तरफ स्कूलों में लड़के-लड़कियों, शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए परस्पर भिन्न भूमिकाएँ निर्धारित की जाती हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ भूमिकाओं को इस मायने में एक लिंग के लिए आरक्षित व दूसरे के लिए वर्जित रखा जाता है कि वो श्रेष्ठ हैं या बेकार/कम महत्व की हैं। इनके जीते-जागते नमूने हम स्कूलों की दैनिक सभा, समारोह-आयोजन, पर्व-त्योहार के अवसरों तथा अनौपचारिक बातचीत के अलावा नैतिक वक्तव्यों/संबोधनों में भी देख सकते हैं। ये स्थिति स्कूलों की प्रगतिशील अथवा परिवर्तनकामी संभावनाओं पर गहरे सवाल खड़े करती है और चुनौती भी प्रस्तुत करती है।

राज्य द्वारा समय-समय पर अनेक कार्यक्रम चलाकर इस दिशा में प्रयास किया गया है जिससे कि लड़कियों की विदयालय मे उपस्थिती सुनिश्चित की जा सके। इसके तहत लड़कियों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने विभिन्न स्तरों तक निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की है। शिक्षा का अधिकार कानून इस दिशा मे लाया गया एक प्रभावी कानून है जो कानूनी रूप से 6 से 4 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है। विभिन्न राज्यों व सरकारों द्वारा लड़कियों के लिए अलग से छात्रवृतियाँ, विद्यालय पोशाक, पुस्तकों-कॉपियों आदि के लिए अतिरिक्त सहायता राशि, साइकिल आदि प्रदान कर इस दिशा मे सकारात्मक कदम उठाए गए हैं।

शैक्षिक दस्तावेज़ों में जेंडर सरोकार

4.3 महिलाओं में साक्षरता प्रसार को तथा उन रुकावटों को दूर करने को जिनके कारण लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, सर्वोपरि प्राथमिकता दी जायेगी। इस काम के लिए विशेष व्यवस्थाएँ की जायेंगी, समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए जायेंगे और उनके कार्यान्वयन पर कड़ी निगाह रखी जायेगी। विभिन्न स्तरों पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर खास जोर दिया जायेगा। लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार का भेद-भाव न बरतने की नीति पर पूरा जोर देकर अमल किया जायेगा ताकि तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पारंपरिक रवैयों के कारण चले आ रहे लिंगमूलक विभाजन (सेक्स स्टीरियोटाइपिंग) को खत्म किया जा सके तथा गैर-परम्परागत आधुनिक काम-धंधों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ सके। इसी प्रकार मौजूदा और नई प्रौद्योगिकी में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जायेगी। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 986)

समाज में लड़कों और लड़कियों के संदर्भ में प्रचलित सांस्कृतिक मूल्यों के कारण और महिलाओं की

घरेलू कामों और प्रजनन की भूमिका के कारण भी लड़कियों की शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। महिलाएँ शिक्षा मे क्यों नहीं भाग ले पातीं इसके कुछ अन्य कारण नीचे दिये हैं- माता-पिता में लड़कियों को स्कूल भेजने के प्रति उपेक्षाभाव, उनमें लड़कियों के स्कूल में पढ़ाई के प्रति पूर्वाग्रह, उनके घूमने-फिरने पर (विशेष रूप से यौवनारम्भ के बाद बाहर निकलने पर) प्रतिबंध, छोटी उम्र में शादी और उन्हें महिलाओं के दायित्वों को संभालने का दबाव। इनके पीछे पितृतंत्रात्मक मूल्य और रवैया है जिसका हमारे समाज पर गहरा प्रभाव है। जिन समुदायों मे यह भेदभाव जितना अधिक होता है उतना ही यह कष्टदायक होता है, विशेष रूप से, कुछ अल्पसंख्यक समुदायों में यह कहीं अधिक है। गरीब परिवारों में छोटी लड़की की अधिक भूमिका और गृहस्थ में उसकी जिम्मेदारियाँ, स्कूल जाने में रुकावटें हैं। वर्तमान समाज में लड़के और लड़कियों में भेदभाव से शिक्षा प्रणाली के बहुत से पक्षों पर सीधा प्रभाव पड़ता है; जैसे- शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाओं का अभाव, लड़कियों के गैर-पारंपरिक कोर्सों में पहुँच न होना, पाठ्यचर्या के निर्धारण में भी लड़कियों के बजाय लड़कों को ध्यान में रखना, लड़कियों के प्रति अध्यापकों और प्रशिक्षकों का नकारात्मक रवैया, महिलाओं का उच्च पदों और निर्णय लेने वाली स्थिति में न होना। इसलिए, हमारी शिक्षा नीति उस बड़े सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखकर बननी चाहिए जिसका लड़कियों की शिक्षा पर प्रभाव है। (पृष्ठ 26) राममूर्ति समिति, 990

सामुदायिक अथवा निजी प्रयासों पर टीके छिटपुट उदाहरणों को छोड़ दें तो यह साफ हो जाता है कि भारत की अधिकतर लड़कियां सार्वजनिक स्कूलों के माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण कर पातीं हैं। छात्राओं की शिक्षा के प्रति सरोकार रखने वाले लोगों व संस्थाओं ने इस संदर्भ में राज्य पर ही दबाब बनाने को उचित माना। भारत का संविधान भी राज्य पर यह दायित्व डालता है कि वह समाज के कमजोर वर्गों के पक्ष में सार्वजनिक संसाधन उपलब्ध करवाएँ।

पिछले कुछ वर्षों में समाचारों में इन खबरों ने प्रमुख स्थान ग्रहण किया है जहाँ कि बोर्ड परीक्षाओं में लड़कियों का लड़कों से बेहतर प्रदर्शन रहा है। इस परिघटना को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या इससे यह साबित होता है कि लड़कियों ने बराबरी हासिल कर ली है? इसे पहुँच के सवाल से जोड़कर देखने की भी आवश्यकता है कि कितनी लड़कियां आगे तक बनी रहती है और कितनी उच्च शिक्षा या रोजगार मे आगे जा पा रही हैं। इससे तस्वीर का यह पहलू छिप जाता है कि इन परीक्षार्थियों में लड़कियों का अनुपात कितना था। दूसरी ओर लड़कियों में मनोविज्ञान के प्रदर्शन दबाब की परिघटना को भी दर्शाता है जिसके तहत लड़कियों का एक बड़ा वर्ग स्वयं को इस स्थिति में पाता है कि उन्हें शिक्षा के अगले स्तर पर जाने का मज़बूत दावा ठोकने के लिए लड़कों की तुलना में अपनी अतिरिक्त काबिलियत सिद्ध करनी पड़ती है। आखिर यह उनकी भावी शिक्षा के रास्तों के लिए जीवन मरण का सवाल होता है।

पहुँच के बाद भी काम के अवसरों पर बराबरी का सवाल बना रहता है। कुछ तो आर्थिक व्यवस्था और कुछ पारिवारिक संरचना ऐसी है कि यह असमानता बनी रहती है। चाहे वह पूर्व प्राथमिक शिक्षण व नर्सिंग

के व्यावसायिक क्षेत्र हो चाहे सेवा क्षेत्र में रिसैप्शनिस्ट जैसे कार्य, यह समाज में व्याप्त सांस्कृतिक व पारिवारिक संरचना तथा मूल्यों से तय होता है कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी कार्य के अवसरों की उपलब्धता लिंग से प्रभावित होगी। साथ ही इंजीन्यरिंग और मेडिकल जैसे विषयों में प्रवेश के लिए महंगी कोचिंग की परिघटना यह साबित करती है कि वैधानिक और औपचारिक रूप से बराबरी के अवसर होने के बावजूद यह तय नहीं होता कि वास्तव में भी लड़के लड़कियों के बीच अवसर बराबरी से मिलेंगे। परिवारों में जहां महंगी फीस देकर कोचिंग दिलवाना लड़कों के लिए अधिक सहज निर्णय होता है वहीं लड़कियों के संदर्भ में यह इतना आसान और सहज नहीं होता है। इस प्रकार पहुँच, नामांकन एवं बनाए रखना अगर एक हद तक सुनिश्चित हो भी जाएँ तो उसके बाद भी सामाजिक भूमिका मे बराबर की भागीदारी का सवाल बना रहता है।

इस संदर्भ में आचार्य राममूर्ति समिति का निम्न कथन प्रासंगिक है जो उपरोक्त चर्चा का समेकन करता है:

स्कूल में लड़कियों के दाखिले में उनके बीच में स्कूल छोड़ देने की दर के पीछे केवल सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि हमारी नीति और प्राथमिकताएं भी उत्तरदायी हैं। उदाहरण के तौर पर हमारी वर्तमान शैक्षिक सुविधाएं कैसी हों, उसमें कितनी सामग्री हो और उसकी गुणवत्ता कैसी हो, ये सब बातें शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित होती है। उपर्युक्त संदर्भ में या तो यह लड़कियों की शिक्षा की समस्या को और अधिक बढ़ाएगी या उनकी शिक्षा शिक्षा में भागीदारी को सुविधापूर्ण बना सकेगी। (पृष्ठ 26-27)

2.4 अवरोधन

दिल्ली के स्कूलों के ताज़ा अनुभव यह बताते हैं कि जब प्रशासनिक नवाचार अथवा ई-गवर्नेंस के नाम पर प्रवेश प्रक्रिया को पहले से अधिक जटिल बना दिया जाता है तो आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए जो मुश्किलें पैदा होती हैं उनसे हताश होकर वो सबसे पहले अपनी बेटियों को आगे न पढ़ाने या घर बैठा लेने के विचार व्यक्त करते हैं। इससे साफ होता है कि शिक्षा ग्रहण करने के रास्ते में किसी भी प्रकार की परेशानी आने पर परिवार बेटे बेटी में से सबसे पहले किसकी शिक्षा के अवसरों को दाव पर लगाएंगे। अवरोधन से पार पाने के लिए हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रख सकते हैं और कदम उठा सकते हैं जिससे न सिर्फ लड़कियां स्कूल तक पहुंचे बल्कि समय के साथ अपना अध्ययन भी पूर्ण कर सकें।

- सर्वप्रथम उन कारणों की तलाश की जानी चाहिए जिनके कारण माता-पिता अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पातें. गरीबी के अलावा जातीय कुंठा, असुरक्षा का वातावरण, अध्यापन में अरोचकता और स्कूल का अस्वच्छ एवं गन्दा होना आदि जैसे कारणों से भी लोग अपनी लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजते या भेज पाते हैं।
- छोटी लड़कियों को स्कूल जाने के लिए घर के तमाम कामों से मुक्त करने के लिए परिवार के लोगों के लिए पानी, ईंधन और चारे की सुलभता को बढ़ाना होगा, नीति निर्माताओं को इस ओर

ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा को इस बात पर भी बल देना चाहिए कि गाँव मे सामाजिक वन क्षेत्र बनाने, पीने का पानी मुहैया करने और गाँव मे सार्वजनिक भूमि को हरा-भरा बनाने का काम केवल इसलिए न किया जाए कि इससे महिलाओं के जीवन की नीरसता समाप्त हो जाएगी, बल्कि इसका उपयोग लड़कियों के स्कूल जाने और स्कूल की पढ़ाई जारी रखने के साधन के रूप मे किया जाए।

- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक स्कूल में पानी, शौचालय और शिक्षकों तथा छात्राओं के लिए सुविधाजनक स्थान, कुर्सी, मेज आदि कि व्यवस्था होनी चाहिए.
- सभी अध्यापक प्रशिक्षित, अपने विषय मे दक्ष, संवेदनशील और मेहनती हों. बच्चों कि मानसिकता को पहचानने वाले शिक्षकों को ही छात्र वर्ग आत्मीय मानने लगता है. अध्यापन शैली में रोचकता और सम्प्रेषणता का ध्यान विशेष रूप से रखा जाना चाहिए.
- पाठ्यक्रम सुरुचिपूर्ण वैज्ञानिक एवं बहुआयामी ज्ञान को विकसित करने वाला तथा जनतांत्रिक सिद्धांतों कि स्वीकार्यता से युक्त होना चाहिए. संप्रदायवाद, कट्टरवाद तथा संस्कृति के नाम पर किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने कि प्रवृति पाठ्यपुस्तकों में अंकित नहीं होनी चाहिए.
- प्रत्येक कक्षा में अध्यापक की मौजूदगी अनिवार्य हो और शिक्षक शून्य कमरे की भयावहता तथा एक अध्यापक सभी कक्षाओं की देखरेख करें जैसी शोचनीय स्थिति सर्वथा समाप्त होनी चाहिए.
- माता-पिता तथा अभिभावकों को समय-समय पर जागरूक किया जाना चाहिए कि वे अपने बच्चों को विद्यालय में भेजे तथा शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक बने।

2.5 उपलब्धि

आंकड़े दिखाते हैं कि प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक सभी स्तरों में लड़कियों के नामांकन दर में वृद्धि हो रही है। नामांकन के स्तर पर ही सही एक सांख्यकीय समानता की तरफ हम बढ़ते हुये नज़र आ रहे हैं। हम मान सकते हैं कि इसे प्राप्त करने में एक ओर जहाँ राज्य की भूमिका रही है वहीं दूसरी तरफ जन दबाब व सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया ने भी इसमे योगदान दिया है। लेकिन जैसा कि हम अध्याय में ऊपर चर्चा कर चूकें हैं संख्याओं के पीछे की तस्वीर इतनी सपाट नहीं होती है और हमें इसे देखने के लिए गहराई मे उतरने की ज़रूरत है।

नीचे दी गई सारणी में हम इस क्षेत्र मे हुई उपलब्धि को देख सकते हैं।

Table 2.5.1: Girls enrolled as percentage of total enrolment and ratio of girls' enrolment to boys' enrolment by level of education (primary, upper primary, elementary and secondary education) (2000-01 to 2013-14)

Year	Enrolment of girls as percentage of total enrolment (%)			Ratio of girls' enrolment to boys' enrolment			Enrolment of girls as percentage of total enrolment (%)	Ratio of girls' enrolment to boys' enrolment	
	Primary	Upper primary	Elementary	Primary	Upper primary	Elementary	Secondary and higher secondary	Secondary	Higher secondary
2000-01	43.8	40.9	43.0	0.78	0.69	0.75	38.8	63	63
2001-02	44.2	41.7	43.5	0.79	0.72	0.77	39.7	65	66
2002-03	46.8	43.9	46.0	0.88	0.78	0.85	41.3	70	70
2003-04	46.7	44.1	46.0	0.88	0.79	0.85	41.1	70	70
2004-05	46.7	44.3	46.0	0.88	0.80	0.85	41.5	71	71
2005-06	46.6	44.6	46.1	0.87	0.81	0.85	41.9	73	72
2006-07	46.9	45.2	46.4	0.88	0.83	0.87	42.4	73	74
2007-08	47.5	45.8	47.0	0.91	0.85	0.89	43.4	77	77
2008-09	48.0	46.9	47.7	0.92	0.88	0.91	43.7	78	78
2009-10	47.8	46.5	47.4	0.92	0.87	0.90	44.6	81	81
2010-11	47.9	47.2	47.7	0.92	0.89	0.91	44.7	82	81
2011-12	48.4	48.6	48.4	0.94	0.95	0.94	--	--	--
2012-13	48.4	48.8	48.5	0.94	0.96	0.94	46.9	89	88
2013-14	48.2	48.6	48.3	0.93	0.95	0.94	47.1	89	89

Source: Statistics of School Education, 2007-08, MHRD, GOI; Educational Statistics at a Glance, 2011, MHRD, GoI; Statistics of School Education, 2010-11; U-DISE, NUEPA

उपरोक्त सारणी से दिखाई पड़ता है कि समय के साथ-साथ लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हुई है और स्कूल छोड़ने की दर भी कम हुई है। राज्य द्वारा किया गया यह हस्तक्षेपकारी कार्य सराहनीय तो है मगर पर्याप्त नहीं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतन्त्र में अभी भी लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हैं जिनमे लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद है। इसलिए आवश्यकता है कि राज्य ऐसे कदम उठाए जिससे सभी बच्चों की विद्यालय में उपस्थिती एवं नामांकन सुनिश्चित किया जा सके।

2.6 सारांश

स्पष्टतः लैंगिक भूमिका का समाजीकरण एवं लैंगिक-पूर्वाग्रहयुक्त प्रछन्न पाठ्यचर्या लड़कों एवं लड़कियों के लिए एक असमान शिक्षा को बढ़ाती है। सब बच्चों के लिए एक समान अधिगम का माहौल बनाने के लिए क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए? पहला, शिक्षकों को लैंगिक-पूर्वाग्रह की प्रवृति के प्रति सचेत किया जाना चाहिए। दूसरा, उन्हें इस व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए सहायता (सामग्री, प्रशिक्षण आदि) प्रदान की जानी चाहिए। और इस बात के प्रयास किए जाने चाहिए कि शैक्षिक सामग्री लैंगिक पूर्वाग्रह से मुक्त हो।

जहां पाठ्यपुस्तकें लैंगिक संवेदनशीलता का कुछ ध्यान रखती भी हों वहाँ विद्यालय एवं स्थानीय स्तर पर होने वाले मूल्यांकन यह तय कर देते हैं कि इनका प्रभाव न्यूनतम रहेगा। क्योंकि इनका परीक्षाओं के साथ कोई संबंध नहीं बनाया जाता है।

ब्राजीली शिक्षाविद पाउलो फ्रेरे के अनुसार कार्यान्वयन और सामाजिक गतिशीलता से जोड़े बिना साक्षरता बेमानी है। इसी तरह महिला शिक्षा व लैंगिक संवेदन्शीलता के मुद्दे पर भारत मे जो समझ विकसित हुई है उसका महत्व तभी होगा, जब उसे जेंडर के बारे में सामाजिक-सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ के परिप्रेक्ष्य में रखा जाए। इस संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत बने "शिक्षा के लक्ष्य" आधार पत्र का यह कथन प्रासंगिक है कि शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए अन्यथा अब तक जो कुछ भी कहा गया है वह अर्थहीन हो जायेगा. शिक्षा की प्रक्रिया को सभी प्रकार के शोषण और अन्याय से मुक्त होना पड़ेगा (जैसे गरीबी, लिंग भेद, जाति तथा सांप्रदायिक झुकाव) जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने से वंचित करता है. (p. 5, शिक्षा के लक्ष्य, राष्ट्रीय फोकस समूह)

शिक्षा अपना अर्थ एक मुक्तिकामी भूमिका निभाने में ही प्राप्त करती है और इस विषय में लड़कियों के लिए सभी तरह की बराबरी का सवाल आज भी एक चुनौती की तरह खड़ा है। लैंगिक भेदभाव अथवा असमानता में जो विशेष बात है, जोकि इसे अन्य तरह के भेदभावों या ग़ैर-बराबरी से अलग करती है, वो इसका अदृश्य होना है। यह हमें या तो दिखाई नहीं देती या फिर हम इसे यह कहकर नकारते हैं की यह प्राकृतिक अंतरों पर टिकी है जिसपर हमारा कोई बस नहीं है तथा जो जायज हैं। तिस पर इन असमानताओं को एक लंबे इतिहास, धार्मिक विधान व रीति-रिवाजों का सहारा मिला हुआ है जोकि समाज में इन्हें एक स्वाभाविक तथ्य की हैसियत देता है।

लिंग आधारित भेदभावों के कारणों को यदि हम जानने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि इसका एक प्रमुख कारण पितृसत्तात्मक समाज है. प्रोफेसर कृष्ण कुमार अपनी पुस्तक 'शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व' में लिखते हैं – "समाज में जिन तबकों का वर्चस्व है, वे शिक्षा और विशेषकर पाठ्यक्रम का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने में कर सकते हैं कि उनकी आवाज़ों के अलावा और सभी आवाजें इतनी नाकाफ़ी, कमज़ोर या बिगड़े रूप में आये कि उनकी अपील नकारात्मक हो जाये (पृष्ठ, 22)

यहाँ यह भी दृष्टिगोचर होता है कि अन्य असमानताओं की तरह लैंगिक अन्याय में भी एक सत्ता का संतुलन बनाए रखने का उद्देश्य है। इतिहास गवाह है कि एक विशेष वर्ग के लिए ऐसे सुविधाजनक सत्ता सम्बन्धों को सीधे चुनौती देकर ही उन्हें अधिक न्यायसम्मत बनाया जा सका है। अर्थात, न्याय पर आधारित लैंगिक संबंध समाज में अपने-आप स्थापित नहीं होते, बल्कि उनके लिए सतत व सचेत संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि वर्तमान की इन परिस्थितियों में एक वर्ग शोषक की भूमिका में है और उसे इस असमानता का भौतिक-मानसिक लाभ मिल रहा है इसलिए केवल हृदय-परिवर्तन के माध्यम से बदलाव की उम्मीद करना अनुचित है। हाँ, शिक्षा ज़रूर वो स्थल उपलब्ध कराती है जहां से बदलाव के कम-से-कम सांस्कृतिक बीज तो बोये ही जा सकते हैं। अगर हम इसका इतना भी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो न सिर्फ हम शिक्षा व लड़कियों के साथ अन्याय करेंगे, बल्कि बदलाव के और अनिश्चित व वीभत्स रूपों के लिए भी हमें तैयार रहना होगा।

2.7 शब्दावली

1. **अवरोधन** – वे कारक और प्रक्रिया जिसके चलते लड़कियां विद्यालय जाने से वंचित हो जाती हैं।
2. **ड्रॉपआउट** – बीच में ही स्कूल छोड़ देने की परिघटना को ड्रॉपआउट के नाम से जाना जाता है। बहुत से विचारक व शिक्षाविद इसे पुशआउट कहते हैं जिसका आशय है कि बहुत से ऐसे कारक हैं जो बच्चों को विद्यालय से बाहर धकेल देते हैं बच्चा अपनी स्वेच्छा से विद्यालय नहीं छोड़ता बल्कि उसे इसके लिए बाध्य कर दिया जाता है।
3. **नामांकन** – नामांकन के अंतर्गत विद्यालय मे नाम जोड़ने को लिया जाता है। नामांकन के द्वारा हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं कि कितने बच्चे स्कूल में हैं और कितने बाहर और उसी के आधार पर राज्य व नीति नियंता नीतियों का निर्माण करते हैं।
4. **पहुँच** – बच्चों द्वारा विद्यालय मे प्रवेश को पहुँच के दायरे में रखा जाता है। ऐसे बहुत से कारक हैं जो बच्चों की विद्यालय में पहुँच को रोकते हैं जिसकी चर्चा हम अध्याय मे कर चुके हैं।

2.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. एप्पल, माइकल(990). आइडियोलॉजी एण्ड करिकूलम. न्यूयार्कः रटलेज।
2. एप्पल, माइकल(993). ऑफिसियल नॉलेज: डेमोक्रेटिक एडूकेशन इन कन्सर्वेटिव एज. न्यूयार्कः रटलेज।
3. कारनोय, मार्टिन. (997). सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और शिक्षा. नई दिल्लीः ग्रंथशिल्पी.
4. कुमार, कृष्ण (998) शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व. दिल्लीः ग्रंथशिल्पी प्रकाशन.
5. ग्राम्सी, एंटोनियो (97). सेलेक्शन फ्रॉम प्रिजन नोटबुक, न्यूयॉर्क : इंटरनेशनल पब्लिशर्स.

6. जेंडर और शिक्षा रीडर- भाग (200). नई दिल्लीः निरंतर.
7. डीम, रोजमैरी (978). वूमेन एण्ड स्कूलिंग. लंदनः रटलेज एण्ड कीगन पॉल।
8. डीवी, जॉन. (998). शिक्षा और लोकतंत्र. नई दिल्लीः ग्रंथशिल्पी.
9. दुर्खीम, एमील. (2008). शिक्षा का स्वरूप और उसकी भूमिका. सुरेशचन्द्र शुक्ल एवं कृष्ण कुमार (सम्पादित) शिक्षा का समाजशास्त्रीय संदर्भ में (पृष्ठ 7-30). नई दिल्लीः ग्रंथशिल्पी.
10. दूबे, लीला (200). एन्थ्रोपोलोजीकल एक्सप्लोरेशन इन जेंडरः इण्टरसेक्टिंग फिल्डस्. नई दिल्लीः सेज पब्लिकेशन।
11. पार्सन्स, टोलकट . (200). सामाजिक व्यवस्था के रूप में स्कूली शिक्षाः अमेरिकी समाज में इसके कुछ प्रकार्य. शिक्षा विमर्श, मार्च-जून (पृष्ठ 75-89). जयपुरः दिगन्तर.
12. फ्रेरे, पाउलो. (997). उत्पीड़ितों का शिक्षाशास्त्र, नई दिल्लीः ग्रंथशिल्पी
13. बर्जर, पी. एवं लकमैन, टी. (99). दि सोश्यल कन्सट्रक्शन ऑफ़ रियलटीः ए ट्रीटाइज इन दि सोश्योलाजी आफ नालेज. दिल्लीः पैन्गुइन बुक्स.
14. ब्लेनकीन, जी. एम., एडवर्ड, जी. एवं केली, ए. वी. (992). चेंज एण्ड दि करिक्यूलम. लंदनः पाल चैपमैन पब्लिशिंग लिमिटेड.
15. भट्टाचारजी, नन्दिनी (202). आइने में अक्सः प्राथमिक विद्यालयों में लैंगिक (जेण्डर) समाजीकरण. शिक्षा विमर्श, मार्च-जून (पृष्ठ 2-32). जयपुरः दिगन्तर.
16. भारत सरकार (986). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 986।
17. भोग, दिप्ता (2008). जेंडर एण्ड करिक्यूलम. ई. मैरी जा ॅन द्वारा सम्पादित वूमैनस स्टडीज इन इंडियाः ए रीडर मे. पृष्ठ 352.360, नई दिल्लीः पैन्गुइन बुक्स।

2.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. शिक्षा में लड़कियों के नामांकन मे कमी के कारण बताइये।
2. राज्य की उन योजनाओं के उदाहरण दीजिये जिनसे लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हुई है।
3. "शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए" इस कथन से आप क्या समझते हैं?
4. जेंडर के संदर्भ में टिप्पणी कीजिये जेंडर संवेनशीलता को बढ़ाने में स्कूल किस प्रकार अपना योगदान
5. धार्मिक-सामाजिक रूढ़ियाँ बालिका शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित कीजिये। उदाहरणों सहित विश्लेषण कीजिये।

इकाई 3- पाठयक्रम में निहित जेंडर सम्बन्धी मुद्दे

3.1 प्रस्तावना
3.2 उद्देश्य
3.3 जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र और संस्कृति के प्रतिच्छेदन के रूप में जेंडर -
3.4 पाठ्यक्रम में निहित जेंडर-भेद के मुद्दे
3.4.1 पाठ्यक्रम की अवधारणा
3.4.2 पाठ्यक्रम के प्रकार
3.5 जीवन कौशल व यौनिकता
3.6 सारांश
3.7 शब्दावली
3.8 अभ्यास प्रश्न-उत्तर
3.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची
3.10 निबन्धात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा- नीति(1986) में कहा गया है कि जिन सिद्धांतों पर राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना की गई है व हमारे संविधान में निहित है.(पैरा 3.4:2). राष्ट्रीय शिक्षक आयोग की माने तो लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय संविधान में वर्णित तीन सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं. (सिंह. बिरेन्द्र रावत ,2016:30) इन सभी मूल्यों के शैक्षिक रूप में स्थापित होने के लिए आवश्यक है कि शिक्षा से सम्बंधित सभी स्तरों को किसी भी तरह के भेद से निरपेक्ष बनाया जाए. शिक्षा के इन सभी उद्देश्यों को शिक्षार्थियों तक पहुँचाने की महत्वपूर्ण कड़ी है 'पाठयक्रम'. 'पाठ्यक्रम' शैक्षिक प्रक्रियाओं का वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें बच्चे के जीवन के सम्पूर्ण अनुभवों का समावेश किया जाता है. भारतीय शिक्षा व्यवस्था का अपना एक औपनिवेशिक इतिहास रहा है. जिसमें प्राय: पाठ्यक्रम के स्तर पर इस तरह की चीजों का समावेशन होता रहा है जो इस ऐतिहासिक रूप से प्रदत मानसिकता को आगे ले जाती रहीं है. इसलिये शिक्षा नीति का प्रत्येक दस्तावेज ऐसे मूल्यों की चर्चा शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में करता रहा है जो समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों को व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा बना सके. चुकि: हम भारत जैसे विविध देश में हैं, जिसमें भौगोलिक क्षेत्रों से लेकर लोगों के रहन-सहन, आचार-विचार, विश्वास आदि सांस्कृतिक विवधताओं के साथ-साथ जाति,धर्म व जेंडर सम्बन्धी भिन्नताओं का माहौल है. ऐसे विविध देश में शिक्षा में समानता और विविधताओं को समावेश करते हुए संविधान की गरिमा को बनाये रखना अपने

आप में एक जटिल, संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है. पिछले कुछ दशकों में भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर हुए शोध यह दर्शाते हैं कि भारत के स्कूलों में जाति,धर्म,भाषा,क्षेत्र और जेंडर के आधार पर भेद-भाव होता है. इसी संदर्भ में नव-समाजशास्त्रीओं ने स्कूल की कक्षाओं को 'ब्लैक बॉक्स' की संज्ञा दी है, जिसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में ऐसी गतिविधियाँ की जाती हैं जो सामाजिक संरचना में यथास्थिति(STATUS-QUO) को बनाये रखने का काम करती हैं. स्कूलों में लिखित व व्यवहारिक पाठ्यक्रम में एक बहुत बड़ी खाई नज़र आती हैं जो जाति, जेंडर , भाषा,धर्म व क्षेत्र के आधार पर भेद-भाव को पुष्ठ करती हैं. यह भेदभाव अक्सर इतने विकराल रूप ले लेते हैं कि एक भयानक और क्रूर हिंसा को जन्म देते हैं. ऐसे में शिक्षा का यह उद्देश्य बन जाता है कि वह ऐसे नागरिकों का विकास करें जो बेहतर जीवन कौशलों से लेस हो और जीवन को बेहतरी और विकास की तरफ उन्मुख कर सकें. एक बेहतर जीवन के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और विकसित होना बहुत आवश्यक है तभी एक बेहतर समाज का निर्माण संभव है . इसलिए शिक्षा में किशोर/किशोरियों के यौन सम्बन्धी मुद्दों पर संवाद भी अत्यंत आवश्यक है. भारतीय समाज में पारम्परिक रूप से किशोरों के यौन मुद्दों को चर्चा का विषय नहीं बनाया जाता. हमारे समाज में प्राय: इन मुद्दों को बेहद निजी माना जाता है और बातचीत के दायरों से बाहर रखा जाता है. जिसके चलते किशोरों में कई तरह की यौन समस्याएं व कुंठा पैदा हो जाती हैं. इसलिए किशोर/ किशोरियों के इन मुद्दों को शिक्षा के कार्यक्षेत्र में लाना बहुत आवश्यक है. पिछले पांच दशकों में शिक्षा से सम्बंधित लिखित दस्तावेज लगातार व्यवस्था , स्कूल-प्रशासन व शिक्षकों को यह बताते रहें हैं कि स्कूली शिक्षा इन भेदों और मुद्दों के प्रति संवेदनशील रहें परन्तु व्यवहारगत स्तर पर यह लक्ष्य अभी भी पहुँच से कोसों दूर हैं. इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि स्कूल में शिक्षण कर रहें और भविष्य में शिक्षण करने वाले भावी शिक्षकों का इन विविधताओं, चुनौतियों और मुद्दों को लेकर उन्मुखीकरण किया जाये. शिक्षा के व्यापक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु लिखित पाठ्यक्रम जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है शिक्षकों को इस दिशा में शिक्षित करना कि व पाठ्यक्रम के व्यवहारगत स्तरों पर इन सभी चुनौतियों व जेंडर भेद के मुद्दों को पहचान पाए व उनके प्रति संवेदनशील हो पाए. प्रस्तुत इकाई में इन्ही संदर्भों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम और जेंडर भेद के मुद्दों को जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र आदि के भीतर बताने का प्रयास किया गया है. इसके साथ ही पाठ्यक्रम में निहित जीवन कौशलों को समझने और बताने का प्रयास किया गया है.

3.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के उपरांत पाठक

1. जेंडर सम्बन्धी अवधारणा के जाति, धर्म, वर्ग व क्षेत्र के संस्थाबद्ध चरित्र को जान पाएंगे.
2. पाठ्यक्रम की लिखित और प्रछन्न (hidden) अवधारणा को जान पाएंगे.
3. पाठय-पुस्तकों और कक्षागत अभ्यासों में निहित जेंडर के मुद्दों को पहचान पाएंगे.
4. पाठ्यक्रम में निहित जीवन कौशलों और यौनिकता के मुद्दों को जान सकेंगे.

3.3 जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र और संस्कृति के प्रतिच्छेदन के रूप में जेंडर -

भारतीय समाज में जेंडर भेद के मुद्दें केवल परिवार में होने वाले समाजीकरण से आत्मसात की गई अवधारणा तक ही सिमित नहीं है बल्कि जीवन पर्यंत इनका अभ्यास चलता रहता है. जेंडर आधारित व्यवहार भातीय समाज में संस्थाबद्ध तरीके से संचालित होते हैं. यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि संस्कृतिजन्य लिंग भेदों के विषय में लगभग निरपवाद रूप से यह माना जाता है कि उनका मूल जीवविज्ञान में है.उन्हें प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा समझा जाता है. (दुबे लीला , 199). यह भेद प्रक्रिया जाति, वर्ग, धर्म और क्षेत्रीय स्तर समान रूप से चलती है. भारतीयों की पहचान कई प्रकार से होती हैं. संदर्भ से ही यह निर्धारित होता है कि वह अपनी पहचान किस रूप में कर सकता है कुछ संदर्भों में धर्म,निवास स्थान या परिवार सूचक नाम पर्याप्त हो सकता है.(दुबे , 1985:43), अर्थात भारतीय व्यवस्था में व्यक्ति की पहचान उसके धर्म, जाति, क्षेत्र आदि के आधार पर भी तय होती होती है. पाठ्यक्रम में जाति, धर्म, वर्ग और क्षेत्रीयता की संकल्पनाओं में निहित जेंडर के मुद्दों को समझने से पूर्व आइये इन अवधारणाओं की समझ को स्पष्ट कर लें.

i. **जाति की अवधारणा** – जाति को अंग्रेज़ी में सामान्यत: कास्ट (cast) कहते हैं. यह एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें सामाजिक ढांचें में लोगों के समूहों को स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है. भारत में जातियां जन्म के आधार पर की जाने वाली समान आनुष्ठानिक प्रस्थिति के आधार पर वर्णों में बंटी होती हैं. जाति शब्द का इस्तेमाल उस अन्तर्विवाही समुदायों के लिए किया जाता है जिसकी आनुष्ठानिक प्रस्थिति कमोबेश परिभाषित है तथा जिसके साथ कोई व्यवसाय पारम्परिक तौर पर जुड़ा हुआ है. मुसलमानों में स्थिति कुछ भिन्न है. नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिदों में कोई प्रतिबन्ध नहीं है और अछूत प्रथा स्पष्ट नहीं है. भारतीय मूल के धर्मों – जैन, बौध तथा सिख – में जाति के जारी रहने के साक्ष्य है. (वही:47)

ii. **वर्ग से तात्पर्य** – वर्ग से तात्पर्य उस सामाजिक समूह से है जो किसी सामाजिक ढांचे में सामान शक्ति व सामर्थ्य को साँझा करते हैं. यह अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच शक्ति व समृद्धि का बंटवारा है.

iii. **संस्कृति की अवधारणा** – संस्कृति का अर्थ है – 'जीवन जीने का तरीका(way of living). समाजशास्त्रीय रूप से संस्कृति का अर्थ है – सामाजिक समूहों के साँझा किये जाने वाले विश्वास, व्यवहार और सामान्य चरित्र. संस्कृति के माध्यम से लोग स्वयं के मूल्यों को परिभाषित करते हैं. संस्कृति के दो रूप होते हैं पहला भौतिक और दूसरा अभौतिक.

   a. **भौतिक संस्कृति** – भौतिक संस्कृति से अभिप्राय किसी सामजिक समूह के भौतिक प्रतिक चिन्हों से है जो उसकी पहचान को परिलक्षित करते हैं. जैसे – भाषा, भेष-भूषा व दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुए.

b. **अभौतिक संस्कृति** – अभौतिक संस्कृति से अभिप्राय किसी सामाजिक समूह विशेष की मान्यता और विश्वासों से हैं. जैसे किसी समुदाये विशेष की द्वरा पुरे किये जाने वाले रिवाज आदि.

iv. **क्षेत्रीयता की अवधारणा** – क्षेत्रीयता की अवधारणा से अभिप्राय एक ऐसे क्षेत्र का वासी होने की भावना से है जिसमें एक क्षेत्र विशेष से सजातीय होने की भावना जुडी होती है.यह क्षेत्र अपने पडोसी क्षेत्र से सांस्कृतिक रूप से भिन्न होते हैं जैसे – आदिवासी समूह.

v. **संस्थाएं** – संस्थाएं सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करती हैं . यह सामाजिक व्यवस्था के ढांचें का सञ्चालन करने व समुदायों के व्यक्तियों के व्यवहार को अनुशासित व नियंत्रित करती हैं. धर्म, जाति व जेंडर की संकल्पनायें सामाजिक संस्थाओं का ही रूप हैं जो समाज में किसी व्यक्ति के व्यवहार को सामाजिक संरचनाओं के हिसाब से संचालित और नियंत्रित करती हैं.

3.4 पाठ्यक्रम में निहित जेंडर-भेद के मुद्दे

पाठ्यक्रम में जेंडर- भेद के मुद्दों को समझने के लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम की अवधारणा को समझा जाये.

3.4.1 पाठ्यक्रम की अवधारणा

पाठ्यक्रम से अभिप्राय उन सभी शैक्षिक गतिविधियों से जिसमें बच्चे के सभी अनुभवों को समाहित किया जाता है. इसकी कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं-

- Mkuchu (2004) – पाठ्यक्रम से अभिप्राय उन सभी योजित गतिविधियों से है. जिन्हें एक स्कूल अपने अधिगम कर्ता के लिए सुनिश्चित करता है. इसके लिए पाठ्यक्रम में अनुभव कर्ता के प्रत्येक अनुभव को सम्मिलित किया जाता है.
- Tanne (1990) पाठ्यक्रम एक प्रकार का योजित दिशानिर्देशन से तैयार किया गया है जिसमें सीखने अनुभव व अभीष्ट सीख के आउटकम स्कूल में ज्ञान के निर्माण व अनुभवों में निर्मित व व्यवस्थित होते हैं.
- Walker (1990) – पाठ्यक्रम की मौलिक अवधारणा में निम्न बातें शामिल होती है –
    - विषय- वस्तु (content) – जिसमें अवधारणायें, विषय व थीम्स सम्मिलित होती हैं.
    - उद्देश्य (objectives) – सामान्यत: इन्हें व्यक्तिगत, सामाजिक व बौद्धिक श्रेणियों में बांटा जाता है.
    - संगठन(organization) – यह योजनाओं . अवसर (scope) और क्रम पर आधारित होती है. संगठन को मजबूत और खुला दोनों तरह से रखा जाता है.

सार रूप में पाठ्यक्रम किन्ही योजित गतिविधियों का संकलन है जिन्हें किसी शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत तैयार किया जाता है व लागू किया जाता है. यह उद्देश्य हैं – विषय वस्तु जिसमें क्या पढाया जाना है और ज्ञान , कौशल और अभिरुचियों का विकास जिनको ध्यान में रखकर ही विषय वस्तु , शैक्षिक विधियाँ, पठन सामग्री व मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है.

3.4.2 पाठ्यक्रम के प्रकार

पाठ्यक्रम को मुख्यतः निम्न भागों में बांटा जा सकता है.

i. **औपचारिक (Official) पाठ्यक्रम** – जो प्रत्यक्ष और लिखी होता है.

ii. **पढाया गया (The tought) पाठ्यक्रम** – तैयार किये गए पाठ्यक्रम को शिक्षक द्वरा पढाया जाना. जिसमें पाठ्यक्रम की दिशा निर्देशन के अनुसार प्रत्यय व विषय – वस्तु का कक्षाओं में आना. जिसमें शिक्षण, परिवेश, शिक्षण रणनीतियां व शिक्षण सामग्री आती है. इस प्रक्रिया में लिखित पाठ्यक्रम को बच्चों तक संचारित किया जाता है.

iii. **सीखा गया (learned) पाठ्यक्रम** – इस तरह के पाठ्यक्रम से अभिप्राय नियत या अनियत पाठ्यक्रम से अधिगम कर्ताओं ने क्या सीखा. इस पाठ्यक्रम में देखा जाता है कि बच्चों ने कक्षा में क्या सिखा, कैसे सीखा और वे सीखे हुए कैसे लागू करेंगे व उस सीखे गए ज्ञान का संगठन कैसे करेंगे. यहाँ शिक्षण-अधिगम को देखा जाता है.

iv. **प्रच्छन्न / छिपा पाठ्यक्रम** – इस पाठयक्रम से अभिप्राय ऐसे पाठ्यक्रम से है जो कही लिखित नहीं होता लेकिन स्कूल की गतिविधियों में परोक्ष रूप से शामिल होता है. (Dwyer 1982 and Print 1987) के अनुसार पाठ्यक्रम के औपचारिक व लिखित रूप से इतर भी एक रूप है जिसे 'छिपा पाठयक्रम' कहा जाता है. इस तरह के पाठ्यक्रम के अनियत प्रभाव शामिल होते हैं परन्तु यह कभी स्पष्ट कहें नहीं जाते. इसमें सीखने के अनौपचारिक तत्व शामिल होते हैं. छिपा पाठ्यक्रम नॉन अकादमिक व स्थापित मान्यताओं व अधिगम उत्पादों को आकार देता है.
(Witt(1997) ने बताया कि छिपा पाठ्यक्रम एक प्रकार का शक्तिशाली तरीका है जो सूक्ष्म रूप से शिक्षक और छात्रों को प्रभावित करता है. इन सूक्ष्म रूपों के प्रति शिक्षक व शिक्षार्थी सचेत भी नहीं होते हैं. छिपा पाठ्यक्रम एक समय पर उद्देशित पाठ्यक्रम से अलग होता है. यह स्कूल की सामान्य और विशेष प्रक्रियों में व्यक्त होता है. आइये अब कुछ उदहारण की मदद से छिपे पाठ्यक्रम के तत्वों को पहचानने का प्रयास करते हैं –

यहाँ कुछ ऐसी घटनायें दी गई हैं जिन्हें संभवतः आपने अपने शूल के समय या आस-पास के स्कूल के परिवेश में होते हुए देखा होगा-इन्हें ध्यान से पढ़िए और सोचिये -

i. स्कूल में सुबह प्रार्थना सभा के दौरान लड़के व लड़कियों का अलग-अलग पंक्तियों में खड़ा होना.

ii. कक्षा में बैठने के दौरान लड़के व लडकियों की अलग- अलग व्यवस्था का होना .

iii. स्कूल में साज सज्जा के कार्य सामन्यत: लड़कियों द्वरा किया जाना.

iv. स्कूल में भरी भरकम सामान्यत: लड़कों द्वरा किया जाना.
v. स्कूल में राष्ट्रीय त्योहारों के अतिरक्त किन त्योहारों को विशेष रूप से मनाया जाता है.
vi. स्कूल में जो बच्चे उनके घर में बोली जाने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनको किस तरह से देखा जाता है.
vii. स्कूल में जब छात्रवृति के बटवारे के लिए 'आरक्षित' श्रेंणी के छात्रों/छात्राओं को किस तरह का संबोधित किया जाता है.
viii. स्कूल में गृह विज्ञान का विषय कौन से बच्चे ले सकते हैं. आदि- आदि .

जब इन घटनाओं पर विचार करेंगे तो समभवत : इस तरह के जबाव पाए कि सभा में लड़के व लड़कियों की पंक्तियाँ अलग – अलग बनाई जाती है, कक्षा में लड़के व लड़कियां अलग-अलग बैठती हैं , भारी भरकम कार्य लड़के करते हो और लड़कियां साज सज्जा के कार्य करती थी , स्कूल में प्राय : उन त्योहारों को मनाया जाता हो जिस त्यौहार को मनाने वाले शिक्षक व बच्चें ज्यादा हो और अल्पसंख्यक वर्ग के त्यौहार नहीं मनायें जाते हो. स्कूल में जो बच्चें अपने घर पर बोली जाने वाली भाषा उसका का प्रयोग करते हैं उन्हें व्यवहारिक रूप से कमतर होने का बोध किया जाता हो.

छात्रवृति वितरण के समय बच्चों को उनकी जाति के आधार पर 'निम्न' होने का बोध कराया जाता हो और गृह विज्ञान विषय को केवल लड़कियों के लिए अनिवार्य किया जाता हो.

यह कुछ ऐसी घटनायें हैं जो संभवतः आपने अपने स्कूल के दिनों में या सामान्यत: स्कूलों की दैनिक प्रक्रिया में अवलोकन की हो. इस तरह का व्यवहार किसी इस राष्ट्रीय नीतिगत व दिशानिर्देशक दस्तावेज में लिखित नहीं हैं लेकिन व्यवहारगत रूप से स्कूल में इस तरह के व्यवहार को जा सकता हैं.स्कूल में व्यवहारगत स्तर पर की जाने वाली ये चीज़े समाज की पारंपरिक मान्यताओं को ही पुष्ट करती हैं. यदि जेंडर भेदभाव के संदर्भ में बात करें तो स्कूल में होने वाली दैनिक क्रियाओं से लेकर पाठ्यपुस्तकों की विषय वस्तु, चित्र और भाषा में यह भेद दिखाई देता है – यदि आप 2005 के पहले की किसी भी पुस्तक को देखें तो आप इस अंतर स्वयं भी देख सकते है. जिनमें आप देख पायेगें विशेषत: भाषा की पाठय पुस्तकों में पुरुषों से सम्बन्धित कहानियां , जीवनियाँ व वृतांत है, इसके अतिरिक्त 'पुरुषत्व' (masculine) चित्र अधिक हैं. जो कक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में 'लड़की' व 'स्त्रियों' के स्थान को सीमित करती हैं और

जेंडर पूर्वाग्रह और मान्यताओं को बढ़ावा देती हैं प्राय:पाठ्य-पुस्तकों से किसी विशेष समूह को अदृश्य रखा जाता है और महिलाओं को भी अदृश्य रखा जाता है.(Schau; 1994) , पाठ्य-पुस्तकें पूर्वाग्रहों से भरी होती हैं जिनमें पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का चित्र कम होता है. इस तरह लगातार महिलाओं का बहिष्करण होता रहता है .(Koza; 1994)

अधिकांश देशों की 51 प्रतिशत नागरिक स्त्रियाँ हैं और उन्हें ही पाठ्य-पुस्तकों से बाहर रखा जाता है (Yin,;1990).इस प्रकार छिपा पाठ्यक्रम गतिविधयों व पाठ्य –पुस्तकों के माध्यम से तमाम तरह से

यथास्तिथि(अर्थात समाज के ढांचे को ज्यों का त्यों बनाये रखना) को स्थापित करने का कार्य करता है. जैसे की माइकल एप्पल ने अपने लेख 'आइडियोलॉजी एंड करिकुलम' में कहा है कि – छिपा पाठ्यक्रम पूंजी वादी व्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है.(1982)

3.5 जीवन कौशल व यौनिकता

जीवन कौशलों से तात्पर्य उन कौशलों से है जो व्यक्ति को सामाजिक जीवन व परिवेश में मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सामाजिक व्यवहारों को विकसित करने में सहायक होते हैं जैसे – स्वयं की क्षमताओं को समझना, दूसरों से जुड़ना, सहयोग, जिम्मेदारी और स्वायत्ता व अध्यात्म आदि ऐसे जीवन कौशल हैं जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित होने में सहायक होते हैं . स्कूल में जीवन कौशलों की शिक्षा द्वंद और असंतुलित होते किशोर जीवन को स्कूल में स्वास्थ्य और कल्याण को प्राप्त करने में सहायक हो.आज विश्व का स्वरूप तेजी से बदल रहा है. वैज्ञानिक अनुसंधानों एवं मिडिया के क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं जिससे हमारा युवा वर्ग सर्वाधिक प्रभावित हो रहा है. विकास वादी मनोविज्ञानिको ने मानव के नैतिक, सामाजिक,संज्ञानाताम्क, भावात्मक तथा शारीरिक विकास की ही तरह 'यौन विकास' को मौलिक एवं सार्वभौमिक स्वीकार किया हैं. किशोरावस्था में होने वाले यौन विकास का प्रभाव व्यक्तित्व के सभी पक्षों पर पड़ता है.(अरोड़ा.पंकज 2012;15,21).जीवन के विकास में किशोरावस्था एक ऐसा निर्णायक क्षण है जहाँ बच्चों की रुचियाँ बनती हैं. विषयों का चयन तय होता है.व्यावसायिक अभिरुचियाँ तय होती हैं. इन सबके के साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इस अवस्था में आता वह है किशोर/ किशोरियों में आने वाले शारीरिक और संवेगात्मक परिवर्तन. इस अवस्था में अपने से विपरीत जेंडर के प्रति आकर्षण होने शुरू हो जाते हैं. इस अवस्था में बच्चे/ बच्चियां कई तरह के मानसिक और शारीरिक संवेगों से

गुज़रते हैं और कई बार उचित दिशा न मिलने पर वह हिंसा का सहारा लेते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं व कुंठा ग्रस्त हो जाते हैं. इसलिए पाठ्यक्रम में यौन सम्बन्धी मुद्दों पर शिक्षा और जीवन कौशलों की शिक्षा का होना अनिवार्य बन जाता है.

3.6 सारांश

प्रस्तुत इकाई में हमने जेंडर को एक सामाजिक संस्था के रूप में जानते हुए यह जानने का प्रयास किया कि किस तरह सामाजिक इकाई के रूप में परिवार रूपी सामाजिक संस्था जेंडर भेद को प्राथमिक समाजीकरण के माध्यम से व्यक्तियों की पहचान का हिस्सा बनाती है. इस प्रक्रिया में स्कूल और छिपा पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. स्कूल में होने वाली गतिविधिया प्राय : जेंडर भेदों से भरी होती हैं जो जेंडर सम्बन्धी पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देती है और समाज में सामजिक- सांस्कृतिक पुनुरुत्पादन करती हैं तथा यथा-स्थिति को बनाये रखने में योगदान देती हैं. इसलिए आवश्यक है की पाठ्यक्रम में

निहित उन तमाम बिदुओं को पहचाना जाये जो प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से स्कूल में सामाजिक- सांस्कृतिक रूप से विभेदीकरण को बढ़ावा देते हैं. इस इकाई में जीवन कौशल के रूप में शिक्षा और यौन शिक्षा के शैक्षिक महत्व को भी समझाने का प्रयास किया गया.

3.7 शब्दावली

1. **जाति-** जाति एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमे विशेष सामाजिक समूह श्रेणीबद्ध होते हैं.
2. **संस्था** – सामाजिक ढांचे में व्यक्ति विशेष के व्यवहारों को समुदायों के अनुसार अनुशासित और नियंत्रित करने की व्यवस्था
3. **क्षेत्रीयता** – एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष में सजातीय होने की भावना
4. **वर्ग** – वर्ग से तात्पर्य उस सामाजिक समूह से है जो किसी सामाजिक ढांचे में सामान शक्ति व सामर्थ्य को साँझा करते हैं. यह अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच शक्ति व समृद्धि का बंटवारा है.
5. **पाठ्यक्रम**- पाठ्यक्रम एक प्रकार का योजित दिशानिर्देशन से तैयार किया गया है जिसमें सीखने अनुभवों अभीष्ट सीख के आउटकम को स्कूल में ज्ञान के निर्माण व अनुभवों में निर्मित व व्यवस्थित होते हैं.
6. **छिपा पाठ्यक्रम**- पाठयक्रम से अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से है जो कही लिखित नहीं होता लेकिन स्कूल की गतिविधियों में परोक्ष रूप से शामिल होता है.
7. **जीवन कौशल** – जीवन कौशलों जो एक बेहतर सामाजिक स्वस्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए आवश्यक होते हैं.

3.8 अभ्यास प्रश्न-उत्तर

1. सामाजिक संस्था के रूप में (जेंडर) की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये.

   उत्तर - जेंडर आधारित व्यवहार भातीय समाज में संस्थाबद्ध तरीके से संचालित होते हैं. यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि संस्कृतिजन्य लिंग भेदों के विषय में लगभग निरपवाद रूप से यह माना जाता है कि उनका मूल जीवविज्ञान में है.उन्हें प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा समझा जाता है. यह भेद प्रक्रिया जाति, वर्ग, धर्म और क्षेत्रीय स्तर समान रूप से चलती है. भारतीयों की पहचान कई प्रकार से होती हैं. संदर्भ से ही यह निर्धारित होता है कि वह अपनी पहचान किस रूप में कर सकता है कुछ संदर्भों में धर्म,निवास स्थान या परिवार सूचक नाम पर्याप्त हो सकता है. अर्थात भारतीय व्यवस्था में व्यक्ति की पहचान उसके धर्म, जाति, क्षेत्र आदि के आधार पर भी तय होती होती है और इन सभी संस्थाओं के भीतर जेंडर आधारित भेद व्याप्त होता है.
2. प्रश्न 2. पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर -पाठ्यक्रम किन्ही योजित गतिविधियों का संकलन है जिन्हें किसी शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत तैयार किया जाता है व लागू किया जाता है. यह उद्देश्य हैं – विषय वस्तु जिसमें क्या पढाया जाना है और ज्ञान , कौशल और अभिरुचियों का विकास जिनको ध्यान में रखकर ही विषय वस्तु , शैक्षिक विधियाँ, पठन सामग्री व मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है.

3. छिपे पाठ्यक्रम की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये ?
   उत्तर - पाठयक्रम से अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से है जो कही लिखित नहीं होता लेकिन स्कूल की गतिविधियों में परोक्ष रूप से शामिल होता है.
4. जीवन कौशलों व लैंगिकता के सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिये .
   उत्तर - जीवन कौशलों से तात्पर्य उन कौशलों से है जो व्यक्ति को सामाजिक जीवन व परिवेश में मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सामाजिक व्यवहारों को विकसित करने में सहायक होते हैं जैसे – स्वयं की क्षमताओं को समझना, दूसरों से जुड़ना, सहयोग, जिम्मेदारी और स्वायत्ता व अध्यात्म आदि ऐसे जीवन कौशल हैं जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित होने में सहायक होते हैं . स्कूल में जीवन कौशलों की शिक्षा द्वंद और असंतुलित होते किशोर जीवन को स्कूल में स्वास्थ्य और कल्याण को प्राप्त करने में सहायक हो.

3.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. श्रीनिवासन एम.एन (1967), आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन ,राजकमल प्रकाशन , नयी – दिल्ली .
2. कुमार कृष्ण (2010), कल्चर, स्टेट एंड गल्स: एन एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, इकोनोमिक पोलिटिकल वीकली वोलुम 17,
3. कुमार कृष्ण (2016), स्टडिंग चाइल्ड हुड इन इंडिया , इकोनोमिक पोलिटिकल वीकली , वोलुम 23
4. कुमार कृष्ण (2014), चूड़ी बाज़ार में लड़की , राजकमल प्रकशन, दिल्ली .
5. दुबे एस.सी. (1985), भारतीय समाज , नेशनल बुक ट्रस्ट , नई दिल्ली
6. दुबे लीला(1988), ओन द कंस्ट्रक्शन ऑफ़ जेंडर: हिन्दू गर्ल्स इन पेट्रीलिनेअल इंडिया, , इकोनोमिक पोलिटिकल वीकली वोलुम 23, संख्या 18.
7. बर्क लौरा (2006), चाइल्ड डेव्लोपमेंट, पिअरसन एजुकेशन, साऊथ एशिया.
8. राष्ट्रीय पाठ्य चर्या (2005), एन.सी.इ.आर.टी. नई दिल्ली.
9. आधार पात्र
10. माइकल एप्पल

11. मोहमद हुसैन (2015), Analysis of Gender as Hidden Curriculum in primary urdu language text books jammu and Kashmir. Cie, department of education, delhi university, delhi .
12. अरोड़ा पंकज (2012), विद्यालयों में यौन शिक्षा, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली 15,21
13. लखानी सुजाता (2001). STRESS MANAGEMENT FOR ADOLSCENT GIRLS : A LIFE SKILLS APPROACH , CIE, DELHI

3.9 निबन्धात्मक प्रश्न

1. छिपे पाठ्यक्रम किस लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देता है? एक शिक्षक / शिक्षिका के रूप में छिपे पाठ्यक्रम को समझने के शैक्षिक निहितार्थ बताइए.

इकाई 5- यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु कानून एवं पहल

5.1 प्रस्तावना
5.2 उद्देश्य
5.3 भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत लैंगिक हिंसा/उत्पीड़न से संबन्धित धाराएँ
5.4 बलात्कार संबन्धित कानून व जानकारियां
5.5 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013
5.6 बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012)
5.7 सारांश
5.8 शब्दावली
5.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची
5.10 निबंधात्मक प्रश्न

5.1 प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार "राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।"

अनुच्छेद 15 (1) के अनुसार "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।"

अनुच्छेद 15 (3) कहता है: "इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"

अनुच्छेद 16 (1) के अनुसार "राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी" व 16 (2) के अनुसार "राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा।"

अनुच्छेद 21 के अनुसार "किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।" सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों ने यह स्थापित किया है कि प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता में गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार तथा अपनी पसंद के

पेशे को चुनने का अधिकार भी सम्मिलित है। संविधान के इसी दर्शन के अंतर्गत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का अर्थ होगा किसी को उसके जीवन एवं स्वतन्त्रता के अधिकार से वंचित रखना।

यौन उत्पीड़न क्या है ?

इस अध्याय में हम यौन उत्पीड़न और उससे जुड़े कानूनों व पहलों पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि 'यौन उत्पीडन' से हमारा आशय क्या है। महिला विकास निगम, बिहार के एक पर्चे के अनुसार "किसी भी तरह का भेदभाव, बहिष्कार, अपमानजनक या अनादरपूर्ण टिप्पणी या कथन जो किसी की गोपनीयता और गरिमा का उल्लंघन करता है यह यौनिक उत्पीड़न कहलाता है, वह अनुचित और गैरकानूनी है। यौनिक उत्पीड़न महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ गंभीर अपराध है। यौनिक हिंसा के अंतर्गत ये सभी अनचाहे व्यवहार आते हैं: शारीरिक स्पर्श, यौनिक संवाद, यौन इच्छापूर्ति की माँग या अनुरोध, अश्लील फिल्म या पुस्तक दिखाना, किसी तरह का मौखिक या अमौखिक आचरण जो यौनिक प्रकृति का हो, जिससे आप परेशान होते हैं, आपको चोट पहुंचती है या हीन भावना महसूस करते हैं।"

संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा में यौनिक हिंसा को प्रमुखता से रखा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के अनुच्छेद 1 में महिला हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत "लिंग आधारित हिंसा का कोई भी कार्य जिसका परिणाम है अथवा जिसमे महिलाओं को शारीरिक, यौनिक या मनोवैज्ञानिक पीड़ा होने की सम्भावना हो और जिसमें निजी या सार्वजानिक क्षेत्र में, धमकी, दबाव या स्वतंत्रता का जबरन हनन करने वाले" कार्यों को रखा गया है।

बहुचर्चित विशाखा बनाम राजस्थान राज्य केस के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी परिभाषा के अनुसार "यौन भावना से संचालित महिला की इच्छा के विरुद्ध किए गए व्यवहार को यौन प्रताड़ता माना जाएगा"

यौन उत्पीड़न को समाज में एक ऐसे अपराध के रूप में देखा जाता है जिसे कई कारणों से रिपोर्ट नहीं किया जाता है। अक्सर विभिन्न सांस्कृतिक-सामाजिक-आर्थिक कारणों से पीड़ित महिला या लड़की व उसके परिवार तथा नजदीक के लोग इसे बहुत तवज्जो नहीं देते हैं और 'सामान्य' घटना मानकर छोड़ देते हैं। इस सन्दर्भ में आवश्यक है कि पीड़िता को आवश्यक भावनात्मक, कानूनी, आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सहयोग प्रदान किया जाए।

5.2 उद्देश्य

इस अध्याय के अध्ययनोपरांत आप-

1. यौन उत्पीड़न के बारे में अपनी समझ विकसित कर पाएंगे।
2. यौन उत्पीड़न से सम्बंधित विभिन्न कानूनों व पहलों के बारे में जान सकेंगे।

3. यौन उत्पीड़न व इससे जुड़े मुद्दों पर स्वयं संवेदनशील होंगे तथा दूसरों को संवेदनशील बनाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करे पाएंगे।

अध्याय के इस भाग में हम लैंगिक हिंसा/उत्पीड़न से सम्बंधित विभिन्न कानूनों व पहलों का अध्ययन करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहले भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लैंगिक हिंसा/उत्पीड़न से सम्बंधित विभिन्न धाराओं को देखते हैं।

5.3 भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत लैंगिक हिंसा/उत्पीड़न से संबन्धित धाराएँ

धारा 166-ए : यदि कोई लोक सेवक एसिड अटैक, लैंगिक हिंसा तथा बलात्कार के केस में दी गई जानकारी को रेकॉर्ड करने में असफल रहता है तो ऐसे लोक सेवक को 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक के कठोर कारावास तथ जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

धारा 294 : दूसरों को परेशान करने के इरादे से की जाने वाली अश्लील हरकतें व गाने। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरकत अथवा अश्लील गाने, कविता या शब्दों का प्रयोग करता है तो उसके लिए जुर्माने के साथ, तीन महीने की कैद की सजा या दोनों का प्रावधान किया गया है।

धारा 354 : यदि कोई स्त्री की लज्जा भंग (Outrage her Modesty) करने के उद्देश्य से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा उसे एक वर्ष से पाँच वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

धारा 354-ए : यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से शारीरिक संपर्क बनाने संबंधी प्रस्ताव या लैंगिक संबंध बनाने के लिए कोई मांग या अनुरोध या स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने या लैंगिक टिप्पणी करने का अपराध करता है तो उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। लैंगिक टिप्पणी के केस में सजा की अवधि एक वर्ष के कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

धारा 354-बी : ऐसा कोई पुरुष जो किसी स्त्री को सार्वजनिक स्थल पर निर्वस्त्र करने या ऐसा करने के लिए किसी स्त्री पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे तीन वर्ष से सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

धारा 354-सी : यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को जब वो प्राइवेट कार्य (sexual act) में लिप्त हो, देखता है या उसका चित्र खींचता है या उस चित्र को प्रसारित करता है तो प्रथम बार एक वर्ष से तीन वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा और दूसरी या अनेक बार दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष से सात वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

धारा 354-डी : यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से संपर्क बढ़ाने का प्रयास उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध एवं बार-बार अनिच्छा प्रदर्शित किए जाने के बावजूद उस स्त्री का पीछा करता है या स्त्री द्वारा ई-मेल, इंटरनेट अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक मीडियम का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है या किसी स्त्री को घूरता है या बिना शासन आदेश के उसकी जासूसी करता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रथम बार तीन वर्ष का कारावास और जुर्माना या द्वितीय या अनेक बार दोष सिद्ध होने पर पाँच वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

धारा 509- शब्दों, इशारे, आवाज़ों या किसी आपत्तिजनक वस्तु प्रदर्शन से यदि औरत के सम्मान को ठेस पहुँचती हो तो इसके लिए तीन वर्ष के कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

5.4 बलात्कार संबन्धित कानून व जानकारियां

बलात्कार संबन्धित कानून

- किसी भी लड़की या महिला के साथ जबरदस्ती, चालाकी या धोखे से उसकी सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संभोग करना बलात्कार है।
- ऐसे शारीरिक संभोग जो महिला यह समझ कर करती है कि वही पुरुष उसका पति है पर पुरुष को यह पता है कि यह सत्य नहीं है, भी बलात्कार के दायरे में आता है।
- चाहे रजामंदी भी हो फिर भी किसी पागल या कमजोर दिमाग वाली महिला से संभोग करना बलात्कार होगा।
- शराब या नशे की हालत में महिला चाहे रजामंद भी हो उससे संभोग करना बलात्कार है।
- 18 साल से कम उम्र की लड़की की रजामंदी भी हो तो भी उससे संभोग बलात्कार है।
- पति का उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संभोग अगर पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम हो तो भी बलात्कार है।
- हिन्दू कानून में अलगाव के दौरान बिना पत्नी की सहमति के संभोग बलात्कार है।
- अगर कोई महिला अपनी मर्ज़ी से किसी भी पुरुष से संभोग करती है तो उसे बलात्कार नहीं कहा जाएगा। लेकिन किसी वेश्या से भी मर्जी के बिना संभोग करना बलात्कार होता है।

स्रोत: हमारे अधिकार दिल्ली महिला आयोग

बलात्कार की सजा

कोर्ट में अपराध सिद्ध होने पर अपराधी को सात से दस वर्ष की सजा या उम्र कैद हो सकती है।

गर्भवती महिला के साथ बलात्कार के लिए दोषी पुरुष को दस वर्ष से अधिक का कठोर कारावास या आजीवन कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार के लिए दोषी पुरुष को दस वर्ष से अधिक के कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

कुछ व्यक्ति जैसे पुलिसकर्मी, सरकारी नौकर व अन्य संस्थाओं में काम करने वाले अगर अपनी निगरानी में रहने वाली महिला के साथ बलात्कार करे तो कम से कम 10 वर्ष से लेकर उम्र कैद की सजा तथा जुर्माना हो सकता है।

सामूहिक बलात्कार एक से अधिक लोगों द्वारा होता है तो उसकी सजा कम से कम बीस वर्ष का कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना हो सकता है। ये जुर्माना पीड़िता के पुनर्वास और चिकित्सकीय खर्चों के लिए दिया जाएगा।

अलगाव के दौरान बलात्कार की सजा दो वर्ष से सात वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

बलात्कार का प्रयास करने पर 5 वर्ष की कैद हो सकती है।

यदि बलात्कार से पीड़िता की मृत्यु या विकृतशील दशा हो जाती है तो ऐसे पुरुष को बीस वर्ष से अधिक के कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा।

यदि कोई पुरुष पूर्व में बलात्कार के लिए दंडित किया जा चुका है और फिर से बलात्कार करता है तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक की सजा से दंडित किया जा सकता है

स्रोत: हमारे अधिकार दिल्ली महिला आयोग

बलात्कार पीड़िता महिला को क्या करना चाहिए:

1- जब तक डॉक्टरी जांच पूरी न हो जाए तन पर पहने हुये कपड़े न तो बदले न ही उन्हें धोएँ।
2- खुद अथवा अपने परिजनों व दोस्तों की मदद से तुरंत पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाए। यदि पुलिस मदद करने से इंकार या आनाकानी करे तो डॉक्टर से जांच करवाकर उसकी रिपोर्ट ले लें और किसी महिला आयोग या सामाजिक संस्था से मदद लें।
3- बलात्कारी का चेहरा या कोई निशानी याद रखनी चाहिए ताकि बाद में पुलिस के समक्ष उसे पहचान सके और पुलिस उस अपराधी को पकड़ सकें।
4- पीड़िता किसी समाजसेवी संस्था या स्थानीय या राष्ट्रीय समाचार पत्र को भी पत्र लिखकर हुई घटना की जानकारी दे सकती है।

महिलाओं के पुलिस से संबन्धित अधिकार

पुलिस को महिलाओं को यह बताना होगा कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है।

उन्हें उनके जुर्म अथवा अपराध के बारे में बताना होगा। सिर्फ यह कहना पर्याप्त नहीं है कि आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है बल्कि उन्हें उसके बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। दिन ढलने के बाद किसी भी महिला को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन में रखना गैर-कानूनी है। किसी महिला को गिरफ्तार करने के लिए केवल एक महिला पुलिस ही अधिकारी है।

गिरफ्तारी के समय किसी भी प्रकार कि ज़ोर जबरदस्ती करना गैर कानूनी है और पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। बिना वारंट के पुलिस किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती साथ ही महिला को अपने साथ अपने किसी रिश्तेदार अथवा मित्र को ले जाने का अधिकार है। गिरफ्तार किए जाने के 24 घंटे के अंदर महिला को मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश करना आवश्यक है और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के 24 घंटे से ज्यादा जेल में रखना गैर कानूनी है।

5.5 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न उनकी गरिमा तथा जीविका कमाने के अधिकार और उनके मौलिक तथा मूलभूत मनवाधिकार का उल्लंघन है। सन 1979 में बीजिंग में हुये "International Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW)", जिसे भारत सरकार ने भी हस्ताक्षर कर अपनाया, में कार्यस्थल पर महिलाओं के समान अधिकारों को जगह दी गई तथा घोषणा की कि महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं होनी चाहिए। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से निवारण के लिए भारत की संसद ने 2013 में एक कानून पास किया जिसका नाम 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 है। इस अधिनियम के अनुसार "यह कानून कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण देने, रोकथाम व शिकायत निवारण के लिए बना है। यौन उत्पीड़न के कारण महिला के संविधान में निहित समानता के अधिकार (धारा 14, 15) व जीवन की रक्षा व सम्मान से जीने के अधिकार (धारा 21) व व्यवसाय करने की आज़ादी के लिए तथा कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण के न होने से उसके कार्य करने में बाधा को रोकने के लिए यह कानून है।"

इस अधिनियम के अनुसार यौनिक प्रताड़ना के तहत निम्न में से कोई एक या अनेक स्वीकार्य कार्य या व्यवहार शामिल हैं चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या निहित हो।

- शारीरिक संपर्क या उसका प्रयास करना
- यौनिक रिश्ते बनाने का प्रयास या उसकी माँग

- यौनिक शब्दों वाली बातें या टिप्पणी करना
- अन्य कोई भी ऐसा शारीरिक, मौखिक, इशारे आदि से ऐसा व्यवहार व आचरण जो यौनिक प्रकृति का हो और अस्वीकार्य हो

इस अधिनियम के अनुसार:

1. किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न नहीं होगा।
2. अन्य परिस्थितियों के साथ-साथ यदि निम्न परिस्थितियां जो यौनिक उत्पीड़न के साथ-साथ यदि विद्यमान है तो वह यौनिक उत्पीड़न कहलाएगा:

- नौकरी में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, निहित या स्पष्ट वादा करके पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना।
- नौकरी में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, निहित या स्पष्ट रूप से नुकसान पहुँचाने की धमकी देना।
- वर्तमान व भविष्य की नौकरी के संबंध में नुकसान पहुंचाने की धमकी देना।
- उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या ऐसा वातावरण बनाना कि उसका कार्य करना मुश्किल हो जाए।
- ऐसा उपहासपूर्ण या अपमानजनक व्यवहार जो उसके स्वास्थ्य व सुरक्षा को प्रभावित करे।

यह अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति के गठन को प्रस्तावित करता है। इसके अनुसार कार्यस्थल का प्रत्येक नियोक्ता लिखित में आदेश निकालकर एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करेगा। इस समिति के अंतर्गत 1) एक वरिष्ठ महिला पीठासीन अधिकारी होगी 2) कर्मचारियों में से 2 से कम सदस्यों का चयन नहीं होगा। इसमें सामाजिक व कानूनी मुद्दों से जुड़े व अनुभव रखने वाले ऐसे लोगों को लिया जायेगा जो महिला मुद्दों की समझ रखते हों। 3) एक सदस्य गैर सरकारी संगठन से होगा जो महिला मुद्दों से परिचित तथा प्रतिबद्ध हो। यह आवश्यक है कि नामजद किये गए कुल सदस्यों में से कम से कम आधी महिलाएं हों। इस समिति के सदस्यों तथा पीठासीन अधिकारी का कार्यकाल 3 वर्ष तक का होगा।

आंतरिक शिकायत समिति के अतिरिक्त इस अधिनियम में एक स्थानीय शिकायत समिति के गठन का भी प्रावधान है. इसके तहत "हर जिला स्तर का अधिकारी जिले के लिए एक समिति का गठन करेगा, जिसमें उन शिकायतों को लिया जायेगा जहाँ आंतरिक शिकायत समिति का गठन 10 से कम कर्मचारी होने के कारण नहीं हुआ है या शिकायत नियोक्ता के खिलाफ है।" इसके अंतर्गत जिलाधिकारी एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा. यह ब्लॉक, तालुका, तहसील और नगरपालिका स्तर पर होगा। नोडल अधिकारी शिकायत प्राप्त कर स्थानीय शिकायत समिति को भेजेगा। स्थानीय शिकायत समिति के अध्यक्ष के रूप में सामाजिक क्षेत्र में महिला मुद्दों पर कार्य करने वाली कोई प्रतिष्ठित महिला होगी। जिले में ब्लॉक, तालुका, तहसील, वार्ड या नगरपालिका स्तर पर कार्यरत महिलाओं में से कोई एक इसकी

सदस्य होगी। दो सदस्य उन गैर सरकारी संगठनों से चुने जाएँगे जो महिला मुद्दों के प्रति संवेदनशील हो तथा यौनिक प्रताड़ना के मुद्दों की समझ रखते हों। इन नामजद सदस्यों में से एक महिला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बंधित हो.

यौनिक प्रताड़ना की शिकायत:

कोई भी पीड़ित महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत लिखित में आंतरिक शिकायत समिति को देगी। यदि आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं हुआ है तो स्थानीय शिकायत समिति को दी जाएगी। पीड़िता को शिकायत घटना घटने के 3 महीने के अन्दर करनी होगी। अगर पीड़िता शिकायत को लिखित में देने में असमर्थ है तो समिति के सदस्य या पीठासीन अधिकारी अथवा अध्यक्ष उसे शिकायत लिखने में आवश्यक मदद प्रदान करेंगे। यदि पीड़िता 3 महीने में शिकायत नहीं कर पाती हैं और समिति को लगता है कि देरी का कारण उचित और तर्कसंगत है तो समिति उसे 3 महीने का अतिरिक्त समय दे सकती है। यदि पीड़ित महिला शारीरिक, मानसिक या किसी अन्य कारण से शिकायत नहीं लिखवा पा रही है तो उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

मुआवजे के निर्धारण

पीड़ित महिला को मुआवजे के निर्धारण के सम्बन्ध में निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए:

- मानसिक तनाव, दर्द, परेशानी, भावनात्मक तनाव महिला को पहुंचा हो।
- यौन प्रताड़ना के कारण व्यवसाय के अवसरों का नुकसान।
- दूसरे पक्ष की आय व वित्तीय स्थिति ।

नियोक्ता के दायित्व :

अधिनियम के अनुसार नियोक्ता के निम्नलिखित दायित्व हैं:

- स्वच्छ कार्य वातावरण प्रदान करना चाहिए तथा सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।
- कार्यालय के सार्वजनिक स्थान पर इस कानून के दंडात्मक प्रावधान व आंतरिक समिति का आदेश नोटिस बोर्ड पर होना चाहिए।
- अपने कर्मचारियों में जागरूकता के लिए सेमिनार, गोष्ठियों की व्यवस्था करते रहना चाहिए ताकि उन्हें यौन उत्पीड़न व इससे जुड़े मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके।
- आंतरिक व स्थानीय शिकायत समिति को विशेष सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।
- जिस कानून या धारा के तहत मामला जहाँ दर्ज हो सकता है उसे वहां करवाया जाना चाहिए. अगर पीड़ित करने वाला कर्मचारी नहीं है तो जिस जगह घटना हुई है उस जगह केस दर्ज करवाने में मदद करनी चाहिए।

यौन उत्पीड़न के प्रभाव-

यौन उत्पीड़न से पीड़ित स्त्री को निम्नलिखित परेशानियों का सामना करना पड़ता है:

- भारत जैसे पितृसत्तात्मक समाज में करियर में जहाँ यौन पीड़िता को एक 'मुजरिम' के तौर पर देखा जाता है वहां उसे आगे बढ़ने के और नौकरी के अवसर का कम मिलते हैं।
- यौन उत्पीड़न के परिणामस्वरूप पीड़िता को कई प्रकार की शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परेशानी उठानी पड़ती है।
- पीड़िता बहुत बार आत्महत्या करने या कोई ऐसा कदम उठाने की सोचती है जिसके भयंकर परिणाम होते हैं।
- यौन उत्पीड़न के कारण उसके पारिवारिक जीवन को नुकसान को नुकसान पहुँचता है।
- बहुत बार यौन उत्पीड़न से पीड़ित स्त्री को या तो स्वयं अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है अथवा उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है।
- पीड़िता को सामाजिक दबाव के कारण अपने कार्यस्थल पर जाने और बाहर निकलने में कठिनाई का अनुभव होता है और वह अपने कार्यालय से अनुपस्थित रहने लगती है जिसके कारण उत्पादकता में कमी आती है।

5.6 बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012)

बच्चे समाज का कमज़ोर वर्ग होने के कारण शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और यौन संबंधी दुरुपयोग के लिए शीघ्र प्रभावित होने वाले होते हैं। भारत सरकार ने बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों की रोकथाम हेतु एक विशेष कानून "बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम, 2012" (POCSO Act, 2012) बनाया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को विभिन्न यौन संबंधी अपराधों से बचना है तथा त्वरित निर्णय के लिए विशेष अदालत का गठन करना है, ताकि यौन अपराधियों को सख्त सज़ा मिल सकें। इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है बच्चे की श्रेणी में रखा गया है।

इस अधिनियम के अंतर्गत 5 प्रकार के यौन अपराध माने गए हैं। जिनमें भेदन यौन हमला (Penetrative Sexual Assault) (धारा 3), उत्तेजित भेदन यौन हमला (Aggravated Penetrative Sexual Assault) (धारा 5), यौन हमला (Sexual Assault) (धारा 7), उत्तेजित यौन हमला (Aggravated Sexual Assault) (धारा 9) व यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) (धारा 11) हैं।

अधिनियम की धारा 11 के अनुसार बार-बार या लगातार पीछा करना, निगरानी रखना, सीधा इलेक्ट्रोनिक व अंकीय या किसी साधन से बालक से संबंध स्थापित करना, यौन उत्पीड़न है जो कि इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। इसी प्रकार किसी बालक को अश्लील सामग्री के लिए प्रयुक्त करना जैसे यौन अंगों का प्रदर्शन करना, उत्तेजित यौन कार्य मे बालक को संलिप्त कर प्रयोग करना, बालक का अभद्र एवं अश्लील प्रदर्शन करना भी इस अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत अपराध है।

सजा का प्रावधान

अधिनियम की धारा 4 के तहत भेदन संबंधी यौन आक्रमण के लिए कम से कम 7 वर्ष व अधिकतम आजीवन कारावास की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार धारा 6 के अंतर्गत उत्तेजित भेदन यौन हमलों के लिए कम से कम 10 वर्ष की कैद से लेकर आजीवन कारावास व जुर्माने का प्रावधान है। धारा 8 के अंतर्गत यौन हमला करने वाले पर कम से कम 3 वर्ष व अधिक से अधिक 5 वर्ष की सजा और जुर्माना प्रस्तावित है। धारा 10 के तहत उत्तेजित यौन हमला करने वाले को कम से कम 5 वर्ष व अधिकाधिक 7 वर्ष व जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 12 के तहत यौन उत्पीड़न से संबन्धित अपराधी को 3 साल तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान है।

इस अधिनियम की धारा 28 के तहत विशेष अदालत का गठन किए जाने का प्रावधान है जो बाल मैत्रीपूर्ण वातावरण में मुकदमों की त्वरित सुनवाई करती है। इस अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे की कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मंत्रणा के अनुसार प्रत्येक जिले की सत्र अदालत को विशेष अदालत के रूप में गठित करती है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायालय को निम्न विशेष इंतजाम करने चाहिए-

- बाल मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार करना जिसमें परिवार के सदस्य को, संरक्षक को, मित्र व रिश्तेदार को जिसमें की बच्चे का विश्वास हों, इजाजत देना सम्मिलित है।
- बच्चे को बीच-बीच में विराम देना।
- बच्चे की गवाही के लिए बार-बार अदालत में न बुलाना।
- आक्रामक एवं चरित्र हनन वाले प्रश्न बच्चे से ना पूछे जायें।
- बच्चे की इज्ज़त को बरकरार रखा जाये।
- बच्चे की पहचान सार्वजनिक ना की जाये।
- माता-पिता व अन्य व्यक्ति जिसमें बच्चे को विश्वास हों की मौजूदगी में मुकदमे की सुनवाई कैमरे में होनी चाहिए।
- बच्चों से हुये यौन अपराध के मामले केवल महिला सब-इंस्पेक्टर ही देखेगी।
- बच्चों से पूछताछ ठाणे के अंदर नहीं की जाएगी।
- पुलिस बच्चों से जब भी मिलेगी पुलिस वर्दी मेन नहीं होगी।
- बच्चों के मामलों में बेहद संवेदनशीलता और गोपनीयता से काम लिया जाएगा।
- कोर्ट का माहौल बच्चों के अनुकूल होना चाहिए।
- बच्चों के प्रारम्भिक उपचार, दवाइयों और पोषक आहार के लिए कोर्ट द्वारा अन्तरिम मुआवजा भी दिया जाएगा।

- जब भी बच्चे के लिए जरूरत होगी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता भी उपलब्ध कराये जाएंगे।

यदि उपर्युक्त सभी रक्षात्मक उपायों का कड़ाई और सख्ती से पालन किया जाता है तो पीड़ित या पीड़िता के लिए जांच और सुनवाई एक डरावना अनुभव नहीं होगी और इससे पीड़ित या पीड़िता की गरिमा को भी कायम रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता है कि ऐसा समाज में ऐसा संवेदनशील माहौल का निर्माण किया जाए जिससे इस प्रकार के अपराधों को कम किया जा सके तथा रोका जा सके।

5.7 सारांश

किसी भी तरह का भेदभाव, बहिष्कार, तिरस्कार, आपत्तिजनक या अपमानजनक कथन अथवा गोपनीयता का हनन गैरकानूनी और अवैध होता है जिसे यौन उत्पीड़न व यौन हिंसा के दायरे में रखा जा सकता है। यह आवश्यक है कि हम दूसरों की आज़ादी और उनके चुनावों (choices) को समझें और उनका सम्मान करें तथा उनके प्रति किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह और असहजता दिखने वाले व्यवहारों पर रोक लगाएँ। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि इस तरह के सभी लोगों के अधिकार और चुनावों की सुरक्षा और गरिमा की रक्षा की जा सके।

जरूरी है कि महिलाएं अपने साथ हो रहे अपराध का मजबूती से सामना करें और अधिकारों की जानकारी रखें। यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं को छुपाने से वो खत्म होने की बजाए बढ़ती है। आपके चुप रहने से एक तो आप खुद के साथ अन्याय करेंगी और दूसरा अन्य लड़कियों के साथ भी दुर्व्यवहार करने के लिए अपराधी की हिम्मत बढ़ाएंगी। साथ ही पीड़िता के घरवाले और सहकर्मचारी भी उसका साथ दें।

महिलाओं को उत्पीड़ित करने की इस मानसिकात को इसके खिलाफ आवाज उठाकर ही रोका जा सकता है। महिलाओं के साथ कभी भी यौन उत्पीड़न होने की स्थिति में वो अपने ऑफिस और पुलिस में शिकायत अवश्य करें।

5.8 शब्दावली

1. **यौन उत्पीड़न :** किसी भी तरह का भेदभाव अनादरपूर्ण टिप्पणी या बहिष्कार, अपमानजनक या , कथन जो किसी की गोपनीयता और गरिमा का उल्लंघन करता है यह यौनिक उत्पीडन कहलाता है।
2. **कार्यस्थल :** कार्यस्थल का मतलब सिर्फ चारदीवार से घिरा कार्यालय, कचहरी, फैक्ट्री या कारखाना ही नहीं है अपितु कार्य के सिलसिले में जहाँ जहाँ आवागमन होता है वह सब कार्यस्थल के अंतर्गत आते हैं।
3. **नियोक्ता :** नियोक्ता (employer) का अर्थ है किसी भी विभाग, संगठन, प्रतिष्ठान, संस्था, कार्यालय, शाखा या इकाई जो प्राधिकृत अधिकार या स्थानीय सत्ता से है. इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति जो वहां की व्यवस्था निगरानी व नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हो।

अभ्यास प्रश्न

1. यौन हिंसा क्या है ? इसे किस प्रकार रोका जा सकता है?
2. बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम, 2012 के विभिन्न प्रावधानों की चर्चा कीजिये।
3. लैंगिक उत्पीड़न से सम्बंधित विभिन्न कानूनों की चर्चा कीजिये।
4. एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों को यौन हिंसा/उत्पीड़न के बारे में कैसे जागरूक करेंगे?
5. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को किस प्रकार रोका या कम किया जा सकता है? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के सन्दर्भ में चर्चा कीजिये।

5.10 संदर्भ सूची

1. दिल्ली महिला आयोग (वर्ष अनुपलब्ध) हमारे अधिकार। नई दिल्ली : दिल्ली महिला आयोग।
2. जागोरी (2013). यौन उत्पीड़न : युवाओं व किशोरों के लिए नुस्खे. नई दिल्ली : जागोरी.
3. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013
4. भारत का संविधान, भारत सरकार.
5. बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012).
6. NCPCR. Frequently Asked Questions. New Delhi: National Commission for Protection of Child Rights.
7. Jacol, Reny. (n.a.). Sexual harassmet at the Workplace : A manual. New Delhi: Delhi Commission for Women.

5.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. "यौन शोषण और हिंसा पर इतने कठोर कानून होने के पश्चात भी भारतीय समाज में बलात्कार और यौन हिंसा की घटनाएँ तेज़ी से सामने आ रही हैं।" इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
2. भारतीय समाज में व्याप्त पितृसत्ता की यौन उत्पीड़न और हिंसा को बनाए रखने और बढ़ाने में क्या भूमिका है? उचित उदाहरणों द्वारा अपने पक्ष की पुष्टि कीजिये।